Vol. 6, No. 1
January - March, 2018

ISSN : 2321-5607

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES

A Quarterly Refereed Journal

CITE THIS "VOLUME AS 6, NO. 1
SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES"

(January to March, 2018)

@Publishers

The "Socio-Economic Perspectives" Journal is published quarterly. Contributions to the Journal are invited in the form of articles, notes and case comments. Contributions to the Journal should be sent as an attachment to this mail id: **socioecopj2015 @gmail.com**

Akhil Bhartiya Samajik Vikas Evam Kalyan Samiti shall be the sole copyright owner of all the published material. Apart from fair dealing for the purposes of research, private study or criticism, none of the part of this Journal may be used in any form whatsoever without prior written permission from the publisher.

The editors, publishers and printers shall not be responsible, in any case, for the views/research papers/articles/book reviews given by the contributors. Contributors are completely responsible for any type of plagiarism or errors, if found.

Published by

Prof. A.N. Singh
Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
An Official publication of
Akhil Bhartiya Samajik Arthik Vikas Samiti
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010, India
e-mail: socioecopj2015 @gmail.com

Printed By

Shivam Printers
C-165, Nirala Nagar, Lucknow.

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Editorial Board

Patron
Prof. R.P. Singh
Former Vice-Chancellor, University of Lucknow, Lucknow

Editor-in-Chief
Prof. A.N. Singh

Managing Editor
Dr. Vivek Kumar Singh

Executive Editor
Dr. Muhammad Nayim
Dr. Ashish Ranjan

Assistant Executive Editors
Dr. Archana Singh
Dr. Chet Narayan Patel
Dr. Leena Singh
Dr. Shikha Singh
Dr. Santosh Kumar

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Article Review & Advisory Board

Prof. Balraj Chauhan
Former Vice Chancellor,
Ram Manohar Lohia,
National Law University, Lucknow

Prof. A.K. Singh
Vice-Chancellor,
Shri Ram Swaroop Memorial University,
Lucknow.

Prof. A.B. Singh
Department of Sociology &
Social Work,
Banaras Hindu University, Varanasi

Prof. R.B.S. Verma
Ex-Head,
Department of Social Work,
University of Lucknow

Prof. Sanjay Bhatt
Ex-Head, School of Social Work
Delhi University, Delhi

Prof. A.N. Singh
Ex-Dean, Faculty of Social Work,
M.G. Kashi Vidyapeeth, Varanasi

Prof D.K. Singh
Head,
Department of Social Work
University of Lucknow

Dr. Shailja Singh
Head,
Department of Sociology & Social Work
D.S.M.N.R. University, Lucknow

Prof. Ankur Saxena
Faculty of Social Work
The Maharaja Sayajirao
University, Baroda, Gujrat

Dr. Mridul Srivastava
Assistant Registrar,
R.M.L. National Law University,
Lucknow

Prof. Pratibha J. Mishra
Head, Department of Social Work
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Bilaspur

Dr. Durgesh Kumar Srivastava
Assistant Professor,
Department of AIH & Archaelogy,
University of Lucknow

Dr. P.N. Pathak
Administrative Officer,
University of Lucknow, Lucknow

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES
(A QUARTERLY REFEREED JOURNAL)

Volume 6, No. 1 (January to March, 2018)

Membership Fees

Membership	Individual	Institutional	Foreign
Annual	Rs. 1200/-	Rs. 2500/-	$100
Life Membership (Up to 10 Years)	Rs. 5000/-	Rs. 10,000/-	$200

* The draft or Cheque for member should be sent in favour of:

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010

** The membership fees can also be deposited directly or through NEFT favour of :

The Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
Bank: Indian Overseas Bank
Branch: BSIP (1873), University Road, Lucknow- 226007
SB Account Number: 187301000003252
IFSC: IOBA0001873
MICR: 226020021

Editorial correspondence should be addressed to:

Prof. A.N. Singh
Editor-in-Chief
Socio-Economic Perspectives Journal
1/135, Viram Khand, Gomti Nagar,
Lucknow (U.P.)- 226010, India
e-mail: socioecopj2015 @gmail.com

CONTENT

S. No.	Title of the Paper	Author	Page No.
1.	Pollution Explosion: A Threat on Urban Environment and Economic Growth	Dr. Sanjay Agarwal	1
2.	Indian Banking Industry: Contribution to Sustainable Development in India	Dr. Mohd Furqan	7
3.	बुनाई कार्य में संलग्न बुनकरों की स्वास्थ्य की स्थिति एवं समस्याएंः एक अध्ययन (अम्बेडकरनगर जिले की जलालपुर नगरपालिका परिषद के विशेष सन्दर्भ में)	मोहम्मद नदीम डा0 रूपेश कुमार सिंह	18
4.	भारतीय लोक संस्कृति में जल संरक्षण एवं प्रबन्धन तथा नागर समाज की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ0 मुहम्मद नईम	34
5.	किशोरियों में एड्स जागरूकता की स्थितिः एक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के नगरीय विद्यालयों के विशेष सन्दर्भ में)	विभा मिश्रा	55
6.	भारतीय संविधान एवं मानव अधिकार : अनुसूचित जाति के विशेष सन्दर्भ में	सन्दीप सोनी डा0 आशुतोष पाण्डेय	65
7.	धर्मनिरपेक्षता एवं पंडित नेहरू के विचारः एक समीक्षात्मक अध्ययन	डा0 निलेश कुमार मेश्राम	72

S. No.	Title of the Paper	Author	Page No.
8.	नगरीय वृद्धजनों के साथ घटित होने वाले दुर्व्यवहार की वर्तमान स्थितिः एक अध्ययन (लखनऊ जिले के इन्दिरा नगर आवासीय क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)	रितेश कुमार त्रिपाठी डा0 रूपेश कुमार सिंह	78
9.	संत कबीर साहब का दर्शन	डॉ॰ बृजेन्द्र सिंह बौद्ध	94
10.	अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण में जातिगत सामाजिक संगठनों की भूमिका (उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के विशेष संदर्भ में)	राजीव कुमार डॉ0 शशि सौरभ	104

POLLUTION EXPLOSION: A THREAT ON URBAN ENVIRONMENT AND ECONOMIC GROWTH

Dr. Sanjay Agarwal*

Abstract

It is stated that economic growth and environmental balance do not go together. They both oppose each other. To achieve a higher rate of growth, resources have to be exploited and environment has to be harmed. Environmental balance can only be maintained, if resources are not exploited and pollution is not formed. This leads to low rate of economic growth. But the fact remains that both of them are needed for the economy. The only solution is controlling the scale of pollution and optimal use of the resources.

Key words: - Pollution, Growth, Environment, Deforestation, Sewage, Population, Wastes. Farming

Pollution is an outcome of such activities as nuisance or hazards, domestic, industrial, agricultural, recreational and biological in nature. Environmental degradation is directly or indirectly a source of human health hazards. It has been realised that scientific and technological progress leading to rapid urbanisation is a cause of environmental deterioration which varies from one spatial point to another between urban and rural areas.

The causes of environmental degradation are complex and multidimensional. The problem in rural areas are different from those in urban areas. In India, an overwhelming population lives in small towns, rural and tribal areas where industrial activity is minimal. Pollution in such areas is manageable with some systematic and serious efforts. Problems of pollution in large industrial towns and metropolitan cities are quite different, complicated and serious. The challenge of controlling pollution and thereby preserving the environment, to a large extent, is serious in

* *Associate Professor, Department of Economics, Jawaharlal Nehru Memorial, Post-Graduate College, Barabanki (UP), E-mail: dr.sanjayagarwal15@gmail.com*

urban areas. While cities are important centres of productive activity and economic growth, the speed of their expansion has brought in its wake serious environmental problems.

The number of problems the cities face is very large and extremely difficult to handle. These problem include: energy, urban traffic, sewerage services, water pollution, solid-waste disposal, polluting industries, mental and physical health, slums, housing and poverty. All these mentioned here and many more have their own share in polluting the environment.

Fundamental Truth

India is being faced with explosive urban growth. This growth is leading to a downward trend in the coverage of basic urban services such as water supply, sewerage and drainage. Slums are the result of uncontrolled population movements and unplanned urban growth.

Water pollution is the most serious in its implications for health of nation. Cities along the banks of rivers, or in the vicinity of lakes, discharge their effluents in their water resources from which potable water supply comes. Use of fertilizers and pesticides also causes of water pollution.

The maintenance of public convenience is very poor. In many places, like railway station and bus stands etc. they are built by the government or voluntary organisations.

Urban growth generates more vehicles causing more traffic, more cars, buses, trucks, factories, refineries and chemical plants and more cooking and heating activity .The petrol engine emits carbon monoxide and unburnt hydrocarbons, nitric oxides and fuel additives such as lead.

Noise pollution in big cities is created by industries, construction activities, advertisements, communication, hawkers, household gadgets, surface and air transportation. Excessive noise is associated with hypertension, the increase in diseases of central nervous system, deafness, tiredness, reduced capacity to work, insomnia and stomach ulcer.

To conclude, urban environment in developing countries has been worsening as a result of growth in population and undesirable pattern of economic growth. The pollution problem in urban areas have been reaching alarming proportions, the local authorities are struggling and usually failing to maintain even basic services.

By the process of deforestation and urbanisation coupled with ongoing industrialization man is creating more problems than he envisages to solve not only for other living beings like animals and plants but also for the entire humanity. Deforestation causes the formation of floods. Devoid the trees the soil gets eroded, landslides occur frequently, river changes their course, rainfall gets reduced and climate changes rapidly. It results into the generation of the carbon dioxide and depletion of oxygen which are injurious to the living beings.

Fundamental Consequences

Rapid industrialisation, development of science, technology, communication etc. resulted in high rate of economic growth, higher production of output in industries, agriculture and tertiary sectors. But such development adversely affected the environment i.e., it resulted in the poisoning of earth's water, air, land sky etc. indiscriminate pursuit to economic development without any regard to environment caused atmospheric pollution which was reflected in form of smog, acid rain, greenhouse effect, depletion of ozone layer, marine pollution through oil spills, sewage, garbage, radioactive wastes and thermal pollution, deforestation, desertification, hazardous wastes, climate change and decline of biodiversity.

As a result, the environment has become polluted and it has a severe damaging effect on the human life, plant life and wild life also. This would not only result in the poor quality of life of the present generation but also a threat for the future generation to thrive.

Earth is the only planet so far known to have an environment that can sustain life. It has all the physical conditions necessary for the origin and survival of human beings animals and plants. For a long time humanity has been cherished with the philosophy that human beings were the masters of the environment. This philosophy has become obsolete with the passage of time. It was realized that environment provides variety of services for which man must be grateful.

Without them, human life cannot exist on this earth. First, environment provides materials or resources which have an economic value to mankind. These resources provide the inputs for the production activities of human beings. These resources are renewable (forests etc.)

and non-renewable (minerals, fossil fuels etc.). Secondly the environment helps in the removal, dispersion and degradation of wastes or residues produced on the earth.

The environment assimilates the waste resources. Wastes that can be broken down by the natural process of the environment are called biodegradable wastes and can be assimilated to a great extent, whereas to assimilate non-biodegradable wastes is beyond the power of the environment. Thirdly, the maintenance of the gaseous composition of the atmosphere, the regulation of earth's temperature and maintenance of the weather pattern constitute the life support services of the environment for which life on earth becomes possible.

India is being faced with explosive urban growth. This growth is leading to a downward trend in the coverage of basic urban services such as water supply, sewerage and drainage. Slums are the results of uncontrolled population movements and unplanned urban growth. They lack basic amenities and services. The greatest threat to their lives and health is not pollution of water by chemicals but pollution of faecal organism, not industrial waste but human waste and the greatest of their environmental problems is the lack of the clean water and safe sanitation.

Water pollution is the most serious in its implications for health of the nation. Although ground water is generally bacteriologically free, it gets contaminated with sewage or seepage of industrial effluents. The coastal areas have become more acidic and polluted. Cities along the banks of rivers or in the vicinity of lakes, discharge their effluents in their water sources from which potable water supply comes.

The maintenance of public conveniences is very poor. There is a relationship between the sanitary disposal of excreta and the state of health of the population. By and large persons from the rural areas may not be aware of their use.

Growth and Quality Environment Both

Economic growth creates the need for further economic growth on the ground of avoiding the problem of unemployment, raising the standard of living, accelerating larger industrial and agricultural growth to meet the need of the larger population, enhancing the confidence in

the economy etc. Hence growth must be controlled in order to achieve a good environment.

Environmental education is an effective means to impart scientific orientation that facilitates ongoing development. This would make citizen more responsible which in turn means greater responsibility towards environmental protection leading to a more healthy environment. Educational institutions can play an important role in arousing civic consciousness for abatement of environmental pollution by pursuing every citizens. Attempts also need to be made to create awareness about the pollution problem programmes on TV, FM, and print media. The socio-political system also affects the management of pollution control. Decision makers, such as, politicians, bureaucrats and other senior level personnel are required to control pollution on continuous basis.

There is a controversy between the environmentalists and economists. The economists contend that if all eggs are used for omelette, it will cater to the needs of the citizens. On the other hand, the environmentalists opine that if all eggs are used for omelette, there will be no eggs to lay chicks. However, we need both eggs and chicks so that the needs of the present and future generations can be fulfilled. So, there is no point in having a very high rate of growth when the people are suffering due to poor environmental standards.

Thus, in order to have desired rate of growth along with better environmental quality we should go for sustainable development which is the only answer to the survival of the earth and societies. In this context, the role of government is highlighted. The government through various tools like tax, expenditure, fee, fine, subsidy etc., can control the flow of investment and help save environment.

The following measures may be taken up with a view to ensuring sustainable development with better environmental quality which will be a key to the survival of the earth.

First, the country should limit their rates of development.

Secondly, afforestation on a large scale should be undertaken.

Thirdly, use of non-renewable resources should be minimized and whatever non-renewable resources are used, they should be utilised optimally and wastes of these resources should totally be avoided.

Fourthly, non-biodegradable wastes should be reused and recycled. Necessary steps should be taken up to control such wastes through the development of technology.

Fifthly, instead of using fertilizers, chemicals, pesticides, insecticides etc. in enhancing agricultural production, organic farming ought to be taken to popularize organic farming.

Sixthly, the individuals should be made aware of better environmental quality which is essential for the quality of life.

Finally, the government should be highly vigilant and careful to take every possible step to maintain better environment with reasonable rate of growth.

At last, law alone cannot control pollution and restore balance in the biosphere disturbance. Money too cannot always help. Commitment on the part of the implementing agencies, political non-interference, public participation and administrative accountability will go a long way in preserving the environment. Law, education, community action and use of innovative ideas are important tools to control pollution. The problem is vast. It is difficult for the government agencies to control pollution alone. It requires joint efforts on the government and the concerned people simultaneously.

References

- *Hill K Marquita, (1997) Understanding Environmental Pollution, Cambridge University Press, USA*
- *Khitoliya R. K., (2006) Environmental Pollution: Management and Control for Sustainable Development, S. Chand & Company,*
- *Bhatia S. C., (2007) Text Book of Noise Pollution and its Control, Atlantic, New Delhi*
- *Bhattacharya Rabindra N., (2008) Environmental Economics: An Indian Perspective, Oxford University Press, New Delhi*
- *Ambasht R. S. & Ambasht P. K., (2014) Environment And Pollution: An Ecological Approach, CBS Publishers & Distributers, Delhi*

INDIAN BANKING INDUSTRY: CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDIA

Dr. Mohd Furqan*

Abstract

Banks play a very important role in the economy of any country as its main function is to mobilize funds and disburse credit to various sectors of the economy. Indian banking industry's contribution towards sustainability was very low as compared in the other major countries. Because of the challenges to the rapid urbanization in India and the huge share in the global population led a threat to global sustainability. So there was the need to ingrain sustainability in India. This paper is a step to put forth the need of the sustainable urban development in India. The urbanization in India hassled to (UN) sustainable situation. It provides not only various benefits of economic growth and development, but it also brings the social and environmental challenges. Various challenges associated with sustainability, spatial planning, governance, deficiencies and execution has been discussed in this paper.

Introduction

Sustainable development is interpreted generally as, achieving economic development in such a way that development can continue and is not a onetime phenomenon. It suggests the use of current resources in such a way that such resources will be conserved and replenished for future requirements and future generation will not have to compromise in the process of meeting the needs of the present.

Many countries are changing their approach because of turbulence in environmental issues like weather shocks, climate change, cost of fossils and fuels to basic infrastructure and industrial planning, desire to design more sustainable, resilient pathways to economic growth and are taking Green steps.

---

* *Assistant Professor, Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University, Jhansi.*

Banking sector being a significant part of the financial system of the country like India, its role in sustainable development becomes very obvious and crucial. With the increasing concerns about the environmental protection, it is the banking sector that can play a significant role in this direction.

As challenges lie in the ability to cope, the later part of the paper will throw light on the sustainable development approaches in India. It has been studied under various policies by Indian

Government and programs, institutional arrangements, technological solutions, frameworks and measurement systems for a better present and future

Literature review

Levine (2004) identified and summarizes these as follows: (i) countries with better- functioning banks and financial markets grow faster; (ii) simultaneity bias (i.e., the reverse causality) does not seem to drive this conclusion; and (iii) better functioning financial systems ease the external financing constraints that impede firm and industrial expansion, suggesting that this is one mechanism through which financial development matters for growth. Nobel Laureate Robert Lucas (1988) also dismisses finance as an over-stressed determinant of economic growth. On the other hand, Nobel Laureate Merton Miller (1988) argues that the financial markets contribute to economic growth is a proposition too obvious for serious discussions.

Singh Hardeep, Singh Bikram Pal, "An Effective & Resourceful Contribution of Green Banking towards Sustainability" International Journal of Advances in Engineering Science and Technology, has given the role banks in sustainable development.

Sahitya Urvashi and Lalwani Vaibhav (2014), explain the need to understand and appreciate the importance of green initiatives for the attainment of goals of sustainable banking.

Bedi Prateek ,Research Scholar, Delhi, India (2014) said suggested the use of several specific ideas like sponsoring, environmental projects, training customers and employees to become more conscious about the environment, participating in relevant events, publishing info-material,

designing special eco-branches and offering loans tha tsupport green causes.

Mrs.Sahitya Urvashi and Mr Lalwani Vaibhav *IRACST- International Journal of Commerce, Business and Management Vol. 3, No. 1,(February 2014) in case study* "Sustainability in Indian Banking Industry" said that the banking sector has become extremely conscious of the need to go green.

UNCTAD,United cooperation and integration among developing countries,(December 2016) in the report "The role in promoting growth and sustainable development in south" said In an era of excess global liquidity and savings on the one hand, and an acute shortage of financing for development on the other, this report argues that development banks at all levels ? national, regional, multilateral ? can play a critical bridging role between savings and financing needs and thereby contribute significantly towards the achievement of the Sustainable Development Goals.

Dr. Jayabal G., and Mrs. Soundarya M (Nov2016) said Now days green banking is getting more and more popularity all over the world. Green banks could not be a good profit business avenue. But certainly it has great potential to gain market share and substantial profit in future.

Ragupathi. M and Sujatha. S (2015) studied the way to go green through green banking. According to this paper, earlier bank was not aware about the concept green banking. But now a day's banks are playing very important role in environment sustainability program. By the green banking practice people is getting more aware about the global warming and each business man's contributing in environment sustainability to make this earth a better place to live in. Green banking is not only greening the industries but it will also facilitate in improving the assets quality of the bank in future.

Objectives of the study

The objectives of the present study are-

1. To deeply understand how an Indian bank are responding to environmental turbulence and is to provide an overview of their action.

2. To know the role of banking service sector for sustainable economic growth and development.
3. To study the initiatives taken for expansion of financial services by banking sector for the development in India.

This study is an attempt to understand and appreciate the importance of sustainable development for the attainment of goals by banking sector in India and to determine the various attempts that have been made by the top public and private sector banks.

Research Methodology

Secondary Data is collected from the sources like different books, Magazines, and Journal at banking sector and sustainable development, RBI Web Site, Inter Net, and Right to Information Act etc. For fulfilling the objectives of the study the report of the individual banks, Reserve bank of India, various websites for the collection of the required data is done

Result and Discussion

GLIMPS OF INITIATIVE TAKEN BY BANKS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

India's services sector has been the most dynamic part of its economy. India is doing reasonably well in retail sector and the financial sector including banking. India is now eager to open up the the new venues to maintain a sustainable growth. The way this sector has been developed with a strong regulatory and policy framework, it also holds important lessons for other countries. India's banking services sector has been one of the fastest growing sectors in the economy. The economy has witnessed increased private sector activity including an explosion of foreign banks, insurance companies, mutual funds, and venture capital and investment institutions. Although significant steps have been taken in reforming some areas and still some need to be reformed.

- The inability of banks to enforce security related measures and to access collateral, and the capital constraints related to recognizing large loan losses.
- Volatility in global commodity prices has a major impact on Indian banks This has led to nonperforming loans and credit

losses becoming a key area of concern for the Indian banking system.

Some multinational banks and financial institutions incorporate sustainability in their functions by supporting various activities like clean technologies and by adopting the concept in their core business processes-risk management and decision making. They also implemented environmental conservation campaign and taken steps for the betterment of community.

Most often, activities related to education and health initiatives for underprivileged groups, employee engagement drives, in which employees donate a portion of their incomes, volunteer their time and share their knowledge for various community improvement causes etc done by them.

State Bank of India has taken the first step to become the first bank in the country who venture into generation of green power by installing windmills for captive use. As part of its green banking initiative, it has installed 10 windmills with an aggregate capacity of 15 MW in the states of Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat and planned to install an additional 20 MW capacity of windmills in Gujarat. It achieved a target of 100 MW power generations through windmills within five years. The main objective behind windmills set up was definite that is reducing the dependence on the polluting thermal power and not on purely economic or business considerations. At present, the bank consumes 100 MW of power per year. This all was done by incurring total cost of installation of a windmill of 1.5 MW around Rs 10 crore.

The industry is working at 80% capacity now, which is close to its peak of 85% and so the credit growth will be fairly good. Banks has reduced their carbon footprints by adopting the following measures:

Because of computerization in the bank's branches, there is a large scope for doing paperless banking. Mostly of the banks were using huge quantities of paper for office correspondence, audit reporting, recording public transactions, etc., now start saving the environment. Further these banks can switch over to electronic correspondence and reporting. Banks are also encouraging their customers to switch over to electronic transactions and popularize e-statements.

Banks are developing energy- consciousness and adopting effective office time management system and automation solutions. Compact fluorescent lighting (CFL) helped banks save energy consumption considerably. They have also switched over to renewable energy (solar, wind, etc.) to manage their offices and ATMs.

ICICI Bank has also worked with various institutions to help them find alternative solutions for their general operations. For instance, in coal technologies, ICICI Bank introduced innovative concepts like deep beneficiation of coal (coal wateriest) and coal bed methane. It also assisted a company to develop a product that provides an eco-friendly air-conditioning which is an alternate to conventional air conditioners (ACs).

It also initiated a program to spread awareness among corporate bodies, institutions, banks and government agencies involved in project planning on issues like biodiversity, wildlife habitats and environmental laws. It has introduced an environment friendly way of life, ICICI Bank offers 50% waiver on Auto Loans' processing fee on car models which use alternate mode of energy. The models identified for the purpose are, Maruti's LPG version of Maruti 800, Omni and Versa, Hyundai's Santro Eco. Hybrid of Honda, Reva electric cars, Tata Indica CNG and Mahindra Logan CNG versions.

ICICI Home Finance offers reduced processing fees to customers who purchase homes in Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certified buildings.

HDFC bank Reduces the use of paper by issuing electronic transaction advices for its corporate customers and by encouraging retail customers to convert to e-statements instead of physical print outs,. It conserve energy replacing conventional lighting options with Compact Fluorescent Lamps (CFLs), switching off signage lights past 11:00 pm at branches and setting up Green Data Centers with state-of-the-art technologies.

Bank has also taken initiatives like Project of 20 Solar ATMs with the pilot ATM set up in Bihar.

Axis bank has Facilitated e-statement and for each e-statement registration by a customer, bank will donate a note book to the needy

and poor. Axis Bank encourages its customers to subscribe for e-statements and other electronic formats of communication, thus significantly reduced paper consumption.

With an aim of spreading awareness about environment protection and cultural heritage, it has conducted 'Splash', a pan-India painting competition on various themes related to Environment. The competition started on Children's Day (November 14) and was held across all branches of the bank. The competition was open to all children in the age group of 7 to 12 years. The competition was not restricted to customers of the bank.

Punjab National bank introduced Green Banking by complete transformation into Core Banking Solutions (CBS) Banking. Bank has started conducting electricity auditing of their offices and using energy efficient appliances. On the other side the bank is also focusing on green infrastructure. A different strategy where separate green audit sheet is employed by the bank to access the impact of various green banking initiatives implemented in the bank. Punjab National Bank placed guideline for supply of term loan to business units and commercial projects that are engaged in producing renewable energy and environmental friendly projects.

In the year 2010-11 the bank sanctioned nine commercial projects of wind energy. The bank has introduced e-solutions by adopting paperless dealings in complaint & vigilance procedures and bank ensures a speedy communication system through e-network which eventually cuts down the cost and time.

The bank has introduced "Green practices" and "Green audit" to conserve nature and to sensitize the staff towards sustainable practices. Some efforts were taken by bank for rain water harvesting in existing buildings and new constructions. This is being made with a view of promoting of wind and solar energy usage in rural areas.

Bank of India made Provision of Internet banking, mobile banking, phone banking and electronic cards and added as alternate delivery channel to reduce the use of paper in banking procedure. Bank also reduces the paper usage by issuing e-transaction advices to corporate customers and encouraging electronic statements among retail customers.

Bank of India initiates various green schemes such as distribution of tree saplings and creating awareness among society. It has also undertaken initiatives to popularize use of solar street lights and rain water harvesting in rural areas for the aim of conserving energy.

Kotak bank has introduced Trees.com, a web-enabled service where you can plant trees in large reforestation projects and dedicate of gift the trees to honors friends/ family on their important occasions like birthdays, new births, weddings, anniversaries. By planting trees, we can restore the productivity of the land by benefitting rural communities and wildlife. Besides, trees offer attached benefits to mankind and our planet. Under the arrangement with the bank, Grow-Trees, campaign a tree for every e-credit card statement on behalf of the customers is arranged.

IndusInd Bank is an important participant in the Corporate Social Responsibility. It is actively engaged in helping mentally- challenged and underprivileged children and on other side, it is engaged in helping and sensitizing /upholding environmental and ecologically appropriate behavior.

While banks play a crucial role in promoting sustainable development, but Indian banking industry got off a late start in acknowledging the importance of sustainability as an item on its agenda. In the 1990s, however, it started to play a more active role for the sake of stainable development. The major shift happened when bankers realized poor environmental performance and access the threat to their business on the part of their clients. Reserve Bank of India reveals that, there is general lack of adequate awareness on the issue in India. In this context, there is a need for sustainable developmental efforts by financial institutions in India assuming banks, in particular, can help to contribute to the efforts by playing a meaningful role.

Green banking involves not only endorsing and embedding environmental and social responsibility but also providing excellent banking services. Now banking needs to follow ethical behavior. Ethical banking starts with the aim of protecting the environment will be assumed by banks.

Suggestions and Recommendations

There is no second view that, the sustainability and Business

Responsibility Policy will support Bank's Risk Management framework, identifying measures to mitigate risks arising from an evolving economic, environmental and social landscape is necessary. There is need for banks to adopt green strategies into their operations, buildings, investments and financing strategies. Green banking is a way to help a lot in attaining sustainable development. Judicious are use of all resources, whether renewable or non-renewable, whether human or material, whether financial or physical is required. Banks should reduce carbon footprints and encourage and finance only environment friendly investment. So Green Banking is not only about making sustainable use of resources but also about environment friendly dispensation of credit.

Banks should provide important leadership for the sustainable economic transformation that will provide new opportunities for financing and investment policies as well as portfolio management for the creation of a strong and successful economic system. Environmental awareness has spread like fire because country has started observing the manifestation of global warming in the form of dramatic changes in weather conditions and our ecology. Each one must understand the need of understanding the importance of this concept run by the banks. An excellent Endeavour is needed for creating better tomorrow. As a responsible part of the society banks must by their processes, operations, people, facilities, and people reduce the carbon footprints and preserve and conserve the environment.

For effective implementation of policies for sustainable development and green banking, the RBI and the Indian government should play a pro active role and formulate proper guidelines and provide financial incentives. Green banking can be an avenue to reduce pollution and save the environment aiding sustainable economic growth.

Banks should try to be energy neutral and can spread awareness among themselves by conducting energy audits in all their offices for effective energy management. They can also switch over to renewable energy (solar, wind, etc.) to manage their offices and ATMs. Use of mass transportation system can help in becoming fuel efficient organization and provide common transport for group of officials posted at one office.

Majority of banks identified that because of 'Risk of failure of business to peers' and 'Lack of RBI mandates' has become a main barrier in adopting sustainability. The other reasons identified by them are unavailability of skilled employees; lack of sufficient budgets to provide training to employees; Complex reporting frameworks and Lack of interest shown by customers and investors.

Conclusion

India is an example of a country whose development finance institutions had a central role in its development strategy.

We cannot deny the contribution of financial institutions including banks to sustainable development. Banks are paying a crucial role in the economic and development activities. With increasing concerns regarding the environmental protection, when banking sector that is contributing a significant role in this direction. Ethical banking starts with the aim of protecting the environment. The recent developmental policies of Indian banking have transformed banking from the traditional system towards a more inclusive one incorporating the interests of customers and their concern, the bank and the environment. The current study has revealed that the banking sector has become extremely conscious about the need to go green. Both Private Banks and Public sector are equally involved in the green banking approach. All the banks are making efforts to make banking paperless. This concept has been fully supported by technology in terms of electronic fund transfers, ATMs, internet and mobile banking. Banks are also searching for alternative energy sources for running facilities like ATM's etc. This environmental protection approach is not only enhances the image of the bank, but also protects the environment and makes the overall growth sustainable.

References

- *Green, C.F. (1989). Business Ethics in Banking. Journal of Business Ethics 8(8) p. 631-634. http://dx.doi.org/10.1007/BF00383031.*
- *Hitt, M.A., Keats, B.W. and DeMarie, S.M. (1998). Navigating in the New Competitive*
- *Burgess, R. and Pande, R. (2005). Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment. The American Economic Review 95(3) p. 780-795. http://dx.doi.org/10.1257/0002828054201242.*
- *Dogarawa Ahmad Bello (2006), " An Examination of Ethical Dilemmas in the Nigerian Banking Sector", Ahmad Bello Dogarawa, Department of Accounting, Ahmadu Bello University, Zaria . Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1621054*

- *Amaeshi Kenneth M., Ezeoha Abel E., Adi Bongo C., Nwafor Manson. Financial Exclusion and Strategic Corporate Social Responsibility: A missing link in sustainable finance discourse? No. 49-2007 ICCSR Research Paper Series - ISSN 1479-5124 http://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR.*
- *Chaudhuri Tarumoy (2007), "Study of Ethics in Business Communicationinthe Service Industry with Emphasis on Banking Industry", National Law University, Jodhpur, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1672202*
- *Bihari, Suresh Chandra. "Green Banking-Towards socially responsible banking in India" IJBIT/ Volume 4/ Issue 1 /October 2010- March 2011 |82.*
- *Goyal, K.A. and Joshi, V. (2011) "A Study Of Social And Ethical Issues In Banking Industry", Int. J. Eco. Res., 2011 2(5), 49-57 ISSN: 2229-6158*
- *Kotak Mahindra Bank, Sustainablility Report, 2011-12*
- *A model of green bank marketing by Constantine Lymperopoulos,Ioannis E. Chaniotakis, Magdalini Soureli © 2012 Macmillan Publishers Ltd. 1363-0539 Journal of Financial Services Marketing Vol. 17, 2, 177-186.*
- *Bahl Sarita (2012), "Role of Green Banking in Sustainable Growth", International Journal of Marketing, Financial Services and Management Research, Vol.1 No.2, Feburary 2012,ISSN 2277 3622.*
- *Green Banking: IDRBT Publication, August 2013.*
- *Bhardwaj, BrotoRauth, and AarushiMalhotra. "Green banking strategies through corporate Entrepreneurship." Greener Journal of Business and Management Studies ISSN: 2276-7827 Vol. 3 (4), pp. 180-193, May 2013.*
- *Punjab National Bank Annual report 2013-14, https://www.pnbindia.in/en/ui/profile.aspx*
- *Ragupathi. M and Sujatha. S (2015) in their paper entitled Green Banking Initiatives of Commercial Banks in India*
- *Dr. Jayabal G., and Mrs. Soundarya M, "International journal (Nov. 2016) in Green Banking: as banks initiatives for sustainable development"*
- *http://indusind.com/indusind/wcms/en/home/top-links/about-us/our-profile/index.html.*
- *Annual Report of State Bank of India*

बुनाई कार्य में संलग्न बुनकरों की स्वास्थ्य की स्थिति एवं समस्याएंः एक अध्ययन

(अम्बेडकरनगर जिले की जलालपुर नगरपालिका परिषद के विशेष सन्दर्भ में)

मोहम्मद नदीम*, डा0 रूपेश कुमार सिंह**

प्रस्तावना

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वृहद उद्योगों के साथ–साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। जहां देश में एक तरफ वृहद उद्योगों को स्थापित करने के लिए बड़े नगरों या बड़े नगरों के समीप वृहद भूमि, अधोसंरचना, अत्यधिक कार्यशील पूंजी व मानवीय श्रम, परिवहन की सुलभता, बड़ी मशीने, उत्पादन हेतु निर्बाध बिजली जैसे अनिवार्य संसाधनों की आवश्यकता होती है वहीं दूसरी तरफ लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए वृहद उद्योगों की तरह उक्त संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। इन उद्योगों की स्थापना हेतु कम कार्यशील पूंजी व अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है तथा यह उद्योग ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में आसानी से स्थापित भी किये जा सकते है।

हमारे देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से हथकरघा उद्योग आता है। हथकरघा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी अर्थव्यवस्था में एक अलग स्थान है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से बुनाई का कार्य किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिक एवं स्वस्थ मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। यह उद्योग सामान्यतः ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या द्वारा अपने घरों में स्थापित किया जाता है और इसमें परिवार के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं। परम्परागत हथकरघा उद्योग एक गहन श्रम वाला कुटीर उद्योग है जिसके माध्यम से कपड़ा बुनने का कार्य किया जाता है तथा इस कार्य को करने वाला बुनकर कहलाता

* *पी–एच.डी. शोध छात्र (समाज कार्य), समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं समाज कार्य विभाग, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।*

** *सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं समाज कार्य विभाग, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।*

है। इस उद्योग में कार्यरत बुनकरों को कपड़े का उत्पादन करने के लिए दिन रात बुनाई के उपकरणों पर विभिन्न जोखिम भरी परिस्थियों में लम्बे समय तक कार्य करना पड़ता है तथा सूत की रंगाई एवं सफाई के कार्य में रसायनों के उपयोग से विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं मनोसामजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बुनाई का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें गहन शारीरिक श्रम के साथ–साथ मानसिक एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है क्योंकि बिना एकाग्रता के कपड़ों की गुणवत्ता को बनाए रखना सम्भव नहीं होता है। बुनाई के कार्य को कुशलता से सम्पादित करने के लिए कार्यशील बुनकरों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ–साथ मानसिक एवं मनोसामाजिक रूप से स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उसको ससमय व संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही व्यक्ति की योग्यता के अनुसार अपने रोजगार से संतुष्टि व व्यक्ति के आस–पास के वातावरण का स्वस्थ होना तथा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर पर्याप्त आराम का मिलना भी नितान्त आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति की नियमित एवं दैनिक जीवन चर्या में यदि किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बुनकर समुदाय को गुणवत्तापूर्ण बुनाई के कार्य को सम्पादित करने के लिए स्वस्थ रहना अति आवश्यक है तथा उपरोक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुए बुनकर समुदाय अपने को स्वस्थ रख सकता है।

बुनाई के कार्य में संलग्न बुनकर अपने स्वास्थ्य के प्रति असंवेदनशीलता एवं कार्य में अत्यधिक संलिप्तता के कारण लम्बी अवधि तक अपने परम्परागत कार्य को सम्पादित नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण बुनकर समुदाय अपने परम्परागत आजीविका के स्रोत को भी परिवर्तित करने पर विवश होने लगते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि बुनाई के कार्य में संलग्न बुनकरों की वर्तमान समय में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है तथा वह किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

बुनकर समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित पूर्व शोध अध्ययनों की समीक्षा निम्नवत हैं–

अंजुम व ठाकुर (2011) ने महाराष्ट्र के मालेगांव जिले के पावरलूम उद्योग की कार्य प्रणाली, कमियों एवं इस उद्योग में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया है। साथ ही वहां के बुनकरों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों से सम्बन्धित सुझावों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि मालेगांव महाराष्ट्र राज्य का एक पारंपरिक हथकरघा केंद्र है जहां पर 7500 इकाइयों में करीब 1.5 लाख पावरलूम तथा लगभग 75,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। यहां के मुख्य उत्पाद लुंगी और साड़ी हैं तथा दैनिक उत्पादन लगभग 75 लाख मीटर है। साथ ही अध्ययन के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि पावरलूम कामगारों के कार्य की शर्तें एवं कार्य की दशाएं अनुकूल नहीं है। अधिकांश बुनकरों को कारखाना एवं श्रम कानूनों के अनुसार आधारभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। मालेगांव में लगभग 99 प्रतिशत पावरलूम अप्रचलित और पुराने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्पादकता होती है और निम्न गुणवत्ता वाले कपड़ों का उत्पादन होता है। अधिकांश पावरलूम इकाइयाँ छोटी हैं तथा वे छोटे निवेश से अपना व्यवसाय चलाते हैं। छोटे पैमाने के कारण वे अपनी इकाइयों को उन्नत और आधुनिक बनाने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान समय में पावरलूम उद्योग को कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ा उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसलिए आधुनिकीकरण की गति को और तेज करने की जरूरत है। यह स्पष्ट है कि पावरलूम उद्योग को वर्तमान परिदृश्य में और अधिक उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

लोन (2013) ने उज्जैन शहर की औद्योगिक पावरलूम इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि पर अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया कि कर्मचारी अपनी कार्य स्वायत्तता एवं भागीदारी से संतुष्ट हैं। कर्मचारियों की नौकरी की संतुष्टि पर नौकरी के पुरस्कारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों की संतुष्टि पर कार्य के महत्व का भी प्रभाव पड़ता है। अधिकांश कर्मचारी सामाजिक और संगठनात्मक पुरस्कारों से संतुष्ट हैं और कर्मचारी के प्रदर्शन का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि संगठन को उनकी दक्षता के बारे में पता चल सके। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में यह सुझाव दिया कि उच्च शिक्षित और अनुभवी लोगों की भर्ती की जानी चाहिए तथा प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए।

वेंकटेशवरन (2014) ने तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले के कल्लीडाइकुरिची में निवासरत हथकरघा बुनकरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के विश्लेषण में

पाया कि परंपरागत हथकरघा व्यवसाय में संलग्न बुनकरों में निरक्षरता, वित्तीय बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं एवं सरकारी सहायता का अभाव तथा प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के कारण इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश मजदूरी करने वाले बुनकर हैं जो दिन में दस घंटे से अधिक काम करने के बावजूद न्यूनतम मजदूरी अर्जित करते हैं। लगभग पैंसठ प्रतिशत बुनकर समुदाय निम्न आय वर्ग के हैं, जो बिचौलियों के अधीन कार्य करते हैं। हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल बड़े पैमाने पर स्थानीय बाजार से खरीदा जाता है लेकिन कभी–कभी सहकारी समिति या स्थानीय विक्रेताओं से उधार भी खरीदा जाता है। कच्चे माल की अनुपलब्धता और मिल–निर्मित कपड़ा उत्पादों से प्रतिस्पर्धा जैसे महत्वपूर्ण कारक हथकरघा उद्योग में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं।

सन्तोष एवं पूर्णा (2014) ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में पावरलूम इकाइयों की बिजली समस्याओं का अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया कि पावरलूम क्षेत्र में लागत की समस्या, बुनाई की समस्या, उचित सरकारी सहायता का अभाव आदि विभिन्न कारक हैं जिससे पावरलूम उद्योग के बुनकरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अध्ययन के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि बिजली आपूर्ति की कमी के कारण कई बुनकरों ने अपनी आय एवं व्यवसाय के स्रोत खो दिए हैं। इस जनपद में स्थानीय स्तर पर अक्सर हो रही हड़तालों ने भी बिजलीकरघा क्षेत्र को प्रभावित किया है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में सुझाव दिया है कि भविष्य में पावरलूम उद्योग को बचाने एवं इस उद्योग में कार्यरत बुनकरों की आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को पावरलूम क्षेत्र में सस्ती या रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

बरूआ एवं कौर (2015), ने असम के बारह जिलों में कार्यरत 60 बुनकर सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया है। अध्ययन में सहकारी समिति की रूपरेखा, उत्पादन, विपणन एवं वित्तीय प्रबंधन का पता लगाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने नए डिजाइनों, करघों के आधुनिकीकरण आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करके आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कई योजनाएं विकसित की हैं, लेकिन हथकरघा बुनाई इकाइयां अप्रचलित प्रौद्योगिकी, असंगठित उत्पादन प्रणाली, कम उत्पादकता, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, पारंपरिक उत्पाद की श्रेणी, कमजोर विपणन प्रणाली,

उत्पादन एवं बिक्री में कमी, पावरलूम और मिल से प्रतिस्पर्धा जैसी विभिन्न समस्याओं से घिरी हुई हैं, हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों, वित्तीय एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की सहायता से हथकरघा क्षेत्र की इन कमियों को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास अवश्य किया गया है।

कौशिक एवं राज (2015) ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर शहर में हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों का विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे सूत आपूर्ति योजना, एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के प्रति जागरुकता तथा प्रभावों के अध्ययन में पाया कि सर्वेक्षण में सम्मिलित लगभग एक चौथाई बुनकरों को केंद्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। अध्ययनकर्ताओं ने सुझाव दिया कि इस क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से जागरूकता अभियान के बारे में तत्काल प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि बुनकरों की आजीविका एवं आय बढ़ाने के लिए इन योजनाओं का संतोषजनक उपयोग हो सके। अध्ययन के विश्लेषण में पाया गया कि सरकार द्वारा धन जारी करने की धीमी प्रक्रिया एवं अपर्याप्त निधि आवंटन, बुनकरों में सरकारी योजनाओं के प्रति अविश्वास एवं असंतुष्टि के लिए जिम्मेदार हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से बुनकरों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के बावजूद तकनीकी प्रशिक्षण का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। साथ ही विपणन और निर्यात प्रोत्साहन योजना पर अध्ययन मे पाया गया कि बुनकरों को डिजाइन घटक में नवाचार के संबंध में योजना से बहुत कम या कोई सहयोग नहीं मिला और वे स्वयं बाजार की जरूरतों के अनुसार नए डिजाइन विकसित करते हैं, उन्हें बाजार के अनुरूप डिजाइन एवं ब्रांड की पहचान तथा इसके प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी है। महेश्वर के हथकरघा उत्पादों की वैश्विक बाजार में बिक्री अनिवार्य रूप से उनके उत्पादों को ब्रांड नाम और लोगो के साथ पंजीकृत करके बढ़ाई जा सकती है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) और स्वास्थ्य बीमा योजना का उचित लाभ बुनकर समुदाय को नहीं मिल पा रहा है।

श्रीनिवास व सुमन (2016) ने तेलांगाना के करीम नगर जिले के हथकरघा बुनाई में संलग्न बुनकरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया कि हथकरघा क्षेत्र या गैर–कृषि क्षेत्र की प्रतिकूल सरकारी नीतियों, वैश्वीकरण और सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव के कारण बुनाई उद्योग की स्थिति पिछले कई वर्षों से धीरे–धीरे बिगड़ती जा रही है और इस

उद्योग में लगातार गिरावट आई है, जिससे हथकरघा बुनकरों को गंभीर आजीविका संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। अध्ययन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन, पावरलूम से बढ़ी हुई अनुचित प्रतिस्पर्धा और मिल सेक्टर परम्परागत उद्योग में कार्यरत बुनकरों के इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि हथकरघा अपने लचीलेपन और बहुमुखी प्रतिभा में अद्वितीय है, यह उद्योग प्रयोग के साथ–साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहित करता है। हथकरघा की ताकत अभिनव डिजाइन पेश करने में निहित है, जिसे पावरलूम क्षेत्र द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है। अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययन में सुझाव दिया कि हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने और बुनकरों की आय तथा सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य जांच, बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ब्याज मुक्त ऋण आदि प्रदान करना चाहिए। हथकरघा क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के हस्तक्षेप को बढ़ाने आवश्यकता है।

उपरोक्त शोध अध्ययनों की समीक्षा से स्पष्ट है कि हथकरघा, पावरलूम एवं सहकारी क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की समाजिक–आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित देश के विभिन्न राज्यों में अध्ययन सम्पादित किये गये हैं। इसके साथ ही इस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य के प्रति संतुष्टि, कार्य की दशाएं व शर्तें, स्वास्थ्य की समस्याओं, कार्य प्रणालियों, उत्पादन, विपणन एवं वित्तीय प्रबन्धन, सरकारी सहायता की स्थिति, बिजली की समस्या, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं एवं योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन आदि पक्षों पर भी विभिन्न अध्ययन हुए हैं। परन्तु बुनाई व्यवसाय में लिप्त बुनकरों की स्वास्थ्य की स्थिति एवं समस्याओं से सम्बन्धित विस्तृत एवं गहन शोध अध्ययनों का अभाव है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से इस व्यवसाय में संलग्न बुनकरों की स्वास्थ्य की स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे इस कार्य में संलग्न बुनकरों की स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा ठोस कदम उठाया जा सके।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अध्ययन का उद्देश्य बुनकरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. बुनाई कार्य में संलग्न बुनकरों की स्वास्थ्य की स्थिति एवं समस्याओं का पता लगाना तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

शोध प्ररचना

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक सह विश्लेषणात्मक शोध प्ररचना पर आधारित है। प्रस्तुत शोध हेतु बुनाई व्यवसाय में कार्यरत बुनकरों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित यथार्थ आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात उनका तथ्य आधारित वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र, समग्र एवं प्रतिदर्श

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अम्बेडकरनगर एक महत्वपूर्ण जिला है जो वृहद एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के कारण प्रसिद्ध है। उक्त जनपद सीमेण्ट इकाई, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, चीनी मिल, वनस्पति तेल इकाई के साथ ही हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग के लिए भी देश एवं विदेश में जाना जाता है। उक्त वृहद एवं लघु औद्योगिक इकाइयां जिले की 3 नगरपालिका परिषद (टाण्डा, अकबरपुर एवं जलालपुर) एवं 2 नगर पंचायत (इल्तेफातगंज व अशरफपुर किछौछा) में स्थिति हैं। इन क्षेत्रों मे निवासरत अधिकांश लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत बुनाई व्यवसाय है जो हथकरघा एवं पावरलूम द्वारा किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन जिले के जलालपुर नगरपालिका परिषद में सम्पादित किया गया है। उक्त नगरपालिका परिषद के 25 वार्डों में लगभग 32000 लोग निवास करते है जिनमें से अधिकांश बुनकर समुदाय से सम्बन्धित है एवं जिनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत बुनाई व्यवसाय है। जलालपुर नगरपालिका परिषद के विभिन्न वार्डों में निवासरत एवं कार्यरत समस्त बुनकरों को अध्ययन का समग्र मानते हुए उनमें से 80 बुनकरों का चयन अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची व

अवलोकन तथा द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिलेखों का प्रयोग किया गया है।

तथ्य संकलन के यन्त्र एवं तकनीक

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कार्यरत बुनकरों से साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं समूह चर्चा के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन

प्रस्तुत अध्ययन में चयनित कार्यशील बुनकरों से प्राप्त प्राथमिक आकड़ों का प्रक्रमण करने के पश्चात आकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हुए तालिकाओं के माध्यम से किया गया है जो निम्नवत है–

तालिका संख्या 1.1

बुनकरों का लिंग

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पुरूष	59	73.75
2.	महिला	21	26.25
योग		80	100.00

तालिका संख्या 1.1 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक (73.75 प्रतिशत) उत्तरदाता पुरूष हैं और केवल 26.25 प्रतिशत उत्तरदाता ही महिला बुनकर हैं।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में बुनाई के कार्य में सर्वाधिक पुरूष वर्ग ही संलग्न हैं। इस व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है।

तालिका संख्या 1.2

बुनकरों की आयु

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	20–30	12	15.00
2	31–40	34	42.50
3	41–50	24	30.00
4	51–60	10	12.50
	योग	80	100.00

तालिका संख्या–1.2 में बुनकरो की आयु को दर्शाया गया है जिसमें पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र में बुनाई के कार्य में संलग्न सर्वाधिक (42.50 प्रतिशत) उत्तरदाता 31–40 आयु वर्ग के हैं। 30.00 प्रतिशत उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग के व 15.00 प्रतिशत 20–30 आयु वर्ग तथा केवल (12.50 प्रतिशत) उत्तरदाता 51–60 आयु वर्ग के हैं, जो बुनाई के कार्य में संलग्न हैं।

अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश (31–40) आयु वर्ग के लोग बुनाई के कार्य में संलिप्त हैं। जबकि युवा वर्ग की कम भागीदारी का मुख्य कारण बुनाई व्यवसाय के प्रति उनकी रूचि का न होना है एवं वृद्धजनों की शक्ति में कमी होने के कारण उनकी इस कार्य में कम भागीदारी है।

तालिका संख्या 1.3

बुनकरों का धर्म

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हिन्दू	19	23.75
2	मुस्लिम	61	76.25
योग		80	100.00

तालिका संख्या–1.3 के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र जलालपुर नगर में बुनाई के कार्य में सर्वाधिक (76.25 प्रतिशत) उत्तरदाता मुस्लिम धर्म के संलग्न हैं तथा केवल (23.75 प्रतिशत) उत्तरदाता ही हिन्दू धर्म के हैं। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में बुनाई के कार्य में अधिकांशतः मुस्लिम धर्म के लोग ही संलग्न हैं तथा हिन्दू धर्म के कम लोगों ने बुनाई व्यवसाय को अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में लिया है।

तालिका संख्या 1.4

बुनकरों की जाति

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामान्य	6	7.50
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	57	71.25
3	अनुसूचित जाति	17	21.25
योग		80	100.00

तालिका संख्या–1.4 में अध्ययन क्षेत्र के बुनकरों की जाति को दर्शाया गया है। अध्ययन में पाया गया कि सर्वाधिक (71.25 प्रतिशत) बुनकर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं जो बुनाई के कार्य में संलग्न हैं। अनुसूचित जाति के 21.25 प्रतिशत बुनकर

तथा सबसे कम (7.50 प्रतिशत) बुनकर सामान्य वर्ग के हैं जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत बुनाई है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में बुनाई का मुख्य कार्य मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा ही किया जाता है तथा सामान्य वर्ग के लोागों की बुनाई के कार्य में संलिप्तता न के बराबर है।

तालिका संख्या 1.5

बुनकरों की वैवाहिक स्थिति

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विवाहित	55	68.75
2	अविवाहित	15	18.75
3	विधवा	7	8.75
4	विधुर	3	3.75
योग		80	100.00

तालिका संख्या–1.5 में अध्ययन क्षेत्र के बुनकरों की वैवाहिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि बुनाई के कार्य में संलग्न अधिकांश (68.75 प्रतिशत) बुनकर विवाहित हैं, 18.75 प्रतिशत अविवाहित एवं 8.75 प्रतिशत विधवा हैं तथा केवल (3.75 प्रतिशत) बुनाई के कार्य में संलग्न बुनकर विधुर हैं।

तालिका संख्या 1.6

बुनकरों की शिक्षा की स्थिति

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	निरक्षर	14	17.50
2	प्राथमिक	23	28.75
3	जूनियर हाई स्कूल	15	18.75
4	हाई स्कूल	7	8.75
5	इण्टरमीडिएट	5	6.25
6	स्नातक	6	7.50
7	परास्नातक	10	12.50
योग		80	100.00

तालिका संख्या–1.6 में बुनकरों की शैक्षिक स्थिति के अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र में बुनाई के कार्य में संलग्न अधिकांश (28.75 प्रतिशत) बुनकरों ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। 18.75 प्रतिशत बुनकर जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षित हैं तथा अध्ययन क्षेत्र में बुनाई के कार्य मे संलग्न 17.50 प्रतिशत

बुनकर निरक्षर हैं। 12.50 प्रतिशत बुनकर परास्नातक, 8.75 प्रतिशत हाईस्कूल, 7.50 प्रतिशत स्नातक तथा केवल (7.50 प्रतिशत) चयनित बुनकर ऐसे हैं जो इण्टरमीडिएट तक शिक्षित हैं।

तालिका संख्या 1.7

बुनकरों के परिवार का स्वरूप

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	संयुक्त	71	88.75
2	एकाकी	9	11.25
	योग	80	100.00

तालिका संख्या 1.7 में चयनित बुनकरों के परिवार के स्वरूप के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में बुनाई के कार्य में संलग्न सर्वाधिक (88.75 प्रतिशत) बुनकर संयुक्त परिवार में रहते हैं जबकि 11.25 प्रतिशत एकाकी परिवार में रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि बुनाई के कार्य में गहनता एवं कार्य के घण्टे अधिक होने के कारण बुनकर संयुक्त परिवार में ही रहना पसन्द करते हैं।

तालिका संख्या 1.8

बुनकरों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	43	53.75
2	नहीं	37	46.25
	योग	80	100.00

तालिका संख्या 1.8 में अध्ययन क्षेत्र के बुनकरों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि बुनाई के कार्य में संलग्न 53.75 प्रतिशत शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं जबकि 46.25 प्रतिशत बुनकर अस्वस्थ हैं। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के बुनाई के कार्य में कार्यशील चयनित बुनकरों में लगभग आधे (46.25 प्रतिशत) बुनकर अस्वस्थ हैं।

तालिका संख्या 1.8.1

बुनकरों में अस्वस्थता की स्थिति

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सुनने से सम्बन्धित	15	40.54
2	आंख से सम्बन्धित	13	35.14
3	शरीर में सूजन	10	27.03
4	टी0बी0	12	32.43
5	अस्थि से सम्बन्धित	17	45.95
आधार		37	

तालिका संख्या 1.8.1 के आधार अध्ययन से स्पष्ट है कि चयनित कार्यरत बुनकरों में सर्वाधिक (45.95 प्रतिशत) बुनकर अस्थि से सम्बन्धित (रीढ़ की हडडी व जोड़ एवं घुटनों का दर्द) बीमारी से ग्रसित हैं। 40.54 प्रतिशत श्रवण से सम्बन्धित, 35.14 प्रतिशत आंख से सम्बन्धित, 32.43 प्रतिशत टी.बी. एवं सबसे कम (27.03 प्रतिशत) बुनाई के कार्य में संलग्न बुनकर शरीर सूजन जैसी बीमारी से ग्रसित हैं।

तालिका संख्या 1.9

बुनकरों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमित जाँच कराये जाने की स्थिति

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	29	36.25
2	नहीं	51	63.75
योग		80	100.00

तालिका संख्या 1.9 के अध्यययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित सर्वाधिक (63.75 प्रतिशत) बुनकर अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच नहीं कराते हैं जबकि 36.25 प्रतिशत बुनकर अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते हैं। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित बुनकरों में अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता की कमी है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र में बुनकरों के उपचार हेतु सरकारी संस्थाएं नहीं हैं बल्कि यह बुनकर या तो निजी अस्पताल में या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपना उपचार कराते हैं।

तालिका संख्या 1.10

बुनकरों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कराये जाने की स्थिति

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	17	21.25
2	नहीं	63	78.75
योग		80	100.00

तालिका संख्या 1.10 से यह ज्ञात होता है अध्ययन क्षेत्र में बुनाई के कार्य में कार्यरत सर्वाधिक (78.75 प्रतिशत) बुनकरों ने अपने स्वास्थ्य का बीमा नहीं कराया है जबकि 21.25 प्रतिशत बुनकरों ने स्वास्थ्य बीमा कराया है।

तालिका संख्या 1.11

बुनकरों की अस्वस्थता के कारण उत्पन्न समस्याएं

क्रम सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पारिवारिक समस्याएं	23	62.16
2	आर्थिक समस्याएं	37	100.00
3	उत्पाद एवं उत्पादन सम्बन्धी समस्याएं	25	67.57
4	विपणन सम्बन्धी समस्याएं	21	56.76
आधार		37	

तालिका संख्या 1.11 के आधार अध्ययन में बुनाई के कार्य में कार्यरत बुनकरों में अस्वस्थता के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के विश्लेषण में पाया गया कि समस्त बुनकरों को अस्वस्थता के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 67.57 प्रतिशत बुनकरों को उत्पाद एवं उत्पादन सम्बन्धी समस्या, 62.16 प्रतिशत को पारिवारिक समस्या तथा सबसे कम (56.76 प्रतिशत) बुनकरों को अस्वस्था के कारण विपणन सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में बुनाई के कार्य में संलग्न बुनकरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति तथा अस्वस्थता से उत्पन्न समस्याओं से सम्बन्धित आकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से एकत्रित प्राथमिक आकड़ों एवं सम्बन्धित साहित्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष में पाया गया कि वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र के चयनित कार्यशील बुनकरों में महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों की भागीदारी बुनाई के कार्य में बहुत अधिक (73.75 प्रतिशत) है तथा इस कार्य में कार्यरत बुनकरों में अधिकांश (42.50 प्रतिशत) बुनकर 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। अध्ययन से स्पष्ट है कि आज भी बुनाई के कार्य में पुरूष वर्ग का प्रभुत्व है और इसमें वृद्धों की भागीदारी बहुत कम है।

वर्तमान समय में जलालपुर नगरपालिका परिषद में अधिकांश (76.25 प्रतिशत) बुनकर मुस्लिम धर्म के पिछड़ी जाति (71.25 प्रतिशत) से सम्बन्धित हैं जो विशेष रूप से अंसारी, मंसूरी एवं इदरीसी वर्ग से आते हैं तथा यह व्यवसाय इन कार्यशील बुनकरों का परम्परागत एवं पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा जातिगत व्यवसाय है जो इनकी आजीविका का मुख्य साधन भी है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में चयनित कार्यशील बुनकरों में हिन्दू धर्म एवं सामान्य जाति के बहुत कम लोगों द्वारा उक्त कार्य को अपनी आजीविका के रूप में

अपनाया गया है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में बुनाई का कार्य मूलतः मुस्लिम धर्म के पिछड़ी जाति के लोगों का परम्परागत एवं पीढियों से होता चला आ रहा एक जातिगत व्यवसाय है जिससे यह वर्ग अपना जीवन यापन कर रहा है।

अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश (68.75 प्रतिशत) कार्यशील बुनकर विवाहित हैं तथा इनका शैक्षिक स्तर बहुत निम्न है। अध्ययन से स्पष्ट है कि जलालपुर नगरपालिका परिषद क्षेत्र में निवासरत उच्च शैक्षिक योग्यता वाले बुनकर परिवार के सदस्यों की इस कार्य में भागीदारी कम है जो इस कार्य के प्रति अरूचि को दर्शाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि बुनाई के कार्य में गहन श्रम एवं अधिक कार्य होने के कारण इसमें लिप्त बुनकर अधिकांशतः संयुक्त परिवार में रहते हैं।

बुनाई का कार्य एक गहन श्रम वाला कुटीर उद्योग है जिसमें दिन रात कार्य करके कपड़े का उत्पादन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के बुनकरों से प्राप्त सूचनाओं के अनुशीलन से ज्ञात हुआ कि माल के उत्पादन हेतु बुनकरों को काफी घण्टों तक हानिकारक परिस्थियों में खड़े होकर एवं बैठकर कार्य करना पड़ता है जिससे इन बुनकरों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है जिसकी पुष्टि शोध अध्ययनों (वेंकटेशवरन 2014) से होती है। अध्ययन क्षेत्र के लगभग आधे (46.25 प्रतिशत) कार्यशील बुनकर अस्वस्थ हैं और जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं– सुनने, आंख, शरीर में सूजन, मांसपेशियों में खिचाव, हड्डी एवं जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द तथा टी0बी0 आदि से ग्रसित हैं। अध्ययन में पाया गया कि बुनकरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के कारण इनको पारिवारिक, आर्थिक, कच्चा माल, उत्पादन एवं विपणन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में बुनकरों के स्वास्थ्य के उपचार एवं नियमित जांच हेतु कोई सरकारी संस्था उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में इस वर्ग को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाना पड़ता है और गम्भीर स्थिति में क्षेत्र के निजी अस्पतालों में काफी महंगा उपचार कराने के लिए विवश होना पड़ता है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय बनी रहती है। महंगा उपचार और अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता के कारण कभी–कभी बुनकर समुदाय गम्भीर बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित बुनकरों में सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा व अन्य बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता का अभाव है जिसकी पुष्टि शोध अध्ययनों (कौशिक एवं राज 2015) से भी होती है। साथ ही बुनकर

समुदाय प्रतिकूल परिस्थितियों में लम्बे अवधि तक गहन श्रम करने के पश्चात् भी पर्याप्त आय न होने के कारण वर्तमान समय में यह वर्ग अपनी परम्परागत आजीविका के स्रोत को परिवर्तित कर रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि भी श्री निवास एवं सुमन (2016) तथा अन्य अध्ययनों से होती है।

सुझाव

1. कार्यशील बुनकरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार को अनिवार्य एवं मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. कार्यशील बुनकरों के स्वास्थ्य की नियमित जांच व उपचार हेतु सुगम व सुलभ व्यवस्था करनी चाहिए।
3. बुनकरों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य सम्बन्धी समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
4. बुनकरों के स्वास्थ्य की देखरेख एवं सुधार हेतु प्रतिमाह चिकित्सीय शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. कार्यशील बुनकरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुदाय आधारित 'बुनकर स्वास्थ्य केन्द्रों' की स्थापना की जानी चाहिए और इन केन्द्रों पर बुनाई व्यवसाय से उत्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों के उपचार हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था करते हुए निःशुल्क उपचार (निःशुल्क जांच एवं औषधि वितरण) की व्यवस्था की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

- *अंजुम, आरिफ व ठाकुर डी.वी. (2011), ''ऐन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एण्ड द प्रॉब्लम्स आफ द पावरलूम इण्डस्ट्री इन महाराष्ट्र विद स्पेशल रेफ्रेन टू मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नाशिक'', इण्टरनेशनल जर्नल आफ ट्रेड, इकोनॉमिक्स एण्ड फिनान्स, वा. –2, न.–3, जून, पृ. 194–199.*
- *लोन, तारिक मकबूल (2013), ''ए स्टडी आफ जॉब सैटिस्फैक्शन इन पावरलूम इण्डस्ट्रियल यूनिट्सः ए केस स्टडी आफ उज्जैन सिटी'', 4डी इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ आई.टी. एण्ड कामर्स, वा.–3, इश्यु–2, पृ.86–95.*
- *ए, वेंकटेशवरन (2014), ''ए सोशियो इकोनॉमिक कन्डीशन ऑफ हैण्डलूम वीविंग इन कल्लीडाइकुरिची ऑफ तिरूनेलवेली डिस्ट्रिक्ट'', इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइन्स एण्ड हयुमिनिटीज रिसर्च, वा.–2, इश्यु–2, अप्रैल–जून, पृ. 38–49.*
- *सन्तोष, वी. एवं पूर्णा, के. (2014), ''ए स्टडी ऑन इलेट्रिसिटी प्रॉब्लम इन पावरलूम यूनिट (स्पेशल रेफ्रेन्स विद कोयम्बटेर डिस्ट्रिक्ट)'', परिपेक्स–इण्डियन जर्नल ऑफ रिसर्च, वा.–3, इश्यु–11, नवम्बर, पृ.30–31.*

- *बरूआ, रिकी रानी एवं कौर, सतविन्दर (2015),''ए स्टडी ऑन द एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज इन आसाम'', इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइण्टिफिक एण्ड रिसर्च पब्लिकेशन्स, वा.–5, इश्यु–1, जनवरी, पृ. 01–03.*
- *कौशिक, निखिल एवं जैन, मधुर राज (2015), ''इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन हैण्डलूम वीवर्स ऐट माहेश्वर, एम.पी.'', इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वा.–2, इश्यु–1, जून, पृ. 27–36.*
- *श्रीनिवास, अनकम व सुमन, कलाकोटला (2016), ''सोशियो इकोनॉमिक कन्डीशन ऑफ हैण्डलूम वीवर्स–ए स्टडी ऑफ करीम नगर डिस्ट्रिक्ट'', इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ कामर्स, बिजनेस एण्ड मैनेजमेण्ट, वा.–5, न.–1, जनवरी–फरवरी, पृ. 177–188.*
- *द्विवेदी, राकेश व पाण्डेय, ज्योति भूषण (2016), ''सामुदायिक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य'' न्यु रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, पृ0 58–79.*

भारतीय लोक संस्कृति में जल संरक्षण एवं प्रबन्धन तथा नागर समाज की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. मुहम्मद नईम*

हिन्दी साहित्य के महान आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'लोक' की विशेषता के संबंध में लिखा है, ''लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों या ग्रामों में फैली हुई समूची जनता है, जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। ये लोग नगर में रहने वाले परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अति सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं। परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए, जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं, उनको उत्पन्न करते हैं।'' (जनपद, 1952 : 65)

'लोक' लोक–जीवन के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी प्राचीन मान्यताओं, विश्वासों और परंपराओं के प्रति आस्थावान है। लोक साहित्य मूलतः लोक की मौखिक अभिव्यक्ति है, जो संपूर्ण जीवन का नेतृत्व करती है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति को वाणी देना ही लोक साहित्य है। इसकी निम्नांकित विधाएं हैं– लोक–गीत, लोक–कथा, लोक–नाट्य, लोक–भाषा और लोक–सुभाषित। लोक– साहित्य 'लोक' और 'साहित्य' दो शब्दों से मिलाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ लोक का साहित्य है। इसी प्रकार लोक संस्कृति का अर्थ है, लोक की संस्कृति अर्थात् जन संस्कृति।

लोक जीवन में हमारी संस्कृति का मूल स्वरुप मिलता है। लोक जीवन की निर्मल धारा में हमारी माटी की सोंधी सुगन्धी बसी होती है। हमारी परम्परायें, तीज–त्यौहार, रीति–रिवाज, धार्मिक आस्थायें, संस्कार, पारिवारिक रिश्तों की सौंध, भावनात्मकता, रिश्तों की पवित्रता आदि हमारे लोक– जीवन का हिस्सा है। लोक में जीवन से भागने की नहीं, बल्कि उससे संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है। लोकजीवन में अनेक बाधाएँ आती हैं, किन्तु लोक उससे हंसते– हंसते मुठभेड़ करता आगे बढ़ता है। इसके पीछे हजारों बरसों की लोक जीवन की वह तपस्या होती है, जो अनुभव आधारित उदात्त मूल्यों से परिपूरित होती है। लोकजीवन में आस्था रखकर उसमें प्रेम, करुणा, त्याग, ईमानदारी तथा कर्मशीलता जैसे भावों

* *सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ. प्र.)*

को पुष्पित व पल्लवित करता है। इनसे लोकमूल्य स्थापित होता है। लोकमूल्यों की शिक्षा हमें लोक प्रचलित गीतों, कथाओं तथा गाथाओं में दृष्टव्य होती है।

जल सृष्टि का आदि तत्व है। वह न केवल जीवन को धारण करता है, बल्कि जल, स्वयं जीवन है। जब से प्राण बने, तभी से पानी उसके भीतर वैसे ही प्रवेश कर गया था, जैसे मनुष्य की शिराओं में अनजाने ही रक्त प्रवेश कर जाता है। भारत में जल को जो मान्यता मिली हुई है, वह भले ही एक निष्प्राण कर्मकाण्ड में ढल गई हो, परन्तु जल हाथ में लेकर संकल्प लेना, यानि जल को साक्षी मानना, जल छिड़क कर अपवित्रता के निवारण के लिए आश्वस्त होना, जल कलश को मंगल विधायी मानना, किसी की मृत्यु के बाद मिट्टी का जल भरा फोड़ कर देह–जल अर्थात् आत्मा को विराट सृष्टि में विलीन करना, पवित्र नदियों में स्नान, उनकी आरती उतारना, आदि मूलतः केवल कर्मकाण्ड नहीं रहे होंगें, वे प्रतीक विधान होगें, जो जल में प्रिय, पूज्य, मंगल, आस्था, साक्षी, व्रत, आत्म आदि की प्रतीति के माध्यम रहे होगें, और शायद यह संकेत भी देते होगें कि जल पवित्र है, उसे पवित्र रखना है। नदियाँ पवित्रता के स्मरण में शामिल थीं, वर्षा के राग–रंग थे, गाँवों में सावन में झूले पड़ते थे, सुगंधित फूलों से श्रृंगार किया जाता था।

जल की महत्ता को न केवल लोक संस्कृति, लोक साहित्य में वर्णित किया गया है, बल्कि जल की महत्ता के विषय में समस्त धर्मों के पवित्र ग्रन्थों में भी बताया गया है।

ऋग्वेद का 'अप्सूक्त' जल पर लिखी विश्व की पहली कविता है। इसके बाद वैदिक औपनिषदिक साहित्य में जल पर या जल के संदर्भ में अपरिमित लिखा गया। जल देवताओं के रूप में इंद्र और वरुण की सृष्टि हुई। महाभारत के भीष्म गंगा से जनमे और अर्जुन इंद्र से। इन्द्र को बारिश का देवता कहा गया है। योगिराज श्री कृष्ण को जीवित दूसरे पार पहुँचाने के लिए यमुना ने अपना उफान संयत कर लिया।

आदिकवि के श्लोक का शोक आज भी पलकें भिगो देता है। यह वही जल है, जिसके बारे में महादेवी ने कहा है, ''आग हूँ, जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के।''

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में लिखा गया काव्य 'मेघदूत' संसार की सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित हुआ और 2000 वर्षों से दुनिया की मनीषा और जनसामान्य का प्रिय काव्य बना हुआ है। मेघदूत प्रथम दिवस से प्रारंभ वर्षा ऋतु

का काव्य है, जो जल के साथ प्रेम संदर्भ का भी सम्मान करता है और एक विराट प्राकृतिक आयाम के साथ ही जीवन के अनेक पक्षों और मूल्यों पर भी अत्यंत सारगर्भित टिप्पणी करता है। इसी से पानी की अनेक अर्थ संभावनाओं का संकेत लिया जा सकता है। पानी में अनुभव, विचार आदि होते हैं और वह इन्हें व्यक्त भी करता है, जिससे मनुष्य का रिश्ता जितना पुराना होता है, वह उसकी भाषा और सृजन में बहुरूपी बनकर समाज आता है। वह उसकी कथाओं में, गीतों में, प्रतिबिंबों, मुहावरों में, उसके दर्शन, विचारों, विवेचना में इस तरह शामिल हो जाता है, जिसे अलग से पहचानना मुश्किल होता है।

मानसून का प्रभाव केवल भारतीय कृषि व्यवस्था, उद्योग और वातावरण पर ही नहीं पड़ता, अपितु भारतीय लोक–साहित्य पर भी पड़ता है। मानसून आने पर केवल दादुर ही नहीं टरटराते, मोर ही नहीं नाचते, बल्कि भारतीय कृषक, युवक–युवतियां सभी उल्लासमय होकर नाचने–गाने लगती हैं, झूमने लगते हैं। इस आनंद को, इस सपने को लोग झूमर, झूला, कजली, बारहमासा आदि लोक–गीतों तथा जट–जाटिन इत्यादि लोक नाटिका में अपनी वाणी देते हैं।

हिंदी में आषाढ़–सावन का महीना और अंग्रेजी में जून–जुलाई का महीना मानसून का समय होता है। दक्षिण भारत में मानसून का आगमन पहले होता है। वर्ष को तीन, छह या बारह भागों में बांटकर प्रत्येक मास के निजी सौंदर्य के विशिष्ट वर्णन की शैली को बारहमासा कहते हैं। बारहमासा की परंपरा सभी लोक भाषाओं में आई है। लोक साहित्य किसी भाषा और संस्कृति का जीवंत साहित्य होता है। वेद और पुराणों में जल के विभिन्न गुण धर्मों का स्थान–स्थान पर उल्लेख है।

अथर्ववेद में एक सूक्ति में बताया गया है, ''मैं भली–भांति रोगाणु रहित तथा रोगों को दूर करने वाला जल लेकर आता हूं, इस शुद्ध जल के सेवन से यक्ष्मा टी.बी. जैसे रोगों का नाश होता है, अन्य दूध, घी आदि द्रव्य में जल का महत्वपूर्ण स्थान है और इनमें जल अग्नि सहित निवास करता है।''

जल के सम्बन्ध में, हमारे रोजमर्रा के अनेकानेक कार्यों के लिए भी तार्किक आधार प्राप्त होता है, जैसे भोजन करने के पूर्व प्रार्थना करना, पवित्रता प्राप्त करने के लिए जल का प्रयोग करना, अनेक कर्मकांडों में विविध प्रकार से जल का प्रयोग करना आदि। जल के प्रति बदलता यह दृष्टिकोण हमें इसके प्रति अपना व्यवहार परिवर्तित करने का संदेश देता है। अपनी जीवनशैली को सही फ्रेम में तथा संजीदा

बनाने का जल हमसे अनुरोध करता है। जल हमसे चीत्कार कर कह रहा है कि आधुनिक जीवन शैली में यदि हमने परिवर्तन नहीं किया तो हम स्वतः अपने विनाश का कारण बनेंगे। नदियों के प्रदूषित जल के पीड़ित लोगों को देखकर यही संदेश हम तक जाता है कि जल चीत्कार कर रहा है। हमने पापनाशिनी, जीवनदायिनी नदियों को कचरे के ढेर में बदल दिया है। आज गंगा को हमने माई की जगह कमाई का जरिया बना दिया है।

मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है। प्रत्येक जीव एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। जमीन पर रहते हुए मनुष्य को यह बात कभी समझ में नहीं आती। वरिष्ठ साहित्यकार अमृतलाल जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि समुद्र में और हममें कितनी समानता है। हमारा हृदय धड़कता है, समुद्र गरजता है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके, उसकी खराबी को दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन–पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से एक ही बार अमृत निकला था, अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तप कर समुद्र का पानी बनता है, निराकार वाष्प ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाती है। इन बादलों को सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की जगहों पर तक हवाएं ले जाती हैं। मानसून की हवाएं जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक पहुंचती हैं तो वहां की ठंडक पाकर पहाड पर ठहर जाता है। पहाड़ मानसून से कहता है कि धरती, पशु–पक्षी, पेड़–पौधे और मनुष्य कब से तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। ऊंची अटारी पर से नीचे उतरो, वायु में से पुनः पानी बनकर धरा को तृप्त करो, धन–धान्य से पूर्ण करो, लोगों में।

आज जब पानी की स्वच्छता के साथ उसके संरक्षण का सवाल इतना बड़ा हो गया है कि इसे अगले विश्वयुद्ध तक की वजह बताया जा रहा है, तो यह देखना काफी दिलचस्प है कि भारतीय परम्परा में इसके समाधान के कई तत्व हैं। जल संरक्षण को लेकर छठ पर्व एक ऐसे ही सांस्कृतिक समाधान का नाम है। अच्छी बात है भारतीय डायस्पोरा के अखिल विस्तार के साथ यह पर्व देश–दुनिया के तमाम हिस्सों को भारतीय जल चिन्तन के सांस्कृतिक पक्ष से अवगत करा रहा है। करीब दो दशक पहले कई देशों के संस्कृति प्रेमी युवाओं ने बेस्ट फॉर नेक्स्ट नाम से अपने एक अभिनव सांस्कृतिक अभियान के तहत बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन नदियों के घाटों पर मनने वाले छठ व्रत पर एक डाक्यूमेंट्री बनाई। इन लोगों को यह देखकर खासी हैरत हुई कि घाट पर उमड़ी भीड़ कुछ भी ऐसा करने से परहेज कर रही थी, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो।

लोक की इससे बड़ी पहचान क्या होगी कि जिन नदियों के नाम तक को हमने इतिहास बना दिया है, उनके नाम आज भी छठ गीतों एवं लोक परम्पराओं में सुरक्षित हैं। काव्य की दृष्टि से कहें तो छठ पर्व आज परम्परा या सांस्कृतिक पर्व से ज्यादा सामयिक सरोकारों से जुड़े जरूरी सबक याद कराने का अवसर है। एक ऐसा अवसर है, जिसमें पानी के साथ मनमानी पर रोक, प्रकृति के साथ साहचर्य के साथ जीवन जीने का पथ और शपथ दोनों शामिल हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ रोकने और जलवायु को प्रदूषणमुक्त रखने के लिये किसी भी पहल से पहले सरकारें अगर अपने यहाँ लोक परम्पराओं की गोद में खेलते लोकानुष्ठानों के सामर्थ्य को समझ लें तो मानव कल्याण के एक साथ कई अभिक्रम पूरे हो जाएँ।

प्राचीन साहित्य में जल

यजुर्वेद में कहा गया है–"हे राजन, आप अपने राज्य के स्थानों में जल और वनस्पतियों को हानि न पहुँचाओ, ऐसा उद्यम करो जिससे हम सभी को जल एवं वनस्पतियाँ सत्त रूप से प्राप्त होती रहे।"

यजुर्वेद का उक्त मंत्र का अर्थ, ऐसे अनेक मंत्रों में एक है, जिनमें जल संरक्षण एवं जल की महत्ता की बात की गई है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में 'जल ही जीवन है' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वैदिक साहित्य में जल स्रोतों, जल के महत्व, उसकी गुणवत्ता एवं संरक्षण की बात बार–बार की गई है। जल के औषधीय गुणों की चर्चा आयुर्वेद (जो एक वेदांग है) के अतिरिक्त ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में भी मिलती है। यह माना गया है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पंचतत्वों से बना है जिसमें एक तत्व जल भी है। ऋग्वेद का नदी सूक्त नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन की कामना का संदेश देते हैं।

अथर्ववेद में कहा गया है यज्ञाग्नि से धूम बनता है, धूम से बादल बनते हैं एवं बादलों से वर्षा होती है। इन्द्र वृत्त आख्यान भी जल के महत्व एवं संरक्षण को प्रतिपादित करता है। इन्द्र, वर्षाजल को बाधित करने वाले दैत्य बाम्बियों पर आधारित है। इसे द्राकाजल कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि कुछ पेड़ों की उपस्थिति वहाँ भूगर्भीय जल होने की संभावना को निरूपित करती है। छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है जल ही जीवन का मूल है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती।

आचार्य भृगु ने शिल्प संहिता को तीन हिस्सों में विभाजित किया है धातु

खंड, साधन खंड एवं वास्तु खंड। कृषि, जल एवं खनिज पदार्थों को धातु खंड में रखा गया है। द्रव्य पदार्थों की व्याख्या जल समूह से प्रारंभ होती है।

जल का वर्गीकरण आचार्य वाग्भट्ट ने किया है, वर्षाजल, प्रदूषित जल, समुद्री जल, गर्म जल एवं नारियल पानी। प्राचीन समय में जल को तालाब एवं झीलों में इकट्ठा किया जाता है। जल की उपलब्धता के लिये कुएँ खोदे जाते थे।

महान आयुर्वेदाचार्य सुरपाल ने लिखा है– दस कुएँ एक तालाब के बराबर, दस तालाब एक झील के बारे में दस झीलें एक पुत्र के एवं दस पुत्र एक पेड़ के बराबर हैं।

भारत में जल संरक्षण का एक बेहतरीन इतिहास है। यहाँ जल संरक्षण की एक मूल्यवान पारंपरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा है उदाहरण स्वरूप नदी, खादिन, तालाब, जोहड़, कुँआ इत्यादि देश के अलग–अलग हिस्सों में इनमें से अलग–अलग तरीकों को अपनाया गया जो वहाँ के जलवायु के उपयुक्त है।

सुश्रुत संहिता का 45वाँ अध्याय पेयजल पर है। उन्होंने जल को दो प्रकार में विभाजित किया है गंगा (शुद्ध) एवं समुद्र (अशुद्ध) गंगा को पुनः 4 (चार) प्रकारों में विभक्त किया है धारा, कश, तौशारा (इकट्ठा किया गया वर्षाजल) एवं हैमा (हिग संवत) उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन साहित्य में जल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उसे देवता का दर्जा मिला है (आपो देवता) साथ ही उसके स्रोत संरक्षण के तरीकों एवं उसके शुद्धीकरण की भी चर्चा है।

साहित्य में जल का अत्यन्त महत्त्व है, चाहे प्राचीन काल हो या मध्यकाल। प्रकृति जो आदिम युग से मनुष्य के जीवन का आधार रही है, आधुनिक जीवन में वह उससे छिनती जा रही है। जिन ऋतुओं की मर्यादा, उल्लास, आनंद, निश्छलता, सरलता, सामूहिक जीवन के रंगारंग पर्व, उत्सव और सरोकार, रचनाओं में दृष्टिगत थे उनके रंग आधुनिकता के रंग में फीके हो चुके हैं। साहित्य से पाठक दूर हो गया है उसका एक कारण साहित्य का प्रकृति से दूर होना भी है।

वर्तमान समय की आवश्यकता है साहित्य में जल के महत्त्व को उकेरना, क्योंकि मनुष्य ने विश्व की सबसे मूल्यवान और गतिमान जीवन तत्व को प्रदूषित कर दिया है। मध्य काल के कवियों ने जल को प्रेम, दर्शन, जीवन, प्रकृति, प्रतीक, रूपक, बिम्ब में गूँथकर एक सम्पूर्ण रूप दिया। उस साहित्य की आज पुनः आवश्यकता है, साहित्य में जल के महत्त्व को प्राचीनकाल से ही देखा जा सकता है।

प्रख्यात साहित्यकार महादेवी वर्मा जी ने भी जल के बारे में लिखते हुए कहा कि आग हूँ जिससे दुलकते बिंदु हिम जल के इन पंक्तियों से आभास होता है कि जल और जीवन या जल और साहित्य पर जल का कितना महत्त्व है। साहित्य में जल को अनेक साहित्यकारों, कवियों ने गम्भीरता से विचार कर महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है।

इस प्रकार अनेक कवियों ने जल के महत्त्व को समझते हुए अपने साहित्य में किसी–न–किसी रूप में उसका उल्लेख किया है। मध्यकालीन कवियों को भी जल की चिन्ता रही है उन्होंने जल संरक्षण को लेकर अपनी कविताओं में इसका उल्लेख किया है।

कबीर के साहित्य से यह पता लगता है कि अनेकों वर्ष पूर्व सिकन्दर लोदी ने नहरों से सिंचाई करने पर कर देने का नियम बनाया था। इस कारण सिकंदर लोदी के समय निर्धन कृषक अपनी सिंचाई कुओं या तालाबों से करते थे। गरीब किसान खेतों पर पानी जमा करने हेतु खेत की मिट्टी निकालकर उसे गहरा कर देते थे। इन खेतों को निचला खेत अथवा बोहड़ा कहा जाता था। कबीर ने अपनी साखियों में इन निचले खेतों के प्रयोग को अभिव्यक्ति दी है।

राम नाम करि बोहड़ा बादी बीच तघाई।
अन्तिकाल सूका पड़े तो निरफल कदे न जाई।

इसी प्रकार तुलसीदास जी का ध्यान प्राचीनकाल के पवित्र जलस्रोतों की ओर गया है क्योंकि उस समय ये प्रदूषित नहीं थे सूखा होने पर भी खेतों में पर्याप्त पानी मिलता था। उन्होंने इन पंक्तियों में तालाबों को सद्गुणों का अथाह भण्डार बतलाते हुए इन्हें महापुरुष के रूप में कहा है–

समिटि–समिटि जल भरहिं तलाबा
जिमि सद्गुण सज्जन यदि आबा।

उस समय की नदियों और तालाबों को सन्तों के हृदय के समान पवित्र और निर्मल माना जाता था। वे कहते हैं कि–

सरिता, सर निर्मल जल सोहा,
सन्त हृदय जस गत मद मोहा।

इस प्रकार मध्ययुगीन कवियों ने जल की पवित्रता का उल्लेख जगह–जगह साहित्य में किया है।

दुखद स्थिति यह है कि पवित्र कही जाने वाली नदियाँ आज प्रदूषित हो गई हैं। आज जल के प्रदूषण और संकट का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। प्राचीन कवियों व साहित्यकारों ने जिस प्रकार जल की पवित्रता और उपयोगिता को समझकर समाज के समक्ष उसकी तस्वीर प्रस्तुत की है, वर्तमान समय में भी वैसे ही जनचेतना की आवश्यकता है। फिर साहित्य तो समाज का दर्पण है, और रचनाओं के माध्यम से ही जन–जन को सन्देश देकर जल संकट की वर्तमान समस्याओं का निदान किया जा सकता है, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है और साहित्य में जल के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता।

तमाम उतार चढावों के बाबजूद भी लोक और माटी से जुड़े होने की अभिलाशा अब भी प्रत्येक भारतीय के मन में है। इस उम्मीद की ही देन है कि आजादी के बाद यह देश पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा है, जब नदियों खासतौर पर गंगा की स्वच्छता और सफाई जैसे मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बने हैं और वह भी सरकारी समझ–बूझ के कारण।

जल का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व

भारत में जल संसाधन समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं, साथ ही यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है जिसके संरक्षण की पारंपरिक विधि से लोग भलीभाँति परिचित हैं। जल को पूजनीय मानकर विभिन्न अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रथाओं आदि में इसका उपयोग किया जाना एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जो जल के उपयोग संबंधी ज्ञान के आधार पर हमारी पारंपरिक विरासत के मूल्य की पुष्टि करता है। जल की शुचिता और स्वच्छता कई क्षेत्रों में विस्तारित है। महिलाओं का जल पारिस्थितिकी से विशेष संबंध है।

महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में निर्मित जल निकायों में कुएँ, टैंक और यहाँ तक कि तालाब भी शामिल हैं, जैसे– पाटन, गुजरात में क्वींस स्टेप–वेल (रानी की वाव) और जोधपुर में रानी और पदम सागर। कर्नाटक में यागति और नागामंडला नामक टैंक के निर्माण का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है।

शिमला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अंतर्गत महिलाओं और पानी की सामुदायिक संस्कृति का वर्णन किया गया है जिसमें उत्तराखंड में गंगा यात्रा के साथ महिलाएँ 'गंगा गीत' के गायन के साथ विशिष्ट नृत्य करती हैं।

राजस्थान में मानसून के पहले एक पर्व मनाया जाता है जिसे 'लसिपा' कहते हैं। इस पर्व के दौरान गाँव के समस्त लोग एकत्र होकर सभी जल निकायों

की सफाई करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अंततः यह अनुष्ठान एक सामुदायिक दावत के साथ समाप्त होता है।

गणगौर और अक्खा तीज के त्योहारों के दौरान महिलाएं झीलों और टैंकों को एक साथ मिलकर साफ करती हैं।

उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि सभी सिंचाई चैनलों में पानी की आत्मा (मसान) मौजूद है, जो फसलों की सुरक्षा के लिये आवश्यक है।

राजस्थान का भवाई नृत्य जो मुख्यतः शीतला माता को प्रसन्न करने के लिये किया जाता है, में एक नर्तकी सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है, यह पारंपरिक रूप से एक कहानी से संबंधित है।

अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी की प्राचीन 'अपातानी जनजाति' इसका एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। वे धान के साथ मछली की सह–खेती करते हैं जो सदियों से एशिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं।

'अपातानी जनजाति' की कृषि प्रणाली जानवरों और आधुनिक मशीनों के बिना ही संपन्न होती है।

जीरो वैली एक पठार है, जहाँ घरों के उपयोग तथा कृषि सिंचाई के लिये पानी का मुख्य स्रोत एक छोटी नदी और कुछ जल–कुएँ है। सिंचाई हेतु नहरों और चौनलों के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरी घाटी में धान के खेतों की सिंचाई की जाती है।

आमतौर पर महिलाएँ इन खेतों का प्रबंधन करती हैं। धान के खेतों में इस्तेमाल होने वाला यह पानी बहकर घाटी में और खेतों में जाता है। बाद में पुनः वापस उस छोटी धारा में विलीन हो जाता है जो नदी में वापस मिलती है। इस तरह से यह घाटी में पानी का बारहमासी स्रोत है। घाटी में धान के क्षेत्र में आधुनिक संरचनाओं का निर्माण नहीं करने के लिये सख्त नियमों का पालन किया जाता है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करेगा।

इसी प्रकार विभिन्न जातियों एवं जनजातियों द्वारा पानी के उपयोग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने एवं संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

हमारी परम्पराओं, लोकाचार में जल के सम्बन्ध में अनेकों कहावतें भी प्रचलित हैं–

जल और कहावतें

- जल ही जीवन है।
- चेहरे का पानी उतर जाना।
- मरने के लिए चुल्लू भर पानी न मिलना।
- शर्म से चेहरा पानी पानी होना।
- आंख का पानी मर जाना।
- पानी पिला देना।
- वह रोना कैसा रोना, जब आंखों में पानी नहीं रहेगा।
- चुल्लू भर पानी में डूब जाना।
- पानीदार यहां का पानी, आग यहां के पानी में।

जल की बर्बादी को रोकना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार या शासन से अधिक जिम्मेदारी है आम जनता की। हर क्षेत्र में हो रहे जल के दुरुपयोग को देश का प्रत्येक नागरिक ध्यान देने लगे और जल संरक्षण, प्रबन्धन में विशेष भूमिका निभाने लगे तो यह संकट निश्चित ही दूर हो सकता है। आज जल की कमी को देखते हुए तरह–तरह की आशंकाएँ भविष्य के लिये की जा रही हैं। यदि सचेत नहीं हुए तो वह दिन दूर नही जब उन 90 करोड़ लोगों में शामिल होंगे जो पानी को तरसेंगे और जिसका सबसे बड़ा कारण है नगदी खेती, औद्योगीकरण, शहरीकरण और लाइफ स्टाइल में पानी का बेतहाशा खर्च।

अगर देखा जाये तो यह भारत में लगभग 60 वर्षों में जल की उपलब्धता एक तिहाई रह गई है। अतः 1952 के मुकाबले 33 फीसदी जल समाप्त हो चुका है और जनसंख्या पहले की अपेक्षा 33 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ से भी अधिक हो गई है, इस प्रकार तीन गुना अधिक की वृद्धि हो चुकी है और यह अभी तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। आज सभी भूजल पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, इसका परिणाम यह हो रहा है कि 'भूजल' स्तर हर साल एक फुट की रफ्तार से नीचे जा रहा है। इससे उत्तर भारत के 11 करोड़ से अधिक लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। यह आकलन अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा ने किया था।

जमीन का सीना चीरकर लगातार पानी खींचने का ही परिणाम है कि आज देश के 5723 में से 839 ब्लाक डार्क जोन में आ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में देश का कोई हिस्सा नहीं बच पाया है। उत्तर

भारत से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह जल को लेकर मारा–मारी है। देश के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 35 शहरों में किसी भी क्षेत्र में औसतन एक घंटे से अधिक पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। कई शहरों में टैंकर ही जल की आपूर्ति का साधन बन चुके हैं। पानी के लिये कतारों में लगना भी अब लोगों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है।

गाँवों में स्थिति और भी खराब है, पूर्व में जो जल पाँच मिनट की दूरी पर उपलब्ध होता था वह आज आधे घंटे चलकर उपलब्ध हो पाता है, और कभी–कभी नहीं भी। बुन्देलखण्ड, राजस्थान और गुजरात के गाँवों में यह स्थिति आम है और दक्षिण के राज्य भी अपवाद नहीं हैं। एक सर्वेक्षण में भारत में 15 फीसदी जलस्रोत सूखने की स्थिति में पहुँच चुके हैं। विश्व में सबसे अधिक, लगभग 20 लाख, ट्यूबवेल भारत में हैं और जो लगातार जमीन का सीना फाड़कर पानी खींच रहे हैं इससे विश्व बैंक के इस आकलन में कोई सन्देह नहीं होता कि अगले 25 वर्षों में भूजल के 60 फीसदी स्रोत खतरनाक स्थिति में पहुँच जाएँगे।

यह स्थिति भारत के लिये और भी दयनीय इसलिये है कि वहाँ जल का 70 फीसदी भाग, भूजल के स्रोतों से ही पूरा होता है। तब न फसल उगाने के लिये पानी होगा, न कल–कारखानों में सामान बनाने के लिये, कृषि और उद्योग धंधे भी बर्बाद हो जाएँगे और भारत की एक बड़ी आबादी जल की एक–एक बूँद को तरसेगी।

जल विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व लोगों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में भूजल भण्डार कभी खाली भी हो सकते हैं। कुछ फीट की खुदाई करो बस जल हाजिर, लेकिन कुछ वर्षों में भारतीय जनता ने इतनी बेरहमी से इनका दोहन किया आज ये बड़ी तीव्र गति में खाली हो रहे हैं। इसलिये आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह समाप्त हो जाएँगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट कहती है कि 2002 से 2008 के दौरान ही देश के भूजल भण्डारों से 109 अरब क्यूबिक मीटर (एक क्यूबिक मीटर = एक हजार लीटर) पानी समाप्त हो चुका है।

विगत वर्षों में स्थिति और बदतर हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के एक अध्ययन से यह बात दिलचस्प रूप से सामने आई है कि भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ ही देश में जल संकट और भी गहरा हो जाएगा। भारत में जी.डी.पी. बढ़ने से आय में वृद्धि हो रही है इससे जीवन शैली में तीव्र गति

से परिवर्तन हो रहा है एवं आधुनिक जीवन शैली के कारण पानी की खपत में बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति की पानी की माँग 85 लीटर है जो सन 2025 तक 125 लीटर होने की सम्भावना है।

वर्ष 2025 तक जनसंख्या में वृद्धि होने से यह लगभग एक अरब 45 करोड़ के आस–पास हो जाएगी। इससे प्रतिदिन पानी की माँग में कुल 8000 करोड़ लीटर की बढ़ोत्तरी होगी, जिसका सीधा प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ेगा। इस बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिये भूजल के स्रोतों की ओर ताकना पड़ेगा जिनमें से अधिकांश अनेक वर्षों पूर्व ही समाप्त हो चुके होंगे। अतः सरकार बढ़ी हुई माँग के अनुसार जल की आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाएगी। इसका कारण यह है कि वर्तमान समय में जल की उपलब्धता 3076 लीटर है जो उस समय तक घटकर आधे से भी कम रह जाएगी।

यदि वर्तमान जल संकट को देखते हुए भविष्य की ओर देखें तो सन 2025 में विश्व की आबादी 8 अरब और 2025 तक 9 अरब को पार कर चुकी होगी। यू.एन. वाटर का कहना है कि अगले 15 वर्षों में दुनिया के 180 करोड़ लोग ऐसे देशों में रह रहे होंगे जहाँ पानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इन देशों में घाना, केन्या, नामीबिया सहित बड़ी संख्या में अफ्रीकी व एशियाई देशों की होगी। अभी 6 में से 1 व्यक्ति जल के लिये जूझ रहा है उस समय दो तिहाई अर्थात साढ़े पाँच अरब लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे होंगे। शहरीकरण से समस्या और भी अधिक जटिल होगी।

विश्व बैंक के अनुसार सन 2020 तक दुनिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। नई शहरी जनसंख्या तक पानी पहुँचाना एक कठिन चुनौती होगी। संयुक्त राष्ट्र मानकों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए, पर स्थिति इससे बदतर है, विश्व के 6 में से एक व्यक्ति को इतना पानी नहीं मिल पाता है। यानी 89.4 करोड़ लोगों को बेहद कम पानी में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है।

भारतीय मानकों पर देखें तो एक व्यक्ति को रोजाना कम–से–कम 85 लीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन भारत में 30 फीसदी लोगों को ही यह मिल पा रहा है। इनमें से अधिकांश गाँवों के हैं, पर शहरों में भी हालत बिगड़ती जा रही है। सब–सहारा अफ्रीकी देशों जैसे– कांगो, नामीबिया, मोजंबिक, घाना इत्यादि देशों के दूरस्थ गाँवों में तो लोगों को महीने में औसतन 100 लीटर पानी

मुश्किल से मिल पाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में इस खर्चे में भारी कटौती करनी होगी। यह वर्तमान समय की स्थिति है। इससे यह बात सामने आती है कि जल का संकट किस तरह महासंकट की ओर अग्रसर है। देखा जाये तो आने वाले वर्षों में पानी की माँग और आपूर्ति में अन्तर लगातार बढ़ता जाएगा।

भारतवर्ष में अभी पानी की कुल माँग 700 क्यूबिक किलोमीटर है जबकि उपलब्ध पानी 330 क्यूबिक किलोमीटर है। सन 2050 में माँग करीब दुगुनी हो जाएगी। पानी की माँग में इजाफा, जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में कहीं तेजी से होगा। 1990 और 1995 के बीच यही हुआ था, इस दौरान दुनिया की आबादी तीन गुना बढ़ी लेकिन पानी की खपत 6 गुना से भी अधिक हो गई। यू.एन. वाटर के 2025 तक के अनुमान कहते हैं कि विकासशील देशों में पानी का दोहन 50 फीसदी और विकसित देशों में 18 फीसदी बढ़ेगा। वैश्विक जल संकट विशेषज्ञ और काउंसिल ऑफ कनाडा की सदस्य माउथी बारलों का कहना है कि सन 2050 तक मनुष्य के लिये पानी की आपूर्ति में 80 फीसदी की बढ़ोत्तरी करनी होगी।

प्रश्न यह है कि यह पानी कहाँ से आएगा, अभी यह कोई नहीं जानता। पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिये पानी का दोहन करना ही होगा अर्थात इससे जल संकट और भी बढ़ेगा। जिसके दुष्परिणाम उभरकर विस्थापन के रूप में आएँगे और यह विस्थापन का सबसे बड़ा कारण जल संकट होगा। अनेक क्षेत्रों में पानी समाप्त हो चुका होगा ऐसे में लोग उन क्षेत्रों में जाएँगे जहाँ पानी उपलब्ध होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सन् 2030 तक 70 करोड़ लोगों को अपने क्षेत्रों से विस्थापित होने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

जल के सम्बन्ध में अभिमत

- भारत में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर और विविधपूर्ण भंडार है और जल भी उसमें से एक है। इसका विकास और प्रबन्धन कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबी में कमी, पर्यावरणीय और निरन्तर आर्थिक विकास के लिए जल प्रबन्धन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल नीति, 2002 देश के जल संसाधनों को एकीकृत तरीके से विकसित और प्रबन्धित किए जाने की योजना है।

  — जल संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ई मैसेज

- 21वीं शताब्दी में वैश्विक जनसंख्या तीन गुनी हो गई है, लेकिन पानी का उपयोग सात गुना बढ़ गया है। सन् 2050 में हमारी जनसंख्या में तीन अरब

और लोग जुड चुके होंगें। मनुष्यों की जलापूर्ति में 80 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। कोई नहीं जानता कि पानी कहां से आयेगा।

– वैश्विक जल संकट विशेषज्ञ एवं कौंसिल ऑफ कनाडा की सदस्य माउथी बारलो द्वारा लिखित पुस्तक ''ब्लू कविनन्ट– नीला प्रतिज्ञापत्र''

- जल ही जीवन है और इस ग्रह के सभी प्राणियों को आपस में जोडे रखने वाला साधन भी यही है। संयुक्त राष्ट्र के हमारे सभी लक्ष्यों से यह सीधे तौर पर जुडा हुआ है– जच्चा–बच्चा का बेहतर स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन एवं शासन। इन कडियों की मान्यता के फलस्वरुप 2005–2015 को कार्यवाही का अन्तर्राष्ट्रीय दशक ''पानी जीवन है'' के रुप में घोषित किया गया।

  – बान की मून, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ, 22 मार्च 2010

- पानी बचाने के लिए जनता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरुक हो, जिस समय वह जाग्रत हो जायेगी, उसका पानी और जीवन दोनों ही बच जायेगा। साथ ही हमें पानी का निजीकरण बन्द करना होगा।

  – श्री अनुपम मिश्र, पर्यावरणविद्

आज जब दिनोंदिन हम अपना पानी का अनुचित विदोहन कर रहे हैं, तो पानी का प्रबन्धन महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरणविद्ो का मानना है कि जल प्रबन्धन के माध्यम से हम जीवन का प्रबन्धन कर सकते हैं।

प्राचीन भारत में जल स्त्रोत–

- कुंऐं
- तालाब
- बाबडियाँ
- जोहड
- झीलें
- नहर
- नदियां आदि

आधुनिक भारत में जल स्त्रोत

- तालाब

- कुंऐं
- झीलें
- नहर
- ट्यूबवेल
- हैण्डपम्प आदि।

पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य

पृथ्वी पर एक अरब 40 घन किलोलीटर पानी है, जिसमें–

- 97.5 फीसदी समुद्री पानी
- 1.5 फीसदी बर्फ
- 1.0 फीसदी जमीनी पानी नदी, सरोवर, कुआं, झरना और झीलों के रुप में है, जिसका 60वां हिस्सा खेती और उद्योग–कारखानों में खपत होता है तथा शेष 40वां हिस्सा पीने, भोजन बनाने, कपडा धोने, नहाने एवं साफ–सफाई आदि में खर्च होता है।
- इजराइल में औसतन मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिससे वह इतना अनाज पैदा कर लेता है कि वह उसका निर्यात कर सकता है, जबकि भारत में औसतन 50 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाबजूद अनाज की कमी बनी रहती है।
- जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है।

जल संकट और हम

- विश्व में प्रति 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है।
- प्रतिवर्ष 6 अरब लीटर बोतल पैक पानी मनुष्य द्वारा पीने के लिए प्रयुक्त होता है।
- मुम्बई में रोज वाहन धोने में ही 50 लाख लीटर पानी खर्च हो जाता है।
- दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई जैसे महानगरों में पाइप लाइनों के वॉल्व की खराबी के कारण रोज 17 से 44 फीसदी पानी बेकार बह जाता है।
- पिछले 50 वर्षों में पानी के लिए 37 भीषण हत्याकाण्ड हुए हैं।
- पानीजनित रोगों से विश्व में हर वर्ष 22 लाख लोगों की मौत हो जाती हैं।
- 70 देशों के 14 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने को विवश हैं।

- यदि ब्रश करते समय नल खुला रह जाता है, पांच मिनट में करीब 20 से 25 लीटर पानी बरबाद होता है।
- बाथटब में नहाते समय 300 से 500 लीटर पानी खर्च होता है, जबकि सामान्य रुप से नहाने में 100 से 150 लीटर पानी खर्च होता है।
- पीने के लिए मानव को प्रतिदिन 3 लीटर और पशुओं को 50 लीटर पानी चाहिये।
- आलू में 80 प्रतिशत और टमाटर में 95 प्रतिशत पानी होता है।
- 1 लीटर गाय का दूध प्राप्त करने के लिए 800 लीटर पानी खर्च करना पडता है।
- 1 किलो गेंहू उगाने के लिए 1 हजार लीटर, 1 किलो चावल के लिए 4 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

भारत के प्रमुख जल योद्धा

- श्री सुन्दर लाल बहुगुणा
- श्री राजेन्द्र सिंह राणा
- सुश्री राधा भट्ट
- सुश्री मेधा पाटेकर
- श्री अनुपम मिश्र
- प्रो0 ज्यां द्रेज
- श्री दीप जोशी
- सुश्री वन्दना शिवा
- डॉ. संजय सिंह
- डॉ. इन्दिरा खुराना
- वी. प्रकाश राव
- पी. गुरुस्वामी आदि।

जल प्रबन्धन के उपाय

- बारिश के पानी को खेत की मजबूत मेडबंदी कर खेत में ही रोकें।
- गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें।
- ढलान के उलट जुताई व फसल की बुआई करें।

- खेत की नमी को बचाये रखना चाहिये।
- बारिश के पानी को तालाबों में इकट्ठा करें। पुराने तालाबों को खोद कर गहरा करें, ताकि जरुरत से ज्यादा पानी तालाब में आ सके।
- बारिश के समय नालों में बहते पानी से सूखे कुंओं को भरे।
- जरुरत पड़ने पर ही सिंचाई करें।
- तालाबों में जलकुम्भी न उगने दें।
- नलकूपों व नहरों से पानी खेत तक कच्ची नाली के बजाय पी0वी0सी0 पाइप से पहुंचायें, इससे 15–30 फीसदी पानी की बचत होती है।
- फव्वारा विधि से खेती करने पर पानी की बचत 30–40 फीसदी होती है।
- ड्रिप सिंचाई से 50–70 फीसदी तक पानी की बचत होती है।
- खेत को समतल रखें। खाली पडी जमीनों में पेड़ लगायें।
- फसलों में खरपतवार न उगने दें।
- नहरों और बंबों की समय पर साफ–सफाई करते रहें।

जल प्रबन्धन के घरेलू उपाय

- यह जांच करें कि घरों में पानी का रिसाव न हो।
- आवश्यकतानुसार ही जल का उपयोग करें।
- इस्तेमाल के बाद पानी के नलों को बंद रखें।
- ब्रश करते समय नल बन्द रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें।
- नहाते समय फव्वारे के स्थान पर बाल्टी और टब का ही इस्तेमाल करें।
- ऐसी वांशिग मशीन का इस्तेमाल करें, जिसमें अधिक जल की खपत न होती हो।
- खाद्य सामग्री और कपडों को धोते समय नलों को खुला न छोडें।
- जल को नाली में न बहाये, बल्कि बगीचे, या कच्ची जगह में निकाल दें।
- पानी के हौज को खुला न छोडें।
- तालाबों, नदियों अथवा समुद्र में कूडा न फेंकें।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन दें।
- बच्चों में जल बचत की आदत विकसित करें।

जल प्रबन्धन में नागर समाज की भूमिका

- परम्परागत जल स्त्रोतों की पहचान कर, उन्हें खोजें।
- परम्परागत जल स्त्रोंतों को पुर्नजीवित करने के प्रयास करें।
- राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, कुंऐं, बाबडी, झील आदि की क्षेत्रफल व चौहद्दी सहित जानकारी प्राप्त कर उनके संरक्षण के प्रयास करें।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दशकवार वर्ष 1901 से अब तक राजस्व अभिलेखों से अपने– अपने क्षेत्र, गांव, कस्बे, नगर आदि में स्थित तालाब, कुंऐं, बाबडी, झील आदि की क्षेत्रफल व चौहद्दी सहित जानकारी प्राप्त करें।
- क्षेत्र के वृद्ध व्यक्तियों से भी जल के प्राकृतिक स्त्रोंतों की जानकारी लेकर शासकीय अभिलेखों का सत्यापन करें।
- प्राप्त अभिलेखों के आधार पर जनहित में, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, राजस्व विभाग/राजस्व मंत्री को प्रत्यावेदन देकर उक्त प्राकृतिक जलस्रोतों का भौतिक सत्यापन करायें तथा आवश्यकता पडनें पर उनके क्षेत्रफल के आधार पर अतिक्रमण/कब्जा हटवानें के लिए कानूनी कार्रवाई, जनपैरवी करें तथा जनहित याचिका दायर करें और जल–रक्षक, जल–बन्धु के रुप में कार्य करें।
- जल संरक्षण हेतु जनसुनवाई, जलयात्रा, जल बन्धु, जल सहेली मानव श्रंखला का आयोजन करें।
- जल संरक्षण हेतु जलप्रपत्र वितरण, केस स्टडी आलेखन, जलनाटक, जलगीत, जलकहानी लेखन आदि कर आम जनता तक पहुंचायें।
- मुहल्लेवार/कस्बेवार "जल संरक्षण समितियों" का गठन करें, तथा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से टपकते नलों को ठीक कर उन्हें जल के महत्व के विषय में अवश्य अवगत करायें।
- प्राथमिक से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जल संरक्षण व जल प्रबन्धन के टिप्स, केस स्टडीज शामिल करानें हेतु पैरवी करें।
- जल साक्षरता को बढावा देने के लिए जल पाठशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
- जल दूत, जल सेवक, जल मित्र, जल सहेली, जलपुत्र एवं जल योद्धा कैडर निर्माण किया जाये।

- नदी घाटी संगठन का निर्माण तथा संगठन द्वारा जल साक्षरता पर जोर दिया जाये।
- प्राकृतिक संसाधनों के समर्थन हेतु रैली, पदयात्राओं आदि का आयोजन किया जाये।
- ग्राम स्तरीय पेयजल सुरक्षा योजनाओं का निर्माण किया जाये।
- नदी पुनर्जीवन हेतु नदी बचाओ अभियान का आयोजन किया जाये, ताकि लोगों में जाग्रति पैदा हो सके।
- जल साक्षरता को विद्यालयी पाठ्यक्रमों में शामिल करने हेतु जनपैरवी की जाये।
- जल संरक्षण के कम लागत के मॉडल का निर्माण एवं उनके पुर्नस्थापना को बढावा देना
- समुदाय आधारित जल प्रबन्धन को बढावा दिया जाये।
- शोध एवं नीतिगत जनपैरवी की जाये।
- मीडिया एडवोकेसी के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये।
- चुनावी घोषणा पत्र में जल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राजनैतिक दल को संवेदित किया जाये।
- पेनसुलर और हिमालयन रिवर काउंसिल की स्थापना एवं उनको मजबूती प्रदान करना
- नदियों के साथ समाज का जुड़ाव के स्तर को मजबूत किया जाये।
- जल साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाये।
- जल संरक्षण से सम्बन्धित शासकीय नीतियों एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सामुदायिक निगरानी को बढावा दिया जाये।
- जल स्रोतों को जानने एवं पहचानने के सम्बन्ध में साप्ताहिक, मासिक, छमाही, वार्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाये।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु राजनैतिक दलों को संवेदित किया जाये।
- जलाधिकार कानून की सक्रिय पहल की जाये, आदि।

जल प्रबन्धन/जल संरक्षण में प्रशासन की भूमिका–

- राजमार्गों को छोडकर आर0 सी0 सी0 निर्माण पर रोक लगाई जायें, क्योंकि इससे पानी बहकर नालियों में जाता है तथा जलभराव की समस्या होती है।

चट्टानों की सडकों में एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच के जोड़ से पानी रिस रिस कर जमीन के अन्दर आ जाता है और भविष्य के लिए जल संरक्षण का काम करता है।

- प्राकृतिक तालाबों, बाबडियों, झीलों आदि से अतिक्रमण व अवैध कब्जे हटवाकर जल प्रबन्धन विषेशज्ञों की मद्द से उनका जीर्णोद्धार किया जाये।
- विभिन्न निधियों व योजनाओं के माध्यम से खुदने वाले तालाबों व लगने वाले हैण्डपम्पों की समुदाय आधारित समन्वित पूर्व योजना बनाई जाये, जिसमें आम समुदाय, स्वैच्छिक संगठनों व जल प्रबन्धन विशेषज्ञ शामिल हों।
- मैंथा जैसी खेती पर रोक लगायें तथा पेप्सी–कोला जैसी शीतल पेयजलों के लाइसेंस निर्गत न किए जाये।
- औद्योगिक कचरों को जलस्रोतों में न गिराने हेतु नियमों की सुनिश्चितता करें।
- टाउन प्लानशिप हेतु जलविशेषज्ञों से राय लेकर नीतियां बनायें।
- वर्षा जल संचयन हेतु जनता व प्रशासन दोनों पर ही जबाबदेही तय करते हुए जल विशेषज्ञों की मद्द से जलनीति बनाई जाये।
- जलस्रोतों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य न किया जाये।
- जलस्रोतों की सामुदायिक सहभागिता से सफाई कराये।

संदर्भ ग्रन्थ

- *जनपद, अंक 1952*
- *कुरुक्षेत्र मार्च 2006*
- *कुरुक्षेत्र मई 2007*
- *दैनिक राष्ट्रीय सहारा, 12 जुलाई 2008*
- *योजना, मार्च 2009*
- *कुरुक्षेत्र मार्च 2010*
- *फार्म एन फूड, जल प्रबन्धन विशेषांक, 1 मार्च 2010*
- *योजना, अप्रैल 2010*
- *कुरुक्षेत्र मई 2010*
- *शुक्ल अमित, 2011, जल, जीवन और साहित्य दशा–दिशा, भगीरथ (अंक जुलाई–सितम्बर 2011) केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली*
- *साहित्य में जल का महत्व, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय ठाकुद रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)*
- *सिन्हा विनोद कुमार, 2012, योजना अंक जुलाई 2012, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।*

* *स्मिता पाण्डेय, द्विवेदी धीप्रज्ञ, 2016, भारत में जल संरक्षण परम्पराएँ, योजना (अंक जुलाई, 2016) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।*
* *प्रकाश प्रेम, 2016, जल संरक्षण का लोकपर्व छठ पूजा, दैनिक जागरण, कानपुर संस्करण दिनांक 05 नवम्बर, 2016*
* *यादव गोवर्धन, 2017, लोक साहित्य में पर्यावरण चेतना, पर्यावरण डाइजेस्ट, मई 2017*
* *जल जन जोड़ो अभियान एवं परमार्थ समाजसेवी संस्थान, तरुण भारत संघ द्वारा प्रकाशित पत्रक एवं लघु पत्रिकायें।*

किशोरियों में एड्स जागरूकता की स्थितिः एक अध्ययन

(उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के नगरीय विद्यालयों के विषेश सन्दर्भ में)

विभा मिश्रा*

मानव शरीर की विशिष्टता और खास बनावट प्रकृति की अप्रतिम कृति है। प्रकृति अपने समस्त प्राणियों से उसके अनुसार ही चलने की अपेक्षा करती है। प्रकृति ने प्राणियों के जीवन संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। प्रकृति अपनी व्यवस्थाओं में किसी तरह की अनावश्यक दखलंदाजी नहीं चाहती। प्रकृति द्वारा बनाए नियमों का उल्लंघन एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा निश्चित रूप से मिलती है, अतः प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अन्दर ही जीवनयापन करना ठीक व लाभप्रद है। इसमें जरा भी लापरवाही खतरनाक है। एड्स का कहर इसी सबब का नतीजा है।

एड्स एक घातक बीमारी है जिसने विश्व के अधिकांश देशों को प्रभावित किया है। इसने केवल चिकित्सा जगत को ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लोगेां को चेतावनी दी है तथा भविष्य के बारे में सावधान कर दिया हे। सर्वप्रथम 1981 में अधिकारिक रूप से इस बीमारी की पहचान की गई थी। लेकिन अब यह विश्व के 152 देशों को प्रभावित कर चुकी है। इस रोग में मृत्यु दर बहुत उच्च है। भारत का संक्रमण में विश्व में तीसरा स्थान है।

एच0आई0वी0/एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी परिपक्वता अवधि लम्बी पायी जाती है। इस स्थिति से प्रभावित लोगों को अक्सर होने वाले अवसरवादी संक्रमणों के इलाज की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे मामलों के घर पर आधारित देखभाल अत्यन्त आवश्यक है। एच0आई0वी0 संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति की प्रतिरोधक प्रणाली धीरे–धीरे कमजोर होती जाती है। अन्ततोगत्वा व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि विभिन्न बीमारियों के कीटाणुओं से लड़ने में असमर्थ हो जाता है और शरीर इन बीमारियों का शिकार जल्दी हो जाता है, जैसे टी0बी0, निमोनिया आदि।

---

* *पूर्व परामर्शदाता, जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद*

शरीर में एच0आई0वी0 विषाणु के प्रवेश के पश्चात् तुरन्त लक्षण प्रकट नहीं होते, परन्तु एड्स एक ऐसा भयंकर रोग है जो एक बार होने पर जीवन पर्यन्त रहता है। चूंकि इसका संचय काल लम्बा होता है (7–10 वर्ष) अतः इसके लक्षण भी धीरे–धीरे प्रकट होते हैं। बच्चों में संक्रमण के पश्चात् इसके शीघ्र ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती। पुरूषों में औसतन 2.5 वर्षों में तथा बच्चों 6 माह से एक वर्ष के भीतर इसके लक्षण प्रकट हो सकते हैं। यदि रक्तदान से संक्रमण हुआ तो 45 दिन के अन्दर लक्षण देखे जा सकते हैं। एड्स विषाणु के शरीर में प्रवेश के पश्चात् रोग की चार अवस्थायें होती है।

1. **तीव्र संक्रमण या तीव्र परिवर्तन अवस्था** :– यह रोग की पहली अवस्था है। रोगी विषाणु का वाहक रहता है। रोग के लक्षण कभी–कभी प्रकट नहीं होते। किसी–किसी व्यक्ति में एच0आई0वी0 के प्रवेश से छः सप्ताह पश्चात् रोगी को ज्वर होता है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। इसको सरिमी परिर्वतन अवस्था कहते हैं। यह अवस्था तीन वर्ष तक रहती है।
2. **सर्वव्यापी जीर्ण लसिका ग्रन्थि विकृति** :– एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति की लसिका ग्रन्थियों में सूजन आ जाती है तथा उनका आकार बढ़ जाता है जिससे इनका परीक्षण करने पर भी पता नहीं लगता। इस अवस्था में शरीर में एण्टीबॉडीज बनने लगते हैं, रक्त की जाँच के परिणाम धनात्मक मिलते हैं।
3. **लक्षण उभरने की अवस्था** :– तीव्र संक्रमण के पश्चात् कई वर्षों तक एच0आई0वी0 रोगी के शरीर में चुपचाप बना रहता है। व्यक्ति में आरम्भिक प्रकार के रोग लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं लेकिन वे भी कई वर्षों के बाद।
4. **पूर्णतया स्पष्ट एड्स रोग की अवस्था** :– यह रोग की अन्तिम अवस्था है। इस अवस्था में रोग के लक्षण पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है।

एड्स जितना ही भयानक रोग है उतनी ही तीव्र गति से विश्व में यह फैल भी रहा है। अर्थशास्त्री मायो थान्ट ने इस ओर गम्भीर चेतावनी दी है कि समाज का सर्वाधिक युवा समूह विशेषकर महिलाएं जब संक्रमित होंगी तब यह अनेक कठिनाइयों को जन्म देगी। आस्ट्रेलियाई जनसंख्या सम्मेलन द्वारा जारी रिपोर्ट कम चौकाने वाली नहीं थी। इसमें कहा गया था कि भारत में सर्वाधिक एड्स रोगी

होगें और शीघ्र ही भारत इस समयावधि में अफ्रीका का स्थान ले लेगा। यह बात आज सच साबित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में एड्स से सर्वाधिक मौतें होगी। इसका एक प्रमुख कारण अशिक्षा तथा अज्ञानता है। एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा किए गए अध्ययनों से जानकारी मिलती है कि असम में रोजनदारी मजदूरी वाले अधिकांश मजदूर 82.3 प्रतिशत एवं 43 प्रतिशत गृहणियां ऐसी हैं जो एड्स से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि लगभग 54 प्रतिशत लोग तो ऐसे भी मिले जो यह समझते हैं कि एड्स का संक्रमण भोजन, कपड़ों, हवा और पानी से फैलता है।

एड्स के विश्वव्यापी प्रसार, व्यापकता एवं रोग की घातकता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा जगत में तो हलचल होना स्वाभाविक ही था लेकिन जनमानस का इसके लिए चिन्तित होना इस रोग की विनाशकारी लीला के प्रति सजगता एवं चिंता को दर्शाता है, अतः रोग के बचाव के लिए देश में एड्स रोगियों एवं एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों का सर्वेक्षण एवं निगरानी कराना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त रोग निदान के प्रयोशालाओं को तैयार करने एवं एच0आई0वी0 केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता को भी महसूस किया गया है।

एड्स जैसा कि आज के युग में इसके नाम से ही ज्ञात है कि यह विश्व की एक भयंकर बीमारी बन हम सभी लोगों के सामने है। एड्स एक घातक बीमारी है तथा यह बड़ी तीव्रता के साथ लोगों में फैल रही है, अतः इसकी तीव्रता को देखते हुए यह महसूस किया जाये कि इसके विषय में पर्याप्त जानकारी, तथ्यों एवं आँकड़ों को एकत्रित किया जाय तथा जो लोग इस बीमारी के भयंकर परिणामों से अनभिज्ञ हैं उन्हें एड्स बीमारी के विषय में जानकारी प्रदान की जाये।

एड्स एक संक्रामक बीमारी है परन्तु इसका संक्रमण सामान्य रूप से जैसे हाथ मिलाने, साथ भोजन करने, छींकने से नहीं होता है। एड्स का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति को रक्त और शरीर के अन्य द्रव ही बीमारी पैदा करने वाले वायरस का संवाहक है। एड्स का संक्रमण मुख्यतः चार कारणों से होता है, असुरक्षित यौन सम्बन्धों से, एड्स संक्रमित रक्त संचारण से, एड्स संक्रमित माँ से शिशु को, नशीले पदार्थों के सेवन से। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी वर्तमान समय में अब तक कोई कारगर दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। एड्स की कारगर दवा के लिए निरन्तर प्रयोग किये जा रहे हैं चूँकि एड्स के लिए कुछ इलाज उपलब्ध है परन्तु इसका इलाज इतना मंहगा है कि सभी व्यक्ति उसे अपना नहीं

सकते हैं, अतः लोग इस बीमारी के विषय में उसके उपचार, बचाव के विषय में पर्याप्त जानकारी दी जायेगी तो लोग इस बीमारी से बच सकेंगे जिसके कारण इलाज पर होने वाले धन का व्यय भी नहीं होगा। वर्तमान में किया गया सूक्ष्म अध्ययन भविष्य के लिए एक आधार स्तम्भ का कार्य करता है इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए वर्तमान में इसके विषय में अध्ययन किया गया ताकि आने वाले समय में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।

वर्तमान अध्ययन के लिए किशोरियों को चुना गया है। प्रस्तुत अध्ययन में किशोरियों की आयु 12 वर्ष से 17 वर्ष तक मानी गयी है। यह अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में किशोरियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी गुणों का विकास होने लगता है। आज की किशोरियां कल पत्नी, माँ आदि रूपों देखी जाएगी और उनको इन नामों के अनुकूल दायित्व संभालना पड़ेगा, इसलिए किशोरियों को एड्स नामक महामारी के सम्बन्ध में जानकारी देना नितान्त आवश्यक है क्योंकि जब भविष्य में दुर्भाग्यवश उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो, तब वे पहले से ही सावधान रहें, इसलिए कहा जा सकता है कि एड्स/एच0आई0वी0 के विषय में किशोरियों को जागरूक करना अत्यन्त आवश्यक है।

उद्देश्य :– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 12–17 वर्ष तक की किशोरियों में एड्स के जागरूकता के स्तर का पता लगाना। यह ज्ञात करना कि किशोरियों में अगर एड्स के विषय में जागरूकता नहीं है कि यह बीमारी कब, कैसे, कहाँ से लोगों को संक्रमित कर देती है तो इसका कारण ज्ञात करना तथा इसके साथ ही यह भी ज्ञात करना कि अगर किशोरियों को एड्स के विषय में जानकारी है तो उनको इस बीमारी के विषय में कितनी जानकारी है तथा उनको यह जानकारी किस माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत हैं :–

- उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र तैयार करना।
- एड्स जागरूकता के स्तर को ज्ञात करना।
- जागरूकता के अभाव को पता लगाना।
- एड्स जागरूकता में विभिन्न संगठनों की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध विधितन्त्र :– प्रस्तुत शोध फैजाबाद जनपद के बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों में एड्स जागरूकता का स्तर ज्ञात करने तथा अभाव के कारणों को दूर करने हेतु सम्पन्न किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जनपद है। मुगल काल में इस शहर को फैजाबाद नाम दिया गया तथा इसे अवध की राजधानी बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम में इस शहर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। फैजाबाद डॉ0 राम मनोहर लोहिया व आचार्य नरेन्द्र देव की जन्म स्थली है। फैजाबाद 1955.10 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह शहर लखनऊ से 120 किमी. पूरब में लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग पर स्थित है। फैजाबाद के पश्चिम में बारांबकी है, उत्तर में गोण्डा, पूरब में बस्ती व अम्बेडकरनगर है तथा दक्षिण में सुल्तानपुर जिले स्थित हैं। सरयू और मडहा नदी यहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि 'वशिष्ठ मुनि' सरजू नदी को मानसरोवर से लाये थे। यहाँ की भूमि उपजाऊ है तथा इसे दो भाग में बाँटा गया है ऊँची जमीन एवं नीची जमीन। नीची जमीन माझा क्षेत्र में आती है तथा बाकी जमीन ऊँची जमीन के अन्तर्गत आती है।

अध्ययन के समग्र रूप मे फैजाबाद जनपद के सन्दर्भ में चुने गये बालिका विद्यालयों (आर्यकन्या इण्टर कालेज, राजकीय बालिका इण्टर कालेज) में उपस्थित 12 वर्ष से 17 वर्ष तक आयु की बालिकाओं को सम्मिलित किया गया। अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग करते हुए 70 छात्राओं का चयन किया गया, चूँकि अध्ययन का उददेश्य किशोरियों में एड्स जागरूकता का स्तर ज्ञात करना था, इसीलिए इस निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का मुख्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया गया तथा समूह चर्चा एवं अवलोकन का भी प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनरत किशोरियों में एड्स जागरूकता के निष्कर्ष निम्नवत् है :–

उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र :– इसके अन्तर्गत उत्तरदाताओं के वर्ग, धर्म, व्यवसाय, वार्षिक आय का अध्ययन किया गया।

- सर्वेक्षित विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के शैक्षिक स्तर के अन्तर्गत सर्वाधिक (42.80 प्रतिशत) 11वीं में अध्ययनरत तथा (10.00 प्रतिशत) 8वीं में अध्ययनरत थी।
- अध्ययन में (85.70 प्रतिशत) हिन्दू उत्तरदाता थे जिसमे से (60.00 प्रतिशत) सामान्य वर्ग के थे तथा (7.10 प्रतिशत) अनुसूचित जाति वर्ग के थे।

- अध्ययन में (50.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अभिभावकों का व्यवसाय नौकरी था जबकि सबसे कम (2.80 प्रतिशत) अन्य व्यवसाय कर रहे थे।
- सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक (45.70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय 5000–10,000 में मध्य थी तथा (5.71 प्रतिशत) की वार्षिक आय 25,001–30,000 के मध्य में थी।

एड्स जागरूकता का स्तर :– इसके अन्तर्गत उत्तरदाताओं की एड्स बीमारी के विषय में जागरूकता के स्तर को ज्ञात किया गया जो निम्नवत् है–

- अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरदाता (98.50 प्रतिशत) एड्स को लाइलाज बीमारी मानते थे तथा सबसे कम (1.40 प्रतिशत) किसी अन्य बीमारी को लाइलाज बीमारी मानते थे।
- केवल 45.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एच0आई0वी0 का पूरा नाम ज्ञात था और 78.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रक्त जांच को ही एच0आई0वी0 का परीक्षण माना था।
- 74.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एड्स का पूर्ण नाम ज्ञात था जबकि 18.50 प्रतिशत लोगों को एड्स का पूरा नाम नहीं मालूम था।
- सर्वेक्षित क्षेत्र में (85.70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने एड्स (ड्रग्स, गर्भवती माँ से बच्चे को, संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन सम्बन्ध) के द्वारा होना मानते थे, जबकि 14.20 प्रतिशत ने असुरक्षित यौन सम्बन्ध से एड्स को होना मानते थे।
- अध्ययन क्षेत्र में (77.10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने एड्स फैलने का कारण (हाथ मिलाने से, साथ भोजन करने से, मच्छर काटने से, चूमने से) को माना था।
- सर्वेक्षित क्षेत्र के उत्तरदाता (48.50 प्रतिशत) एस0टी0डी0 को यौन संचारित रोग मानते थे, एवं उन्हें एस0टी0डी0 का पूर्ण नाम भी ज्ञात था।
- अध्ययन क्षेत्र के (37.10 प्रतिशत) उत्तरदाता एस0टी0डी0 को ही एच0आई0वी0 संक्रमण का कारण मानते थे, जब कि 17.10 प्रतिशत उत्तरदाता एस0टी0डी0 को एच0आई0वी0 संक्रमण का कारण नहीं मानते थे।
- सर्वेक्षित क्षेत्र के 32.80 प्रतिशत उत्तरदाता टी सेल के नष्ट होने को एड्स होने का कारण मानते थे, जबकि 5.71 प्रतिशत ए सेल को मानते थे।

- सर्वाधिक (90.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कंडोम को ही एड्स बचाव का उपाय मानते थे, जबकि सबसे कम (4.28 प्रतिशत) इस विषय के प्रति अनभिज्ञ थे।
- अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक (61.40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ट्रक ड्राइवर, ड्रग्स लेने वाले युवा वर्ग, वेश्याओं को भारत में एड्स का प्रभावित वर्ग माना था।
- सर्वेक्षित क्षेत्र के (64.20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना था कि भारत में यौन जनित संक्रमण ही एड्स के ज्यादा फैलने का कारण है, जबकि 1.42 प्रतिशत हरे बन्दरों को मानते थे।
- सर्वाधिक उत्तरदाताओं (47.10 प्रतिशत) मानते थे कि एड्स 15—25 आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि सबसे कम (4.28 प्रतिशत) लोगों ने 05—15 वर्ग को मानते थे।
- सर्वेक्षण में 54.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वजन का तेजी से घटना, जुकाम/खाँसी व ज्वर का बना रहना, निमोनिया हो जाना एड्स का सामान्य लक्षण है जबकि सबसे कम (18.50 प्रतिशत) जुकाम/खाँसी व ज्वर का बना रहना एड्स का लक्षण माना था।
- सर्वेक्षित क्षेत्र के उत्तरदाताओं में (65.70 प्रतिशत) राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी को भारत में एड्स पर कार्य करने वाला सरकारी संगठन मानते थे, जबकि सबसे कम (7.14 प्रतिशत) नाको (राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल सोसाइटी) को मानते थे।
- सर्वाधिक (91.40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना था कि 01 दिसम्बर को एड्स दिवस मनाया जाता है।
- सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि 97.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना था कि वह अपने होने वाले जीवन साथी का एच0आई0वी0 परीक्षण करवायेगी, जबकि सबसे कम (2.85 प्रतिशत) के अनुसार वह परीक्षण नहीं करवायेगी।
- अध्ययन क्षेत्र में (41.40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना था कि 01—02 वर्षों में एड्स अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि सबसे कम (11.40 प्रतिशत) ने 03—04 वर्षों में माना था।
- सर्वाधिक (75.70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना था कि टी0वी0 के द्वारा एड्स के विषय में जानकारी हुई थी, जबकि सबसे कम (2.85 प्रतिशत) ने किसी अन्य माध्यम को माना था।

- अध्ययन क्षेत्र में (57.10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना था कि एड्स सिर्फ समलैंगिकों को ही नहीं होता, जबकि सबसे कम (2.85 प्रतिशत) ने किसी अन्य को माना था।
- सर्वाधिक (85.70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना था कि एड्स रोगी के प्रति मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, जबकि सबसे कम (5.71 प्रतिशत) ने माना कि उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए।

एड्स जानकारी के अभाव के कारण :–

- सर्वेक्षण के पश्चात् ज्ञात हुआ कि (45.70 प्रतिशत) उत्तरदाता स्वयं की एड्स के प्रति जानकारी के स्तर को अपूर्ण मानते थे। साथ ही साथ 50 प्रतिशत किशोरियों ने रूढ़िवादिता, संस्कार, रीति–रिवाज, अज्ञानता, छोटे–बड़े में भेद, खुलकर बात–चीत न होना को एड्स के प्रति अनभिज्ञता का कारण बताया।
- सर्वाधिक (71.40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि हाँ परिवार में एड्स पर चर्चा होती है, जबकि 28.60 प्रतिशत किशोरियों के परिवारों में एड्स पर चर्चा नहीं होती है।
- अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक (97.10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि विद्यालय में एड्स पर जानकारी दी जानी चाहिए।
- सर्वेक्षित क्षेत्र के (34.20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि एड्स की रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम ढ़ंग से क्रियान्वित न होने का कारण नीतियों का सही ढ़ंग से लागू न होना था, जबकि 15.70 प्रतिशत का सहयोग न होना मानते थे।

विभिन्न संगठनों की भूमिका :–

- सर्वेक्षित क्षेत्र में सर्वाधिक (21.42 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यूनीसेफ, तथा मुक्ति फाउंडेशन को एड्स पर कार्य करने वाला गैर सरकारी संगठन माना था, जबकि सबसे कम (11.42 प्रतिशत) स्पर्श को मानते थे।
- सर्वाधिक (94.20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि टी0वी0 पर एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम देखती हैं जबकि सबसे कम (1.42 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें पता नहीं है।
- 92.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि व दूरदर्शन चैनल पर एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम देखती हैं तथा सबसे कम (2.85 प्रतिशत) ने माना कि वह सोनी चैनल पर कार्यक्रम देखती हैं।

- 78.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि एड्स दिवस पर विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- सर्वाधिक (58.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने रैली, निबन्ध, प्रदर्शनी, नाटक, फिल्म को एड्स दिवस पर संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को स्वरूप माना था जबकि सबसे कम (1.42 प्रतिशत) ने फिल्म को माना था।
- अध्ययन क्षेत्र में (78.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना था कि मीडिया का एड्स पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यमों से एड्स रोकने मे सहायता देनी चाहिए, जबकि 1.42 प्रतिशत ने वृत्तचित्र को माध्यम माना था।

सुझाव :– एड्स एक घातक एवं लाइलाज बीमारी है और समाज में यह तीव्र गति से फैलती है अतः इसके रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं :–

- परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है तथा सभी लोग खुलेपन से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अतः परिवार में खुली चर्चा के माध्यम से एड्स के विषय में विचारों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए।
- केन्द्र एवं सभी राज्य सरकारों को बीमारी की घातकता को देखते हुए इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर पढ़ाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में युवा वर्ग इस बीमारी के विषय में जागरूक रहें, तथा लोगों को भी जागरूक बनाए। अतः इसके साथ ही साथ कॉपियों में भी अन्तिम पृष्ठ पर एड्स के विषय में कुछ आवश्यक जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक जानकारी पहुँच सके।
- सूचना के प्रचार प्रसार का एक माध्यम दैनिक समाचार पत्र भी है जिसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकती है अतः समाचार पत्रों में एक कॉलम एड्स पर आधारित होना चाहिए जिसमें लोगों को जानकारी देने के साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया जाना चाहिए।
- विद्यालय शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है यहीं पर एक बालक के भविष्य का निर्माण किया जाता है अतः विद्यालयों में एड्स पर जानकारी देने के लिए एड्स दिवस पर सेमिनार, गोष्ठियों, विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे निबन्ध, चित्रकला, कैम्प के माध्यम से लोगों में जानकारी दी जानी चाहिए जहाँ वह सहजता के साथ शिक्षकों से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को भी शान्त कर सकते हैं।

- मनोरंजन के साथ दिया गया ज्ञान ज्यादा सशक्त माना जाता है अतः इसके लिए टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रम दिखाये जाने चाहिए जिसमें लोगों का मनोरंजन भी हो और अधिक से अधिक जानकारी का भी प्रसार हो। इसी क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण क्षेत्र में कठपुतली के कार्यक्रम, रैली, नुक्कड़ नाटक, डाक्टरी परामर्श के माध्यम से जानकारी का प्रसार करना चाहिए जिसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए ग्रामवासियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कार्यक्रम अधिक प्रभावी होगा।
- भारत गाँवों का देश है जहाँ पर आज भी संचार के माध्यमों में रेडियो की प्रमुख भूमिका है अतः इस क्षेत्र में रेडियो के माध्यम से एड्स बीमारी के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। रेडियो पर टेलीफोन के माध्यम से जानकारी के आदान प्रदान से कार्यक्रम में भी रूचि होगी और जानकारी का प्रसार भी होगा।
- 1097 जो कि एड्स की हेल्प लाइन है की सुविधा का प्रयोग जिले स्तर पर किया जाना चाहिए और इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए इसके साथ ब्लाक स्तर पर भी इस सुविधा का प्रसार किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

- *भार्गव, योगेन्द्र सिंह (1991), ''प्राण घातक एड्स'', मैरीलैण्ड प्रकाशन, बीकानेर।*
- *शर्मा, रमन लाल (1998), ''एड्स (एड्स संक्रमण से बचाव के लिए मार्ग दर्शिका)'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।*
- *अवस्थी, नरेन्द्र मोहन (2005), ''पर्यावरणीय अध्ययन'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।*
- *सिंह, सूर्यभान (2005), ''एड्स प्राण घातक रोग'', बाल शिक्षा पुस्तक संस्थान, दिल्ली।*

भारतीय संविधान एवं मानव अधिकार : अनुसूचित जाति के विशेष सन्दर्भ में

संदीप कुमार सोनी*, डा0 आशुतोष पाण्डेय**

प्रस्तावना

भारत एक प्राचीन परम्पराबद्ध सभ्यता एवं संस्कृति वाले समाज के रूप में विश्व विख्यात रहा है। यहाँ वर्ण, धर्म, जाति, सामाजिक मान्यताओं, रीति–रिवाज, रहन–सहन, खान–पान इत्यादि में विविधता पायी जाती है, तदनुसार राजनीतिक व्यवस्था में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है जिसका उदाहरण हमें अनेक राजनीतिक दलों, उनकी विचारधारा, कार्यपद्धति इत्यादि में दृष्टिगोचर होती है। भारतीय संस्कृति ने इन विभिन्नताओं को एकजुट कर अनेकता में एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की संरचना में अमानवीय भेद–भाव भी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे हैं, इन भेदभावों के प्रति समय–समय पर आन्दोलन भी चले हैं। समाज सुधारकों, लेखकों, पत्रकारों, मीडिया–संस्थानों तथा अन्य अनेक बौद्धिक वर्गों ने भी इनका मुखर विरोध किया है। इन भेदभावों के प्रति संविधान सभा भी चिन्तित थी जिसके उन्मूलन हेतु सदस्यों ने भारत के संविधान में अनेक उपबन्ध भी किये जो काफी सार्थक रहे हैं और सम्पूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधने में लाभकारी सिद्ध हुए है। इस शोध पत्र में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकार के परस्पर सम्बन्धों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है साथ ही साथ अनुसूचित जातियों के सन्दर्भ में किये गये प्रावधानों का विश्लेषण कर उनका अध्ययन किया गया है।

मानव अधिकार का आशय

मानव अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त ऐसे न्यूनतम अधिकार हैं जिसमें स्वतन्त्रता, समानता, भयमुक्त, दासतामुक्त जीवन जीने का अधिकार सभी को प्राप्त है। अबाध रूप से जीवन जीने का अधिकार, विचार–अभिव्यक्ति, खान–पान,

* *शोध छात्र, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।*

** *एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।*

धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने, काम करने, शिक्षा ग्रहण करने आदि अधिकार मानव अधिकार को अर्थांकित करते हैं। मूल रूप से मानव अधिकार, मानव और अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें अधिकार शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए लास्की ने लिखा है कि 'अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां जिसके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।'

मानव अधिकार का ऐतिहासिक क्रम

मानव अधिकारों की अवधारणा की प्राचीनता मानव जाति, समाज और राज्य की प्राचीनता के समकक्ष मानी जाती है जो मानव के सुख से जुड़ी है। वर्तमान मानव अधिकारों के संरक्षण के ऐतिहासिक विकास क्रम को ब्रिटेन के 1215 के मैग्नाकार्टा से माना जाता है। इंग्लैण्ड की गौरवपूर्ण क्रांति (1688) व फ्रांसीसी क्रान्ति (1789) ने मानव अधिकारों के प्रति विश्व समुदाय को सजग किया तथा विश्व पटल को स्वतन्त्रता, समानता व बन्धुत्व जैसे मानवतावादी विचार दिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व का प्रथम देश था जिसने 1791 में अपने नागरिकों को लिखित में अधिकार प्रदान किए। मानव अधिकार के प्रति प्रथम विश्वव्यापी पहल द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गयी जिसने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की तथा महासभा ने इसे 16 दिसम्बर 1966 को पारित कर दिया। इसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ा, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारम्भिक सदस्य था। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के बाद भारत ने भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किया तथा अपने संविधान में मूल अधिकारों के रूप मे इन मानव अधिकारों का समावेश किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु भारत की चिन्ता की एक और अभिव्यक्ति है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गयी थी।

मानव अधिकार व अनुसूचित जातियाँ

मानव के सर्वांगीण विकास के लिए दिये गये अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। वास्तव में यह अधिकार व्यक्ति में जन्म से अन्तर्निहित होते हैं। मानव अधिकार तथा मूल स्वतन्त्रतायें मानवीय गुणों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के विरूद्ध होने वाले अत्याचार एवं

अन्य अमानवीय कृत्यों के विरूद्ध अनेक प्रयास किये गये जिसके अन्तर्गत मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र सन् 1948, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 तथा अन्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं एवं प्रसंविदाओं के माध्यम से विश्व के प्रत्येक मनुष्य को मानवाधिकार प्रदत्त किये गये हैं। सभी राष्ट्रों का यह मौलिक एवं नैतिक कर्तव्य है कि वे सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करे तथा उनकी रक्षा करें।

मानव अधिकार के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाएं होने के बावजूद मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण जारी है। यह शोषण विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। भारत की प्राचीन सामाजिक संरचना में मानवीय भेदभाव के तत्व निहित थे जिनमें सबसे निम्न मानी जाने वाली अनुसूचित जातियो के अमानवीय शोषण का इतिहास रहा है। बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की मांग के लिए आन्दोलन चले स्वतन्त्र राष्ट्र का संविधान इन मांगों की प्रतिपूर्ति के प्रति सजग था। संविधान के द्वारा सदियों से उपेक्षा व शोषण का शिकार रही अनुसूचित जातियाँ मानवीय गरिमामय जीवन जीने के लिए स्वतन्त्र हुई। इन जातियों के लिए संवैधानिक उपबन्ध ने इनके अधिकारों के संरक्षण के साथ–साथ मानवाधिकारों की धारणा को सार्थक बनाने में भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुये हैं।

भारतीय संविधान एवं मानव अधिकार

भारतीय संविधान निर्माता, सामाजिक संरचना के जातिगत भेदभावों, शोषणकारी प्रवृत्तियों व सामन्ती सोच से भलीभाँति परिचित थे इन विभेदों को दूर करने के लिए संविधान में नागरिकों के अधिकारों व उनके संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान किए। उक्त प्रावधान मानव अधिकारों के सम्पूरक माने जा सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मूलतः नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है तथा इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपचारों की भी व्यवस्था करता है जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों से उपचार प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु संसद के द्वारा समय–समय पर कानून भी बनाये गये हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जो मौलिक अधिकारों के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों को प्रभावी करने में

सफल रहा है। इसके बावजूद मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं समय–समय पर दिखाई पड़ती रहती है। इसके लिए जिम्मेदार कारकों में पुरातन व दकियानूसी सोच सामाजिक मान्यताएं व अधिकारों के प्रति जागरुकता का अभाव प्रमुख है। इन कारको से अनुसूचित जातियां भी मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार हुई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा सामाजिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसमें धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। इस अनुच्छेद का बहुत व्यापक स्वरूप है यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक व शैक्षिक उन्नति के लिए कोई विशेष विधि बनाने से राज्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है। उक्त प्रावधानों ने अनुसूचित जातियों के सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया। संविधान सम्मत अधिकारों के प्रति जागरुकता ने इन जातियों के साथ पूर्व में हो रहे अत्याचारों को प्रतिबन्धित करने का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताएं कमजोर हुई तथा समतामूलक सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय सामाजिक–राजनीतिक संरचना में जातिगत आधार पर छुआछूत की प्राचीन परम्परा रही है। इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा 'अस्पृश्यता' का अन्त किया गया तथा इसके द्वारा उपजी निर्योग्यताओं को बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। कालान्तर में इसे और अधिक कठोर बनाया गया तथा इसका नाम बदलकर नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। यह खेद का विषय है कि इतने कठोर कानून होने के बावजूद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से अन्त नहीं हो पाया है। डा0 सुखदेव थोरात ने अपनी पुस्तक 'भारत में दलित' एक समान नियति के तलाश में लिखते हैं कि अस्पृश्यता की प्रथा आज भी भारत में जारी है ग्रामीण परिवेश में आज भी निम्न जातियों के हाथ से बना भोजन, उनके बर्तन में पानी पीना जैसे प्रतिबन्ध सामाजिक मान्यता के रूप में स्वीकार्य हो चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से शोषित अनुसूचित जातियों के लिए शोषण के विरूद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किये गये जिससे मानवीय शोषण को रोका जा सके इस सन्दर्भ में बँधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम अस्तित्व में आया जिससे अनुसूचित जातियों के प्रति होने वाले शोषण को रोका जा सके। अनुसूचित जातियों के मानव अधिकारों के अलावा समाज के अन्याय व उत्पीड़न की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारणा) अधिनियम 1995 बनाया गया जो इन

जातियों के संरक्षण के लिए विस्तृत दस्तावेज है जिसमें शोषण व भेदभाव के सभी रूप को गैरकानूनी घोषित किया गया है। उक्त एक्ट के अधीन अपराध किये व्यक्ति के लिए कठोर दण्ड व जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। इन जातियों को समाज के शोषण की रक्षा हेतु मूल अधिकार के अतिरिक्त संविधान के भाग–4 के अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य लोक–कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनायेगा, जिससे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। चूँकि अनुसूचित जातियाँ सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से उपेक्षा का शिकार रही हैं, इसलिए इन जातियों के शैक्षिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य को निर्देश दिये गये हैं। उक्त प्रावधानों को साकार रूप देने के लिए छात्रवृत्ति योजना, फीस माफी, निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए ब्याज रहित ऋण इत्यादि प्रदान किया जाता है।

अनुसूचित जाति के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक साधन शासन सत्ता में इन वर्गों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 द्वारा क्रमशः इन जातियों को लोकसभा व राज्यों की विधान सभा में इनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान देना सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा स्थानीय चुनावों में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243(डी) के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है इस उपबन्ध द्वारा इन वर्ग की महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। इन प्रावधानों का विश्लेषण किया जाये तो एक बात स्पष्ट होती है कि आरक्षित सीटों पर इनकी भूमिका निर्णायक होती है किन्तु भेदभाव का शिकार यह जातियाँ किसी न किसी रूप में आज भी हो रही हैं स्थानीय निर्वाचन में भेदभाव की घटनाएँ तो आम हो जाती हैं, यहाँ निर्वाचित महिला प्रधानों को कुर्सी पर बैठने तक नहीं दिया जाता है।

निष्कर्ष

अध्ययन के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान द्वारा अपनायी गयी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय एवं अवसर की समानता बिना किसी भेदभाव के प्रदान की गयी। किन्तु भारत जैसे बहुसांस्कृतिक एवं

विविधता प्रधान देश में मानव अधिकार की अवधारणा अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पायी है। जिसके कारण सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। निःसंदेह भारत सरकार ने समय के साथ–साथ अनेक कानूनों का निर्माण शोषित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए किया। परन्तु कानूनों का सही प्रवर्तन न होने के कारण इस वर्ग की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। बिना सामाजिक सहयोग के कानून प्रायः असहाय हो जाते हैं। अतः आम जनमानस तक मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता लाकर तथा इनका उल्लंघन करने पर उचित दण्ड का प्रावधान कर मानवाधिकारों की मूल अवधारणा के अनुरूप एक नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस नूतन सामाजिक–राजनीतिक संरचना में धर्म, मूलवंश जाति व लिंग आधारित विभेद नहीं होंगे जो अनुसूचित जातियों के लिए एक आदर्श भारतीय सामाजिक व राजनीतिक संरचना सिद्ध होगी।

सुझाव

मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु पर्याप्त संवैधानिक विधियाँ, अधिनियम आदेश व आयोग होने के बावजूद इन अधिकारों के उल्लंघन का क्रम जारी है। आज सम्पूर्ण विश्व में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास जारी है फिर भी इन घटनाओं पर पूर्णरूप से नियन्त्रण नहीं पाया जा सका है, भारत जैसे देशों में अनुसूचित जातियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय बनी हुई है। इन जातियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्न सुझाव दिये गये हैं।

1. इन जातियों के साथ हो रहे अमानवीय कृत्यों व विभेदों को रोकने के लिए समयानुसार कानूनों में परिवर्तन किये जाये। मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रति कठोर कानून बनाये जाये तथा उनको मिलने वाली समस्त सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाये।
2. मानव अधिकारों के प्रति लोगों की निष्ठा व विश्वास स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरुकता कार्यक्रम चलाये जाये।
3. मानव अधिकार के मुद्दे को सभी क्षेत्रों के विषयों में एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किये जाये जिससे इसके महत्व से सभी विषयों के छात्र परिचित हो सके।
4. मानव अधिकार आयोग को और अधिक अधिकार दिये जायें तथा उसी के अनुरूप राज्यों के मानवाधिकार आयोग को सुदृढ़ किया जाये।

5. मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों के लिए कार्य करने वाले लोगों की भर्ती की जाये तथा इन्हें उचित व नियमित वेतन प्रदान किया जाये।

संदर्भ ग्रन्थ

- *डा0 कोठारी, रजनी, भारत में राजनीति, ओरिएन्ट ब्लैक स्वान प्रा0लि0 हिमायत नगर हैदराबाद तेलंगाना पुर्न मुद्रित 1992 पृ0 174*
- *गाबा, ओम प्रकाश, राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2008, पृ0 317*
- *कश्यप, सुभाष, भारत का संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, 2008, पृ0 125*
- *कश्यप, सुभाष, भारत का संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, 2008, पृ0 91*
- *डा0 पाण्डेय, जय नारायण, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2010, पृ0 349*
- *उपाध्याय, जय जय राम, भारत का संविधान (बेयर ऐक्ट), सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 30 डी/1, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाबाद, 2011, पृ0 6–8.*
- *उपाध्याय, जय जय राम, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन इलाहाबाद, 2011, पृ0 116*
- *थोरात, सुखदेव, भारत में दलित एक समान नियति की तलाश, सेज पब्लिकेशन्स इण्डिया प्रा0लि0 वी–1 मोहान कापरेटिव इण्डस्ट्रियल ऐरिया मथुरा रोड नई दिल्ली 2017 पृ0 127*

धर्मनिरपेक्षता एवं पंडित नेहरू के विचारः एक समीक्षात्मक अध्ययन

डा0 निलेश कुमार मेश्राम*

प्रस्तावना

मनुष्य जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। लेकिन धीरे–धीरे उसकी परिवार में अन्तः क्रिया के द्वारा उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है क्योकि प्रारम्भ में उसे न तो उसको धर्म की जानकारी होती है और न ही जाति की। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको उसके धर्म एवं जाति आदि का बोध कराया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य की पहचान भविष्य में धर्म के आधार पर होने लगती है। इसी तरह किसी देश में रहने वाले लोगों की बहुसंख्यक जनसंख्या के आधार पर उस देश की पहचान भी बहुसंख्यक जनसंख्या के धर्म के आधार पर होने लगती है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी राष्ट्र में अतीतकाल से चर्चा का प्रमुख विषय रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही राजाओं और महाराजाओं ने अपने हितों एवं भावनाओं को ध्यान में रखकर ही अपने राज्य का धर्म घोषित किया। इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता है कि प्रत्येक राजा शासन सत्ता संभालने के पश्चात अपने राज्य का राज्य धर्म घोषित करते थे और अपनी प्रजा से उसी धर्म को मानने के लिए जोर देते थे। इसीलिए भारतवर्ष में विभिन्न धर्मो, जातियों, संस्कृतियों एवं सभ्यताओं को मानने वाले निवास करते है इसी कारण से पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत को विविधता में एकता का देश कहते थे।

भारत में मध्यकाल में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और सन् 1526 के पानीपत के संग्राम के पश्चात बाबर ने गद्दी संभाली और मुगलवंश की नींव डाली। यह मुगलवंश ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत में आने तक शासन करता रहा लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटेन की महारानी के अधीन शासन सत्ता आ गयी और महारानी के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भारत में शासन चलाते थे। उस समय के समाज में विभिन्न धर्मों में एकता काफी मजबूत थी क्योकि इसका परिणाम 1857 में अंग्रेजों ने देखा था। अतः तत्कालीन अंग्रेज

* *सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शासकीय पेंचवेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय, परासिया, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)।*

शासकों ने अपनी शासन सत्ता बनाये रखने के लिए 'फूट डालो व राज करों' की नीति को अपनाते हुए लोगों में साम्प्रदायिकता के बीज बोने शुरू किए। जिसके द्वारा उन्होने बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर करते हुए पूर्वी बंगाल का निर्माण किया क्योकि इस क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या मुसलमान थी। बंगाल विभाजन का तीव्र विरोध हुआ। इसके पश्चात कांग्रेस से अलग कुछ मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुसलमानों के हितों और अधिकारो की वकालत शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरवादी हिन्दुओं ने हिन्दू महासभा का गठन कर हिन्दुओं के हितों की वकालत प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार भारतीय समाज की वर्षों से चली आ रही सामाजिक समरता को अंग्रेज तोड़ने में सफल रहें।

सन् 1909 के मार्ले–मिन्टो सुधार के द्वारा मुस्लिम लीग अपनी बात मनवाने में सफल रही और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। धीरे–2 कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के खिलाफ होकर अलग–2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करने लगे। जहाँ मुस्लिम लीग मुसलमान वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी वही कांग्रेस अपने को समाज के सभी धर्मों एवं वर्गों का प्रतिनिधि मानती थी। इसी समय भारतीय समाज में धर्म के आधार पर राजनीति शुरू हो गयी थी और धीरे–धीरे साम्प्रदायिकता ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया था। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और कुछ समय पश्चात महात्मा गांधी के काफी निकटस्थ हो गये। पं0 नेहरू ने अपने कार्यों से कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया और बहुत ही अल्प समय में ही वह भारतीय राजनीति का एक चर्चित चेहरा बन गये। पं0 नेहरू ने मुस्लिम लीग से बात–चीत करके लखनऊ समझौता (कांग्रेस–मुस्लिमलीग–1916) करवाने में अहम भूमिका निभायी। वह धर्म के आधार पर भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र के पक्ष में थे।

सन् 1931 में जब पं0 नेहरू कराची कांग्रेस के मलभूत अधिकारों का प्रस्ताव तैयार कर रहे थे तब उन्होने लिखा था कि ''राज्य सभी धर्मों का तटस्थ रूप में अवलोकन करेगा'' (अहमदः 1970; 31) इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि पं0 जवाहर लाल नेहरू राज्य का धर्म के मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते थे। धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में उनकी अवधारणा यह थी कि भारत के लोकतन्त्रात्मक विकास के लिए यह आवश्यक है। इसीलिए स्वतन्त्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के पश्चात उन्होने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित

किया और सभी धर्मों एंव संस्कृतियों के संरक्षण के लिए अपनी वचनबद्धता उन्होंने भारतीय संविधान के द्वारा प्रदर्शित की। जनवरी 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ''इण्डिया विल वी ए लैण्ड, ऐज इन द पास्ट, आफ मेनीफेत्स इक्वाली आनर्ड एण्ड रेस्पेक्टेड, बट आफ वन नेशनल आऊट लुक'' साथ ही साथ उन्होने कहा कि ''वी आर बिल्डिंग ए फ्री सेक्यूलर स्टेट व्हेयर एवरी रिलीजन एण्ड बिलीफ हैज फुल फ्रीडम एण्ड इक्वल लिबर्टी एण्ड इक्वल अपारचुनिटी''। (जमीरः1970; 109)

स्वतन्त्रता के पश्चात भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान का निर्माण किया । इस संविधान के द्वारा भावी राष्ट्र की रूपरेखा किस प्रकार की होगी एवं इसमें क्या–2 व्यवस्थाए होगी आदि का विभिन्न अनुच्छेदों में विस्तृत उल्लेख किया गया। साथ ही हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सम्प्रभु गणराज्य होगा का उल्लेख करने के साथ–2 इसे 'सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए पं0 नेहरू ने स्वतन्त्र भारत के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता को इस प्रकार सम्मिलित किया ''ऐज इण्डिया इज ए सेक्यूलर स्टेट, इवरी सिटीजन हैज द सेम ड्यूटीज, राइट्स, प्रिविलेजेज एण्ड आबलीगेसेनस ऐज एनी अदर ही हैज फुल फ्रीडम टू प्रोफेस एण्ड प्रैक्टिस हिज रिलीजन।''

सन् 1951 में पं0 जवाहर लाल नेहरू ने किसी राज्य की धर्म निरपेक्षता को इस प्रकार परिभाषित किया ''द स्टेट प्रोटेक्टेड आल रिलीजन, बट डिड नाट फेवर वन ऐट द इक्पेन्स आफ अदर्स एण्ड डिड नाट इटसेल्फ एडाप्ट एनी रिलीजन ऐज द स्टेट रिलीजन''। पं0 नेहरू ने भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उन्होने पंथनिरपेक्षता को केवल सैद्धांतिक तौर पर ही नहीं अपनाया बल्कि इसे व्यवहारिकता में भी अपनाया इसका प्रमुख उदाहरण है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लगभग 45 मिलियन मुसलमानों ने पाकिस्तान न जाने का निश्चय किया और भारत में रहे।

भारतीय संविधान में पं0 नेहरू ने धर्म निरपेक्षता के विचार को लोगों के मूल अधिकार से जोड़कर देखा और भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य बनाने की व्यवस्था की गयी है जैसेः–

1) अनुच्छेद–16(i) राज्य के किसी कार्यालय में रोजगार एंव नियुक्ति में सभी नागरिकों को अवसरों की समानता।

2) अनुच्छेद–25 विभिन्न धार्मिक समुदायों की अन्तःकरण की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया है।

3) अनुच्छेद–26 नागरिकों को धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

4) अनुच्छेद–27 किसी धर्म की उन्नति एंव प्रचाार–प्रसार के लिए करों की वसूली पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

5) अनुच्छेद–28 सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा न देने की गारण्टी दी गयी है।

6) अनुच्छेद–29 अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को संरक्षण दिया गया है।

7) अनुच्छेद–30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है।

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के द्वारा सभी धर्मों को स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। पं0 नेंहरू का मानना था कि भारतीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य काफी विस्तृत है क्योकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित है इसलिए यह पूरी तरह से धर्म निरपेक्षता पर आधारित नहीं है फिर भी मेरा किसी के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं है लेकिन यह राज्य के सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता राजनैतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। पं0 जवाहर लाल नेहरू मानते थे कि जिस देश में धार्मिक विविधता होती है वहाँ सामाजिक सद्‌भाव एवं सामाजिक एकीकरण के धर्म निरपेक्षता का व्यवहारिक उपागम अति आवश्यक है लेकिन यदि राज्य किसी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान करता है तो अन्य धर्मों के मानने वाले लोगों में भय एवं भ्रम की भावना पैदा होती है। इस तरह का उपागम न केवल गलत है बल्कि यह गुटबाजी एवं समस्याओं को जन्म देगा। इसीलिए पं0 नेहरू का विचार था कि सभी धर्मों को भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता हो कि वह अपने धर्म में खुलकर आस्था व्यक्त कर सके। पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में प्रावधान किए गये है। पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र में धर्म का कोई स्थान नहीं होता है क्योंकि सरकार सभी धर्मों के लोगों के हितों व

विश्वासों को संरक्षण प्रदान करती है। इस तरह से सरकार या शासन/प्रशासन चलाने में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। अगर हम सही तरीके से धर्म निरपेक्षता को प्राप्त करना चाहते है अथवा व्यवहारिक रूप में सच्चाई से पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते है तो यह अवधारणा नीचे तक लोगों में पहुँचनी चाहिए न कि इसको ऊपर से थोपा जाना चाहिए। इसीलिए पं0 नेहरू ने भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया क्योंकि भविष्य में राष्ट्र का विकास धर्म निरपेक्षता पर ही निर्भर था अगर भारत भी किसी धर्म विशेष को स्वीकार करता तो हमारे देश का भविष्य भी पाकिस्तान जैसा होता।

जैसा कि हम जानते है कि धर्म के साथ–2 साम्प्रदायिकता भी चलती है। साम्प्रदायिकता हमेशा धर्म निरपेक्षता को समाप्त करने या उसपर हावी होने का प्रयास करती रहती है। जब किसी राष्ट्र में कट्टरवादी या धर्म विशेष के लोग हावी हो जाते है तो उस राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ने लगती है। इसका अवलोकन हम तब देख सकते है जब राजनीति या राजनैतिक व्यवस्था में धर्म पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगता है या धर्मवादी ताकतें सरकार चलाने लगती है। पं0 नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में विकसित करने का स्वप्न देखा था लेकिन विगत के कुछ वर्षों में हमारे देश की कुछ ताकतों ने भारत की पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की छवि को धूमिल या नष्ट करने की कोशिश की, जिसमें कुछ घटनाएं जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस, 2002 के गुजरात दंगे एवं उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर के दंगे आदि। उक्त घटनाओं के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। पं0 नेहरू का ऐसा मानना था यदि कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता का पालन करेगा तो वह तीव्र गति से विकास करेगा। यदि वह पंथनिरपेक्षता का पालन नहीं करेगा तो वह राष्ट्र अपने धार्मिक मामलों में उलझा रहेगा और कट्टरवादी ताकतें हमेशा सरकार पर हावी होने की कोशिश करती रहेगी। इसीलिए स्वतन्त्रता के पश्चात पं0 नेहरू ने पूँजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को न अपनाकर दोनों के बीच के मार्ग को अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया और देश के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाया तथा सभी धर्मों में साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा किया।

वर्तमान समय में कुछ राजनैतिक दल हमारे राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष छवि को तोड़ने का प्रयास कर रहे है और लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास

भी कर रहे हैं। यह पं0 नेहरू के विचारों को समाप्त करने की दिशा में उठाया जा रहा कदम है फिर भी हमारे देश में कुछ लोग एंव समूह ऐसी ताकतों का विरोध करते रहते है। असगर अली इंजीनियर का मानना है कि जनसमूह धार्मिक समूह है, साम्प्रदायिक नहीं। सभी सम्प्रदायों में सुभेच्छा वाले धार्मिक और बौद्धिक नेता भी विद्यमान है। हम निश्चित ही साम्प्रदायिकता की आवृत्ति और गहराई को कम कर सकते है।(अलीः 1986; 24) अगर हम धर्म की संकीर्ण मानसिकता एवं सोच पर ही चर्चा करते रहेगें तो अपने देश को एक बेहतर भविष्य की तरफ नहीं ले जा सकेगे। पं0 नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अधिकांशतः देखा जाता है कि लोग धर्म में अंधा विश्वास करते है और प्रतिक्रिया करते है ये वह लोग है जिनका अपना इससे हित होता है। यह एक प्रकार से धर्म का दोष है। उन्होने आगे कहा कि ''धर्म का अभिप्राय लोगो का आन्तरिक/आत्म विकास है, लोगों में आत्मजागृतीकरण पैदा करना है जो लोगों की अच्छाई के लिए हो।'' इस प्रकार वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें पं0 नेहरू के धर्म निरपेक्षता को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए तभी हमारा, हमारे समाज एवं देश का विकास होगा।

संदर्भ ग्रन्थ

- *अहमद, फखरूद्दीन अली (1970), ''नेहरू क्रिएटर आफ ए सेक्यूलर स्टेट'' इन्स्टीटयूट फार सोशलिस्ट ऐजुकेशन, नई दिल्ली।*
- *जमीर, एस0सी0 (1970), ''इण्डियाज स्ट्रेन्थ'' इन्स्टीटयूट फार सोशलिस्ट ऐजुकेशन, नई दिल्ली।*
- *गोपाल, एस (1975), ''सेलेक्टेड वर्क्स आफ जवाहर लाल नेहरू,'' ए प्रोजेक्ट आफ द जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फण्ड, अंक–07, ओरियंट लांगमैन लिमि0, नई दिल्ली पृ0 461*
- *अली, असगर (1986) ''रूट्स आफ कॉम्यूनिज्म'' इन सेमिनार नवम्बर 322, जून 1986*
- *सिंह, ज्योति, (2010), 'धर्म एवं राजनीति'', द इनसाइड अंक–5 सकलडीहा पी0जी0 कालेज, चन्दौली (उप्र) पृ0सं0 208–212*

नगरीय वृद्धजनों के साथ घटित होने वाले दुर्व्यवहार की वर्तमान स्थितिः एक अध्ययन

(लखनऊ जिले के इन्दिरा नगर आवासीय क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

रितेश कुमार त्रिपाठी*, डा0 रूपेश कुमार सिंह**

प्रस्तावना

वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है, जहाँ समय के साथ एक व्यक्ति के प्रदर्शन, उत्पादकता और स्वास्थ्य में गिरावट का अनुभव होता है। व्यवहार में उन लोगों को वृद्ध कहा जाता है, जो जीवन की एक विशेष आयु को पूरा कर चुके होते हैं। भारत में इस आयु को साठ वर्ष माना गया है। इस अवधि को पूरा कर लेने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक अथवा सीनियर सिटीजन की भी संज्ञा दी गई है। वास्तव में वृद्धावस्था अवसर व जिम्मेदारियों में आमूल–चूल परिवर्तन की ओर संकेत करती है। इन परिस्थितियों का विधिवत अध्ययन जराविज्ञान (जेरेन्टोलोजी) में किया जाता है। जराविज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो अपने अध्ययन में वृद्धजनों की बढ़ती आयु के न केवल भौतिक या जैविकीय पक्ष को सम्मिलित करता है, वरन् उसके साथ उन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण भी करता है जो आयु वृद्धि के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को प्रभावित करते हैं। (गिडेंस:2001;122)

वृद्धावस्था का सम्बन्ध लोगों की बढ़ती आयु से है। यह मानव विकास की ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की इन्द्रियाँ कमजोर होने के साथ उसकी बहुत सारी क्षमताएँ घट जाती हैं। किसी भी समाज की जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात उसके विकास को काफी हद तक प्रभावित करता है। वृद्ध होना एक जटिल और क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम होते हैं, जो न तो एक–दूसरे से पूर्णतः मिलते हैं, और न ही यह किसी व्यक्ति की काल क्रमिक आयु के अनुरूप होते हैं। आज दुनियाभर में नीति निर्धारकों के समक्ष एक

* *पी–एच.डी. शोध छात्र (समाज कार्य), समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं समाज कार्य विभाग, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।*

** *सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं समाज कार्य विभाग, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।*

जटिल चुनौती सामने खड़ी नज़र आ रही है, वह है वृद्धों की संख्या में सतत् वृद्धि। इसी के साथ–साथ उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताएँ भी तेजी से बढ़ रही हैं। (द्विवेदी:2014;21–23)

वृद्धावस्था में आयु के साथ–साथ व्यक्तियों में रोग–प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, जिससे उन्हें अनेक गम्भीर बीमारियाँ अपना शिकार बनाने लगती हैं। इन रुग्णताओं के साथ जी रहे 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वृद्धों का यह वर्ग विकलांगता, पुरानी बीमारी, मौसमी बीमारी, मनोभ्रंश व अवसाद, दुर्घटना, पोषण संबंधी कमियों, अकेलापन आदि के कारण सर्वाधिक पीड़ित होता है। इसके अलावा, उपेक्षा और अलगाव के साथ–साथ लोगों के दुर्व्यवहार के सर्वाधिक शिकार ये वृद्धजन आर्थिक और भावनात्मक रूप से अपने परिवार या दूसरों पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। उनकी पेंशन में सुधार करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता का प्रावधान होना चाहिए, जो आयकर का भुगतान करने से मुक्त हैं। (हेल्प एज इण्डिया:2015;6–7)

भारत की जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात दुनिया के कई अन्य विकासशील देशों की तरह तेजी से बढ़ रहा है। नगरीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ने आर्थिक संरचना में बदलाव तथा सामाजिक मूल्यों में क्षरण किया है, जिससे सामाजिक मूल्य और संयुक्त परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। इस परिवर्तित आर्थिक और सामाजिक परिवेश में युवा पीढ़ी परिवार के अन्दर व बाहर आर्थिक स्वतंत्रता और नई सामाजिक भूमिकाओं को खोज रही है। बदलती आर्थिक संरचना ने भूमि पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता को कम किया है जिसने पीढ़ियों के मध्य संबंधों को पुनःपरिभाषित किया है। परिणामस्वरूप पुरानी पीढ़ी के प्रति युवा पीढ़ी के कर्तव्य और दायित्व की पारंपरिक भावना का क्षरण हो रहा है। पुरानी पीढ़ी एक तरफ पारंपरिक मूल्यों में गिरावट और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की अनुपस्थिति के बीच फंस गई है (गुरमाल:2003;103), जिसके कारण आज वृद्धजन अपने को असहाय, असुरक्षित एवं उपेक्षित महसूस करते हैं।

वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार

'दुर्व्यवहार' शब्द में अवमानना, अपमानित करना, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक हिंसा, मौखिक हमला, आर्थिक शोषण, पर्यावरण की उपेक्षा और अधिकारों का

उल्लंघन जैसे विभिन्न आयाम सम्मिलित हैं। आम तौर पर, वृद्ध दुर्व्यवहार परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा है, जो किसी वृद्ध व्यक्ति को नुकसान या गंभीर जोखिम का कारण बनती है। (देशवालः2011;29)

कोहेन व अन्य (2006ः680—85) ने वृद्ध दुर्व्यवहार को जानबूझकर किए गए ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित किया है जो नुकसान या जोखिम का कारण बनता है या वृद्धजनों की बुनियादी जरूरतों और सुरक्षित रहने की स्थितियों को पूरा करने के लिए देखभाल करने वाले की विफलता के रूप में प्रकट होता है। इसमें शारीरिक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, लापरवाही, भौतिक शोषण और यौन शोषण सम्मिलित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2002ः123) ने वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है— प्रथम—उपेक्षा, जिसमें अलगाव, परित्याग और सामाजिक बहिष्कार सम्मिलित हैं; द्वितीय—मानवीय, विधिक एवं चिकित्सा अधिकारों का उल्लंघन; और तृतीय— विकल्प, निर्णय, स्थिति, वित्त और सम्मान से वंचित करना।

वृद्धजन परिवार के सदस्यों पर अधिक निर्भर होते हैं, लेकिन उनका कम ध्यान आकर्षित करते हैं। वृद्धावस्था को प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इसे उपेक्षित किया जाता है, तो वृद्धजन बहुत दुखी और बुरा महसूस करते हैं। कई बार, वृद्धजनों को देर से भोजन दिया जाता है और सामान्यतः भोजन के संबंध में उनकी पसन्द—नापसंद का ध्यान नहीं रखा जाता। परिवार के सदस्यों के पास उनसे संवाद करने का समय नहीं होता है। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे उनके कमरे में ही न आएं, और जब उनकी बुनियादी जरूरतों या दिनचर्या के बारे में पूछताछ करने के लिए आयें भी तो उनके साथ असभ्यता या उदासीनता का व्यवहार करें। बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं और यदि किसी दूर स्थान पर रहते हैं, तो वे उतनी बार नहीं आते हैं, जितनी बार उनसे उम्मीद की जाती है। कई बार बच्चों द्वारा उनका आर्थिक शोषण भी होता है। कई बार उन्हें थके हुए होने पर भी छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वृद्धजन अपने परिवार में रहते हुए भी अक्सर स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। उनकी आर्थिक निर्भरता उन्हें परिवार में जो भी स्थितियाँ हैं, उन्हीं में जीवन—यापन करने के लिए विवश कर देती हैं। (वर्द्धनः2017;99) प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों के साथ घटित होने वाले दुर्व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का इतिहास

वृद्धावस्था एवं वृद्धजनों से सम्बन्धित पूर्व शोध अध्ययनों एवं सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा निम्नवत् है–

पचौरी (1992) ने वृद्धावस्था को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। इन्होंने अपने विश्लेषण में पाया कि वृद्धावस्था में एक प्रमुख समस्या वृद्धजनों का समाज के साथ सही प्रकार से समायोजन नहीं होना है। साथ ही अधिकांश वृद्धजन अस्वस्थता, सेवानिवृत्ति और आय में कमी के कारण तनाव महसूस करते हैं जिसके कारण उनमें निराशा, भग्नासा, नकारात्मक व्यवहार आदि की भावनाएं जन्म लेने लगती हैं।

सिंह (1995) ने सामान्य एवं सेवानिवृत्त वृद्धजनों के अध्ययन में पाया कि सेवानिवृत्त वृद्धजनों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वह अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही साथ सेवानिवृत्त वृद्धजनों की प्रमुख समस्या समय के उपयोग की होती है। इसके साथ उक्त अध्ययन में यह भी पाया कि निःसंतान, अविवाहित, परितक्य तथा शारीरिक रूप से अक्षम व रोग ग्रस्तता के कारण वृद्धजन अपने आपको असहाय पाते हैं।

गोयल (1997) ने आदिवासी वृद्धजनों की समस्याओं के अध्ययन में पाया कि वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह मानवीय जीवन चक्र की अन्तिम स्थिति होती है जिसके कारण वृद्धजनों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक, पारिवारिक, सांवेगिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि वृद्धजनों के अनुभवों का लाभ लेने के लिए इन्हें परिवार एवं समाज में एकीकृत करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

बेहुरा एवं मोहन्ती (2000:40) ने भुवनेश्वर के नगर क्षेत्र के निकट स्थित 21 गाँवों के मध्यमवर्गीय सेवानिवृत्त 67 पुरुष एवं 81 महिलाओं के सर्वेक्षण में पाया कि अधिकांश वृद्धजन अपने पुत्रों एवं पुत्रवधुओं द्वारा सामाजिक–आर्थिक रूप से बोझ समझे जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को वृद्धावस्था से भी अधिक कष्टकारी और भयावह समझते हैं।

चड्ढा व अन्य (2009:48) ने वृद्धजनों में निराशा, अलगाव एवं जीवन–संतुष्टि का अध्ययन किया है। 109 विवाहित और विधवा/विधुर वृद्धजनों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित इस अध्ययन में निराशा, अलगाव और जीवन की संतुष्टि

को मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से मापा गया है। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं में असहायता की स्थिति अधिक तीव्र है। विवाहित वृद्ध स्वयं को विधवाओं/विधुरों की तुलना में कम असहाय और जीवन से अधिक संतुष्ट पाते हैं जबकि विवाहित पुरुषों की तुलना में विवाहित महिलाओं में अलगाव की स्थिति अधिक उच्च थी। वृद्धों में निराशा, अलगाव और जीवन–संतुष्टि की स्थिति में लिंग के आधार पर पाए जाने वाले अंतर स्पष्ट रूप से सार्थक थे, जिन्हें भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए तय की गई अलग–अलग भूमिकाओं द्वारा समझा जा सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के संकीर्ण दायरे उन्हें सामाजिक अलगाव और निराशा की ओर ले जाते हैं और वृद्ध महिलाओं में जीवन की संतुष्टि को कम करते हैं।

दुबे व अन्य (2011:93) ने जम्मू शहर में स्थित वृद्धाश्रमों तथा वहाँ के पारिवारिक ढाँचे में रहने वाले वृद्धों की स्थिति का अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया गया कि वृद्धाश्रमों के वृद्धजनों के प्रति युवा पीढ़ी का व्यवहार परिवार के सदस्यों से सम्मान, प्यार और स्नेह का स्तर संतोषजनक नहीं है, परिवारों में रहने वाली महिलाओं का बुढ़ापे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। परिवारों में रहने वाली वृद्ध महिलाओं और वृद्धाश्रम में रहने वालों के सामाजिक संबंधों में भी पर्याप्त भिन्नता थी तथा उनकी समग्र कार्यकुशलता, सामाजिकता, काम में भागीदारी की स्थिति और रुचियों में उल्लेखनीय गिरावट थी। दूसरी ओर, पारिवारिक ढाँचे में रहने वाली वृद्ध महिलाओं द्वारा बेहतर सामाजिक संबंध बनाए रखे गये थे क्योंकि परिवार के सदस्यों और उनके बीच नियमित रूप से बातचीत, अभिव्यक्ति और सहयोग मिल रहा था।

यादव (2014:84) ने दिल्ली नगर निगम द्वारा नेताजी नगर में 'संध्या' वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। वृद्धाश्रमों की व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं एवं निवासरत वृद्धजनों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि तथा वृद्धाश्रम में आने के कारण से सम्बंधित उद्देश्यों पर अध्ययन केन्द्रित था। उक्त अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश वृद्ध सामान्य जाति तथा विधवा/विधुर थे। जबकि केवल (26 प्रतिशत) उत्तरदाता अविवाहित हैं। वृद्धाश्रम में आने के पूर्व 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय का प्रमुख स्रोत निजी व्यवसाय तथा 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय का प्रमुख स्रोत श्रम कार्य था। 6 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने बच्चों पर निर्भर हैं, जबकि 8 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी स्थायी सम्पत्ति से आय के रुप में धन अर्जित करते

रहे हैं और 54 प्रतिशत शासकीय सेवा से निवृत्त पेंशनभोगी हैं। वृद्धाश्रम में 37 प्रतिशत उत्तरदाता निःसंतान थे एवं उनका अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध खराब है। उत्तरदाताओं के अनुसार वृद्धाश्रम में आने के प्रमुख कारणों में परिवार में बोझ बनना नहीं चाहते (16 प्रतिशत), शारीरिक देखभाल करने वाला कोई न होना (21 प्रतिशत), अकेलापन (42 प्रतिशत), तथा बच्चों द्वारा वृद्धों को अपने साथ रखने से मना करना (21 प्रतिशत) आदि सम्मिलित थे। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया है कि वृद्धों का अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत खराब संबंध हैं जिसके कारण वे इस वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं।

एजवेल फाउण्डेशन (2016) ने वृद्धों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारत के सभी पाँचों क्षेत्रों (उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत) से तीन–तीन हजार वृद्धजनों का लिंग (7411 पुरुष और 7589 महिलाएँ), आयु (60 वर्ष से अधिक) एवं क्षेत्र (ग्रामीण व शहरी) के आधार पर चयन कर साक्षात्कार, समूह चर्चा व एकल अध्ययन के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया है कि लगभग दो–तिहाई वृद्ध अपने जीवनसाथी के साथ, 18 प्रतिशत अकेले तथा 16.34 प्रतिशत उत्तरदाता अपने संयुक्त परिवार में रह रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग एक–चौथाई उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपनी वित्तीय स्थिति से संतुष्ट हैं। शहरी क्षेत्रों में 11.99 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी वित्तीय स्थिति से अत्यधिक संतुष्ट और 26.25 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी वित्तीय स्थिति से संतुष्ट पाए गए। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग दो–तिहाई वृद्ध जनसंख्या, जो आर्थिक संकट से गुजर रही है, मुख्यतः मध्यम, निम्न–मध्यम या निम्न आय वर्ग से संबंधित है। उनमें से अधिकांश (80 प्रतिशत से अधिक) वृद्ध अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अपने बच्चों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों पर निर्भर हैं। वृद्धजनों के इस वर्ग को युवावस्था में भी अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण पहले से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके विपरीत, लगभग एक–तिहाई वृद्धजन, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, उनमें भी अधिकांश आयु से संबंधित अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं।

कुमार (2018) ने वृद्धों की परिवर्तित हो रही सामाजिक प्रस्थिति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है। अध्ययन मे ंपाया गया कि माता–पिता को देव तुल्य समझने, मानने, पूजने और सेवा करने की जो भावना भारतीय समाज में प्राचीन काल से पाई जाती रही है वह सम्पूर्ण विश्व में और कहीं नहीं। अपने

माता–पिता का आदर और उनकी सेवा हर संतान का कर्तव्य होना चाहिए, इस धारणा को पुष्टि करने के अनेक उदाहरण पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। इसी भावना से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ कथा भगवान गणपति से संबंधित है जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा की शर्त पर अपने माता–पिता शिव–पार्वती की परिक्रमा कर गणेशजी ने प्रथम पूजित देवता का दर्जा प्राप्त किया था। ऐसी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार वाले देश में आधुनिकता और भौतिकता की अंधी दौड़ ने घर–परिवार और रिश्तों के बीच जो स्थिति पैदा की है वह चिंतनीय है। जगह–जगह खुलते वृद्धाश्रम और उनमें उमड़ने वाली वृद्धों की भीड़ तथा अपने ही बच्चों से अपने अधिकार के लिए न्यायालयों के चक्कर लगाते वृद्धों को देखकर यही प्रश्न बार–बार मन में उभरता है कि, क्या हो गया आज की युवा पीढ़ी को, जो पैसा कमाने की अंधी दौड़ में फंसकर अपने ही माता–पिता की दुश्मन बन गयी है। आदर सत्कार और अच्छे व्यवहार की बात तो दूर, साथ रहना ही कठिन होता जा रहा है।

उपर्युक्त शोध अध्ययनों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि वृद्धावस्था एवं वृद्धजनों के शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जीवन के पहलुओं पर विभिन्न शोध अध्ययन सम्पादित किये गये हैं तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात वृद्धजनों के समायोजन सम्बन्धी समस्याओं पर भी अध्ययन हुए है। वर्तमान समय में औद्योगीकरण, वैश्वीकरण एवं नगरीकरण के कारण परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आये है और यह अधिकांश परिवर्तन भारत के नगरीय क्षेत्रों में सरलता से देखे जा सकते हैं। उक्त परिवर्तनों के कारण नगरीय क्षेत्रो में रहने वाले वृद्धजनों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक–आर्थिक, शारीरिक एवं भावनात्मक समस्याओं से सम्बन्धित घटनाओं में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। इन्ही प्रमुख समस्याओं में एक समस्या नगरीय वृद्धजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से सम्बन्धित है जिस पर अभी भी पर्याप्त शोध अध्ययन सम्पादित नहीं हुए है। इसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान अध्ययन की नितांत आवश्यकता है और प्रस्तुत अध्ययन में नगरीय वृद्धजनों के होने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार का अध्ययन लखनऊ शहर में किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. नगरीय वृद्धजनों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का पता लगाना।

2. नगरीय वृद्धजनों के साथ घटित होने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र की प्रकृति वर्णनात्मक है तथा यह प्राथमिक आंकड़ो पर आधारित है। यह अध्ययन लखनऊ शहर की इन्दिरा नगर आवासीय कालोनी में सम्पादित किया है। इस अध्ययन में इन्दिरा नगर कालोनी में रहने वाले वृद्धजनों को समग्र के रूप में मानते हुए 50 वृद्धजनों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों के साथ साथ प्राथमिक आकड़ों को साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन के माध्यम से एकत्रित किया गया है, तत्पश्चात एकत्रित आकड़ों का प्रक्रमण करके विश्लेषित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय वृद्धजनों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों में से अध्ययन हेतु केवल शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार को ही सम्मिलित किया गया है तथा उक्त दुर्व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं हेतु शोध पत्र में सुझाव भी प्रस्तुत किये गये है।

आकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों को विभिन्न तालिकाओं में प्रदर्शित करते हुए द्वितीयक स्रोतो की सहायता से विश्लेषित किया गया है जो निम्नवत है–

तालिका संख्या–1.1

वृद्धजनों का लिंग

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुरुष	27	54.00
2	महिला	23	46.00
योग		50	100.00

तालिका संख्या 1.1 के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों में अधिकांश (54.00 प्रतिशत) वृद्धजन पुरूष वर्ग के हैं तथा 46.00 प्रतिशत वृद्धजन महिलाएं हैं।

अतः अध्ययन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित नगरीय वृद्धजनों में अधिकांश पुरूष वर्ग के है।

तालिका संख्या–1.2

वृद्धजनों का धर्म

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हिन्दू	30	60.00
2	मुस्लिम	10	20.00
3	सिक्ख	07	14.00
4	ईसाई	02	4.00
5	बौद्ध	01	2.00
योग		50	100.00

तालिका संख्या 1.2 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों के धर्म सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के विश्लेषण में पाया गया कि अधिकांश (60.00 प्रतिशत) वृद्धजन हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है। 20.00 प्रतिशत वृद्धजन मुस्लिम धर्म के, 14.00 प्रतिशत सिक्ख, 4.00 प्रतिशत ईसाई तथा सबसे कम (2.00 प्रतिशत) वृद्धजन बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं।

अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों में अधिकांश नगरीय वृद्धजन हिन्दू धर्म के मानने वाले है तथा सबसे कम बौद्ध धर्म के मानने वाले पाये गये हैं।

तालिका संख्या–1.3

वृद्धजनों की जाति

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामान्य	26	52.00
2	पिछड़ी जाति	19	38.00
3	अनुसूचित जाति	05	10.00
योग		50	100.00

तालिका संख्या 1.3 में वृद्धजनों की जाति को दर्शाया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों में अधिकांश (52.00 प्रतिशत) वृद्धजन सामान्य जाति से सम्बन्धित है। 38.00 प्रतिशत पिछड़ी जाति के तथा केवल (10.00 प्रतिशत) वृद्धजन अनुसूचित जाति से आते है।

अतः अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों की जाति से सम्बन्धित विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर वृद्धजन सामान्य जाति के हैं तथा अनुसूचित जाति के सबसे कम हैं।

तालिका संख्या–1.4

वृद्धजनों का शैक्षिक स्तर

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	01	2.00
2	शिक्षित	03	6.00
3	प्राथमिक	06	12.00
4	जूनियर हाईस्कूल	09	18.00
5	हाईस्कूल	13	26.00
6	इण्टरमीडिएट	10	20.00
7	स्नातक	04	8.00
8	परास्नातक	04	8.00
योग		50	100.00

तालिका संख्या 1.4 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के विश्लेषण में पाया गया कि सर्वाधिक (26.00 प्रतिशत) वृद्धजनों ने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण किया है। 20.00 प्रतिशत वृद्धजन इण्टरमीडिएट, 18.00 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल, 12.00 प्रतिशत वृद्धजन प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण किये है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि 8.00 प्रतिशत वृद्धजन क्रमशः स्नातक एवं परास्नातक तक शिक्षा ग्रहण किये है एवं 6.00 प्रतिशत केवल शिक्षित है। अध्ययन में 2.00 प्रतिशत वृद्धजन ऐसे भी पाये गये जो बिलकुल अशिक्षित हैं।

तालिका संख्या–1.5

वृद्धजनों के परिवार की प्रकृति

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एकाकी	13	26.00
2	संयुक्त	37	74.00
	योग	50	100.00

तालिका संख्या 1.5 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों के परिवार की प्रकृति को दर्शाया गया है। अध्ययन में पाया गया कि सर्वाधिक (74.00 प्रतिशत) वृद्धजन संयुक्त परिवार में रहते हैं तथा केवल (26.00 प्रतिशत) वृद्धजन ही ऐसे पाये गये जिनका परिवार एकाकी है।

तालिका संख्या–1.6

वृद्धजनों का व्यवसाय

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	04	8.00
2	दुकानदारी	09	18.00
3	व्यापार	07	14.00
4	जातिगत व्यवसाय	02	4.00
5	पेंशन	11	22.00
6	किरायेदारी	05	10.00
7	कुछ नहीं करते हैं	12	24.00
योग		50	100.00

तालिका संख्या 1.6 से ज्ञात होता है कि अधिकांश (24.00 प्रतिशत) वृद्धजनों का कोई व्यसाय नहीं है तथा 22.00 प्रतिशत वृद्धजन पेंशन पर आश्रित हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 18.00 प्रतिशत वृद्धजन अपने जीविकोपार्जन हेतु दुकानदारी करते हैं, 14.00 प्रतिशत व्यापार, 10.00 प्रतिशत किरायेदारी, 8.00 प्रतिशत कृषि तथा केवल (4.00 प्रतिशत) वृद्धजन अपने जीवन यापन के लिए अपने जातिगत व्यवसाय पर निर्भर हैं।

अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजन अपने जीविकोपार्जन हेतु अपने परिवार के सदस्यों पर ही निर्भर हैं तथा 4.00 प्रतिशत वृद्धजन अपने जातिगत व्यवसाय पर निर्भर हैं।

तालिका संख्या–1.7

वृद्धजनों की वार्षिक आय

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1 लाख तक	02	4.00
2	1,00,001–1,50,000	08	16.00
3	1,50,001–2,00,000	05	10.00
4	2,00,001–2,50,000	11	22.00
5	2,50,001–3,00,000	04	8.00
6	3,00,001–3,50,000	07	14.00
7	3,50,001–4,00,000	12	24.00
8	4,00,001 से अधिक	01	2.00
योग		50	100.00

तालिका संख्या 1.7 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों की वार्षिक आय का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के विश्लेषण में पाया गया कि अधिकांश (24.00 प्रतिशत) वृद्धजनों की वार्षिक आय रूपये 3,50,001–4,00,000 के मध्य है तथा 22.00 प्रतिशत की रूपये 2,00,001–2,50,000 के मध्य है। 16.00 प्रतिशत वृद्धजनों की वार्षिक आय रूपये 1,00,001–1,50,000 के मध्य, 14.00 प्रतिशत की रूपये 3,00,001–3,50,000 मध्य है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों में 10. 00 प्रतिशत वृद्धजनों की वार्षिक आय रूपये 1,50,001–2,00,000 के मध्य, 8.00 प्रतिशत की 2,50,001–3,00,000 एवं 4.00 प्रतिशत की रूपये 1 लाख तक तथा केवल (2.00 प्रतिशत) वृद्धजनों की वार्षिक आय रूपये 4,00,001 से अधिक है।

अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों में अधिकांश वृद्धजनों की वार्षिक आय रूपये 3,50,001–4,00,000 तक या इससे अधिक है।

तालिका संख्या–1.8

वृद्धजनों के साथ होने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार की स्थिति

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	06	12.00
2	नहीं	44	88.00
	योग	50	100.00

तालिका संख्या 1.8 में वृद्धजनों के साथ होने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार की स्थिति को दर्शाया गया है। अध्ययन में पाया गया कि सर्वाधिक (88.00 प्रतिशत) वृद्धजनों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता है जबकि 12.00 प्रतिशत वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार होता है।

तालिका संख्या–1.9

पीड़ित वृद्धजनों के साथ घटित शारीरिक दुर्व्यवहार का स्वरूप

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	वृद्धजनों को चोट व घाव पहुचाना	04	66.67
2	वृद्धजनों को आग से जलाना	01	16.67
3	वृद्धजनों के साथ मारपीट करना	05	83.33
4	वृद्धजनों के साथ धक्का–मुक्की करना	06	100.00
	आधार	06	

तालिका संख्या 1.9 आधार अध्ययन से स्पष्ट है कि समस्त वृद्धजनों को परिवार या परिवार के सदस्यों द्वारा उनके साथ धक्का–मुक्की की जाती है। साथ ही 83.33 प्रतिशत वृद्धजनों के साथ मारपीट करना, 66.67 प्रतिशत वृद्धजनों के शरीर पर चोट या घाव पहुचाया जाता है तथा केवल (16.67 प्रतिशत) वृद्धजनों को आग से जलाने का प्रयास किया जाता है।

अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार के रूप में धक्का–मुक्की तथा मारपीट की घटनाएं होती हैं।

तालिका संख्या–1.10

पीड़ित वृद्धजनों के साथ होने वाले भावनात्मक दुर्व्यवहार का स्वरूप

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	वृद्धजनों पर अभद्र टिप्पणी करना	06	100.00
2	अकारण वृद्धजनों को डांटना	05	83.33
3	अकारण गाली गलौज करना	06	100.00
4	अन्य	06	100.00
	आधार	06	

तालिका संख्या 1.10 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों से होने वाले भावनात्मक दुर्व्यवहार का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के विश्लेषण से ज्ञात

होता है कि समस्त वृद्धजनों के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा अभद्र टिप्पणी एवं गाली गलौज करने के साथ साथ अनावश्यक भयभीत करना तथा अकारण क्रोध किया जाता है जबकि 83.33 प्रतिशत वृद्धजनों को अनावश्यक रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा डांटा जाता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक आकड़ों एवं द्वितीयक स्रोतों के अनुशीलन में यह पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र लखनऊ शहर के इन्दिरा नगर आवासीय क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों में अधिकांश (54.00 प्रतिशत) वृद्धजन पुरूष वर्ग के है तथा जिसमें हिन्दू धर्म के मानने वाले (60.00 प्रतिशत) वृद्धजन जो सर्वाधिक (52.00 प्रतिशत) सामान्य जाति से सम्बन्धित है ं।

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश चयनित वृद्धजनों का शैक्षणिक स्तर हाई स्कूल (26.00 प्रतिशत) एवं इण्टरमीडिएट (20.00 प्रतिशत) है तथा 8.00 प्रतिशत वृद्धजन ही स्नातक एवं परास्नातक उत्तीर्ण हैं। अध्ययन क्षेत्र में केवल (2.00 प्रतिशत) वृद्धजन ही अशिक्षित हैं। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि आज भी नगरीय क्षेत्रों के वृद्धजनों का शैक्षिक स्तर ग्रामीण क्षेत्रो की तुलना में अधिक है और शहरी क्षेत्रों में अशिक्षित वृद्धजनों की संख्या नगण्य के बराबर है। लखनऊ शहर के अध्ययन में चयनित अधिकांश (74.00 प्रतिशत) वृद्धजन संयुक्त परिवार में रहते है और इन परिवारों में रहने वाले वृद्धजनों के साथ शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार की घटनाएं घटित होती हैं।

अध्ययन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित वृद्धजनों में अधिकांश (76.00 प्रतिशत) वृद्धजन अपने जीवन–यापन हेतु परिवार पर आश्रित नहीं है वे पेंशन, दुकानदारी, व्यापार तथा किराये से प्राप्त आय पर आश्रित हैं। इसके साथ ही 24.00 प्रतिशत वृद्धजन किसी भी प्रकार का धनार्जन नहीं करते है तथा पूर्णतया अपने परिवार पर निर्भर हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि चयनित वृद्धजनों में अधिकांश (26.00 प्रतिशत) वृद्धजनों की वार्षिक आय रूपये 3,50,001–4,00,000 तक या इससे अधिक है।

वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों के वृद्धजनों के साथ शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार की घटनाएं तो घटित हो रही हैं लेकिन ऐसी बहुत कम घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि प्रस्तुत अध्ययन से होती है। आधार अध्ययन की तालिका में पाया गया कि चयनित समस्त वृद्धजनों के साथ शारीरिक

दुर्व्यवहार के रूप में परिवार के सदस्यों द्वारा अक्सर धक्का–मुक्की की जाती है। इसके साथ ही मारपीट, शरीर पर चोट व घाव पहुचाने से सम्बन्धित घटनाएं भी घटित होती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के आकड़ों से नगरीय क्षेत्र के वृद्धजनों के साथ घटित होने वाले भावनात्मक दुर्व्यवहार की भी पुष्टि होती है। भावनात्मक दुर्व्यवहार के स्वरूप से सम्बन्धित तालिका के आधार अध्ययन में पाया गया कि समस्त वृद्धजनों के साथ गाली–गलौज, अभद्र टिप्पणी जैसे दुर्व्यवहार परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाते हैं।

भारत के समकालीन नगरीय समाज में रहने वाले वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं तेजी से घटित हो रही हैं लेकिन अधिकांश नगरीय वृद्धजनों द्वारा परिवार की मर्यादा, मूल्यों एवं समाज में सम्मान खोने व अपना उपहास होने के डर से इन दुर्व्यवहारों को स्वीकारने में हिचकिचाते हैं और इस तथ्य की पुष्टि अध्ययन के दौरान वृद्धजनों से हुए साक्षात्कार एवं समूह चर्चा से भी हुई है। अतः नगरीय समाज में वृद्ध दुर्व्यवहार की घटनाओं को प्रकाश में लाने एवं इनकी रोक–थाम हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

- नगरीय वृद्धजनों के साथ घटित होने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए परिवार के सदस्यों को वृद्धजनों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु समय–समय पर वृद्धजनों तथा सदस्यों को परिवार एवं व्यक्तिगत परामर्श दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- नगरीय वृद्धजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, नागर समाज, नगर निगम आदि संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
- वृद्धजनों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु व्यापक नीतियां बनाते हुए दुर्व्यवहार से सम्बन्धित विधानों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन समुदाय, जिले एवं राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए।
- नगरीय वृद्धजनो को दुर्व्यवहार से संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्थानीय पुलिस को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और दुर्व्यवहार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हेतु अलग 'दुर्व्यवहार पीड़ित वृद्धजन सहायता प्रकोष्ठ' की स्थापना की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

- पचौरी जे.पी.(1992), ''वृद्धावस्थाःएक सामाजिक विवेचन'', समाज कल्याण पत्रिका, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, अंक–7, फरवरी, पृ0 20–37.
- सिंह एस.डी. (1995), ''वृद्धजनः सामान्य एवं सेवानिवृत्त एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण'', जन सहयोग, शोध पत्रिका, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पृ0 7–10.
- गोयल, सुनील (1999), ''द प्राब्लम आफ द ट्राइबल एजेड, नीड टू इन्टीग्रेट देम इन टू द फैमिली'' सामाजिक सहयोग, त्रैमासिक शोध पत्रिका, उज्जैन, पृ0 40–45.
- बेहुरा, एन.के. व मोहंती, आर.पी. (2000), ''वृद्धों की सामाजिक स्थिति भुवनेश्वर शहर की शहरी फ्रिंजजेज'' , मानव विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, वा.6 अंक–1, पृ. 40–61.
- गिडेंस, ए0 (2001), ''सोशियोलॉजी'', पॉलिटी प्रेस, कैम्ब्रिज. पृ0 122
- डब्ल्यू0एच0ओ0 (2002), ''इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज'', वर्ल्ड हेल्थ आर्गानाइजेशन, जेनेवा. पृ0 123.
- गुरमाल, के0 (2003), ''भारत में वृद्ध'', टी0आई0एस0एस0 पब्लिशर्स, मुंबई. पृ0 103.
- कोहेन, एम0, सारा, एच0, फ्रीडमैन, आर0 एण्ड गिडोंस, जी0 (2006), ''डेवलपमेंट ऑफ स्क्रीनिंग टूल फार आईडेंटिफाइंग एल्डरली पीपल एट रिस्क ऑफ एब्यूज बाई दियर केयरगिवर्स''. जर्नल ऑफ एजिंग एण्ड हेल्थ, वा0–18, नं0–8. पृ0 680–85.
- चड्ढा, एन.के., अग्रवाल, वी. एण्ड मंगला, ए.पी. (2009) होपलेसनेस, एलाइनेशन एण्ड लाइफ–सटिस्फेक्शन एमंग दि एज्ड''. इन शर्मा, के.एल. (एडी.). डायमेंशंस ऑफ एजिंग, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर. पृ. 48–61.
- देशवाल, वी0पी0एस0 (2011), ''एल्डर एब्यूजः प्राब्लम्स एण्ड प्रिवेन्टिव मेजर्स'', हेल्पएज इण्डिया रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट जर्नल, वा0–17, नं0–3, अक्टूबर. पृ0 29.
- दुबे, ए0, भसीन, एस0 गुप्ता, एन0 एण्ड शर्मा, एन0 (2011), ''ए स्टडी ऑफ एल्डरली लिविंग इन ओल्ड एज होम एण्ड विदइन फैमली सेट–अप इन जम्मू''. स्टड.होम.काम. साइं., वा0–5, नं0–2. पृ0 93–98.
- द्विवेदी, परेश (2014),''वृद्धावस्था के विविध आयाम, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ'',राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष–16, अंक–1, जनवरी–जून. पृ0 21–23.
- यादव, एल0 (2014), ''वृद्धाश्रम में निवास करने वाले वृद्धों का समाजशास्त्रीय अध्ययन''. राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष–16, अंक–1, जनवरी–जून. पृ0 84–86.
- हेल्पएज इण्डिया (2015),''स्टेट ऑफ एल्डरली इन इण्डिया, 2014'', हेल्प एज इण्डिया, नयी दिल्ली. पृ0 6–7.
- एजवेल फाउंडेशन (2016), ''फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ओल्डर पीपल इन इण्डिया–एन एसेसमेंट'', एजवेल फाउंडेशन, नई दिल्ली.
- वर्द्धन, आर0 (2017), ''एल्डर एब्यूज एण्ड एल्डर विक्टिमाइजेशनः ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस'', इंटरनेशनल एनल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वा0–55, इश्यू–1, मई. पृ0 99.
- कुमार, पी0 (2018), ''घर–घर प्रताड़ित होते बुजुर्ग'', न्यूज नेस्ट, 27 जून

संत कबीर साहब का दर्शन

डा0 बृजेन्द्र सिंह बौद्ध*

कहावत है 'सागर को गागर' में भरने की कबीर साहब ने वही किया है– विराट को छोटे – छोटे शब्दों में समाया है। साधारण बोलचाल के शब्द है, पर कबीर ने बड़े अनूठे अर्थों की कलमें उन पर लगाई है। सुनकर ऐसा लगेगा कि सब परिचित है। सतह शब्द की परिचित भला हो, गहराई परिचित नहीं है, और एक – एक शब्द अनन्त यात्रा पर ले जा सकता है।

1. '' आतम अनुभव ग्यान की, जो कोई पूछे बात।
   सो गूंगा गुड़ खइके, कहै कौन मुख स्वाद।।''

2. ''जो गूंगे के सैन को , गूंगा ही पहचान।
   त्यों ग्यानी, के सुक्ख को, ग्यानी होय सो जान।।''

अर्थात–वस्तुओं का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वह ज्ञान बाहर से होगा। हम वस्तुओं के चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं और मंदिर में तुम जाते हो तो परमात्मा की परिक्रमा करते हो, वह परिक्रमा भी बाहर से है, इसलिए झूठी हो गई। बाहर से हम कितना ही जान लें तो भी भीतर से कोई अनुभव उस जानकारी से न होगा। जब तक कि हम किसी वस्तु के प्राणों के प्राण में प्रवेश न पा जाएं, तब तक हमारी जानकारी सतह की होगी– जैसे सागर को जाए देखने और लहरों को देख कर लौट जाए। लहरों के नीचे छिपा है सागर और उसकी गहराई, और उसके सारे खजाने। लहरों पर तो सिर्फ झाग है– कलह की, संघर्ष की, युद्ध की, वैमनस्य की। लहरों पर तो सिर्फ उपद्रव, तूफान हैं, असली सागर तो गहरें में छिपा है। तो ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान तो सिर्फ अपना ही हो सकता है, दूसरे का नहीं। दूसरे के तो हम सदा बाहर ही होंगे। किसी को हम प्रेम भी करें, तो भी उस प्रेम में हम उसके भीतर अन्तरतम तक नहीं पहुंच पायेंगे; फिर भी हम बाहर ही होंगे, सीमा के बाहर होंगे। गुरू इशारे कर सकता है कि कैसे तुम अपने में जाओं तुम्हारे संबंध में कुछ बता नहीं सकता। तुम्हें लाकर खड़ा कर सकता है नदी के तट पर, पानी तो तुम्हें ही पीना पड़ेगा और पानी पीओगे तो जो प्यास बुझेगी, वह अनुभव है। पानी के संबंध में मैं तुम्हें बता दूंगा, पानी की सारी केमिस्ट्री समझा दूंगा कि कैसे पानी आक्सीजन – हाइड्रोजन से मिल कर बनता है; कि पानी की कितनी दशायें

* *वरिष्ठ प्रवक्ता, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी।*

है, कि पानी कितनी डिग्री पर बर्फ हो जाता है, कितनी डिग्री पर भाप बन जाता है। सब तुम्हे बता दूंगा पानी के संबंध में, लेकिन बताया हुआ तुम्हारी प्यास को न बुझायेगा, तुम्हारा कंठ जलता ही रहेगा। कितनी ही जानकारी होगी, कण्ठ से उतार भी लोगे भीतर तो भी कण्ठ की प्यास न बुझेगी। पानी के संबंध में कितना ही बताया जाये, उससे प्यास का कोई संबंध नही जुड़ता। इशारा समझ जाओ, पानी खोज लो और पीओ, कि जो पीकर प्रतीति होगी– वह जो कण्ठ शीतल हो जायेगा, वह जो जलन मिट जायेगी; वह जो बेचैनी थी, वह शान्त हो जायेगी; तुम्हारें भीतर एक शांति, एक तृप्ति, एक संतोष का उदय होगा – वह अनुभव कोई भी नहीं दे सकता। तुम्हीं उस अनुभव को चाहो तो पा सकते हो।

कबीर साहब कहते हैः–

"लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात।
दुल्हा – दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात।।"
" जो देखै सो कहै नहिं, कहै से देखे नाहिं।
सुनै सो समझावै नहीं, रसना दृग श्रुति काहि।।"
"भरो होय सो रीतई, रीतो होय भराय।
रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोइ कहाय।।"
" ऐसो अद्‌भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाय।
वेद कुराना ना लिखी, कहूं तो को पतियाय।।"

अर्थात – कितना लिखा पड़ा है ज्ञान के संबंध में और बहुत – से लोग उस लिखे को ही पकड़ कर बैठ गये हैं। कबीर साहब जहॉ थे– काशी में, वहां तो पण्डितों का जमाव था। चारों तरफ वे ही लोग थे, जो सोचते थे ' लिखालिखी' की है बात, और वे जो वेद, उपनिशद, शास्त्रों के ज्ञाता थे, वे कबीर साहब को अज्ञानी समझते थे। कबीर साहब एक अर्थ में अज्ञानी है। अगर पण्डित ज्ञानीं हैं तो कबीर साहब अज्ञानी है। लेकिन पण्डित का ज्ञान क्या है? – बातें करेगा आत्मा की, अमरता की, मौत आयेगी तो कंपेगा, रोयेगा, चीखेगा, चिल्लायेगा। सारी अमरता खो जायेगी मौत के मुकाबले–क्योंकि अमरता तो जानी नही, पढ़ी थी, देखी नही थी, सुनी थी, किसी और ने कही थी, किसी और का अनुभव रहा होगा, अपना अनुभव न था। जीवन की कसौटी में तुम तभी पूरे उतरोगे जब तुम्हारे पास अपने अनुभव का सोना हो, अन्यथा दूसरे के अनुभव का सोना तुम्हारे हाथ में आते ही पत्थर, मिटटी हो जाता है; जीवन की कसौटी पर न उतरेगा। भला तर्क की कसौटी पर उतर जाये, भला विश्वविद्यालय तुम्हें उपाधियां दे दे, भला और लोग

तुम्हें कहने लगे कि तुम जानकार हो, बड़े जानकार हो, लेकिन तुम अपने गहनतम में तो जानोंगे ही कि तुमने जाना नहीं है, वहाँ तो दीया बुझा है, अभी ज्योति वहाँ प्रविष्ट नहीं हुई। पण्डित दूसरे को धोखा दे दे, अपने को कैसे धोखा देगा, तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही हैं।

भगवान बुद्ध कहते थे कि एक आदमी था एक गॉव में, वह बैठा अपने दरवाजे पर दूसरे लोगों की जाती आती गाय – भैसो को गिनता रहता था कि गॉव में कितनी गाये, कतनी भैस। सुबह गायें जातीं जंगल की तरफ, शाम को लौटती, वह सदा हिसाब रखता था; लेकिन एक रत्ती दूध भी उसके हाथ नहीं आता था उसके हिसाब से। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, तुम उस आदमी जैसे मत हो जाना। सभी पण्डित उस आदमी जैसे है। वे दूसरों का हिसाब रख रहें है– वेद में क्या है , कुरान क्या कहता है, बाइबिल के क्या वचन है, दूसरों की गाय–भैसें गिनते–गिनते जीवन बीत जाये तो भी एक बूंद दूध की हाथ न आयेगी। अपना अनुभव चाहिए। 'दुल्हा दुल्हन मिल गये, फीकी पड़ी बारात।' बड़ा प्यारा वचन है। दूल्हा बारात के साथ जाता है–बैण्ड–बाजे, शोरगुल, उत्सव–अभी बारात बड़ी महत्वपूर्ण है, बुला–बुला कर मित्रों को, अतिथियों को इकट्ठा करता है। सब अपनों को, सगे संबंधियों को लेकर बारात जाती है। फिर दूल्हा–दुल्हन मिल गये और जैसे ही विवाह हो गया, जो चीज पहले भूल जाती है, वह है बारात। फिर दूल्हा कहां फिक्र करता बारात की! बारात अब तक ठीक थी, जब तक दूल्हा– दुल्हन न मिले थे। कबीर साहब कह रहे है, ऐसे ही शास्त्र है, ऐसे ही शब्द हैं, बारात और जब दुल्हा–दुल्हन मिल गये, फीकी पड़ी बारात–फिर वेद में क्या रखा है, राख। फिर सब शास्त्र बेकार । अब तक ठीक थे जब तक दुल्हन के द्वार तक न पहुंचे थे। दुल्हन के द्वार तक शास्त्र ले आयें तो काफी; बारात का काम कर दें, बस बहुत। पर जैसे ही दुल्हन मिल गई, फिर कौन फिक्र करता है बारात की! वहीं फीकी पड़ जाती है बारात । बात ही खत्म हो गई । आदमी पार कर गया, फिर नदी की, नाव की कौन चिन्ता करता है। पुल से गुजर गये, फिर पुल को कौन याद करता है। सीढ़ी से चढ़ गए, फिर सीढ़ी को कौन ढोये फिरता है।

"जो देखै सो कहैं नहिं, कहे सो देखे नाहिं।
सुनै सो समझावै नहीं, रसना दृग श्रुति काहिं।।"

अर्थात–शरीरशास्त्री, मनस्शास्त्री, दोनों कबीर के इस वचन से सहमत है और आधुनिक विज्ञान भी। इस वचन का अर्थ हैः आंखे देखती है और आंखे

बोलती नहीं। जीभ बोलती है, लेकिन जीभ ने देखा नहीं। कान सुनता है और कान समझा नहीं सकता। तो ये आंख, कान, नाक, ये सारी इन्द्रियां कैसे संयुक्त होती है? आंखे देखती है, कान सुनते है, जीभ बोलती है, कहीं भीतर किसी एक केन्द्र पर ये सब मिलने चाहिए। अन्यथा, यह संभव ही न हो पायेगा। मैं बोल रहा हूँ, आप कान से तो सुन रहे हैं और आंखे से देख रहे है, लेकिन भीतर कहीं दोनों मिल जाते है, और आपको लगता है कि वही आदमी बोल रहा है जिसको हम देख रहे हैं। आंखे और कान अपने अनुभव को जानकर कहीं भीतर किसी एक केन्द्र पर उंडेल देते है; जहां मिलन हो जाता है–वह जो इन्द्रियों के भीतर छिपा हुआ पुरूष है, वह जो चैतन्य है, चेतना है। जैसे माला के मनके हैं और भीतर धागा है; दिखाई नहीं पड़ता, पर वही आधार है धागा टूटा और मनके बिखरे। इंन्द्रियां मनकों जैसी है, चेतना धागे जैसी है–वही उन्हे सम्हाले हुए है और तुम नौकरों के पीछे चल रहे हो और मालिक की तुम्हें खबर ही नहीं। जो आंखे कहती है, उन्हीं के पीछे तुम चल पड़ते हो। आंख का, नाक का, कान का? तुम क्यों इनके पीछे दीवाने हो? तुम उसकी फिक्र लो जिसकी ये सेवा में रत है। मालिक को खोजों। अनुभव की ऐसी व्याख्या दुर्लभ हैं बड़े–बड़े ज्ञानियों ने अनुभव की व्याख्या की चेष्टा की है, लेकिन कबीर साहब करीब–करीब सफल हो गये है।

'भरो होय सो रीतई'–जो भरा है वह खाली होगा। 'रीता होय भराय' और जो रीता है वह भरेगा। पहाड़ गिरेगें, झीले बनेंगी, झीलें भरेंगी पहाड़ उठेंगे–ऐसा होता रहा है। रीतों भरों न पाइये अनुभव सोई कहाय।' तो एक ऐसी दशा पानी है जहां न तो हम रीते हों और न भरे–तभी मुक्ति, तभी मोक्ष, तभी परमानन्द; क्योंकि फिर कोई फर्क न होगा।

'ऐसो अद्भुत मत क्यों–वे खुद भी समझ गये उस बात को कि यह बात अद्भुत है, अनूठी है, कभी कही नहीं गई है। 'कथो तो धरो छिपाय' यह एक ऐसी अनूठी बात है कि कबीर साहब कहते कि मैं इसे छिपाकर रखे हुए हूँ–कि कोई पात्र मिले तो उसे कहूं। वेद कुरान ना लिखीं–वेद और कुरान में लिखी नही है यह बात । 'कहूं तो को पतिताय' और अगर मैं कहूं सबसे, कौन मेरी सुनेगा, वेद में लिखी हो तो शायद लोग मान भी लें, कुरान में लिखी हो तो शायद लोग मान भी लें, लेकिन न वेद में लिखी है, न कुरान में। कबीर साहब कहते "दोनों पर जोर मत दो। तुम बीच में ठहर जाओ और उस जगह को खोज लो।"

पंडित सुन्दर लाल ने लिखा है–

कबीर एक अत्यन्त स्वतन्त्र विचारों के महापुरूष थे, मत मतान्तरों के भेद

कर्मकाण्ड और रूढ़ियो के कटट्र विरोधी थे। हिन्दू मुस्लिम एकता के वह पहले विचारक थे। वह भारत की आत्मा के सशक्त स्वर थे। कबीर जी ने भौतिक, समाज सुधार, जाति–पाति, साम्प्रदायिकता आदि पर उद्‌गार व्यक्त किये।

गुरू की महत्ता के विषय में कबीरदास जी का कहना था कि यदि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो, उसे सदगुरू के बताये रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि गुरू ही हमारा सच्चा उद्धार कर सकता है–

सतगुरू की महिम अनन्त, अनन्त किया उपकार।
लोचन अनन्त उघाडिया, अनन्त दिखावण हार।।

तथा

गुरू कुम्हार शिष कुम्भ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट।
अन्दर हाथ सहार दें, बाहर बाहे चोट।।

अर्थात गुरू हमारे अन्दर के सब विकारो को धीरे धीरे चोट करके निकाल देता हैं किन्तु अन्दर से वह हमें सहारा देता रहता है। जिससे अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंच जाये। आज वर्तमान समय में जबकि व्यक्ति के नैतिक मूल्य समाप्त होते जा रहे है। आवश्यकता है योग्य और संस्कारित शिक्षकों की जो अपने शिष्यों में संस्कार रूपी बीज डाल सकें।

बाह्याड्म्बर

कबीरदास जी के अनुसार आत्मिक उन्नति के लिये वाह्याड्म्बर की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने हिन्दू–मुस्लिम दोनों की तंग दिली की तीव्र निन्दा की है। उनका कहना–

पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़।
ताते तो चाकी भली, पीस खाय संसार।।

एवं

कांकर पाथर जोड के मस्जिद लई बनाय।
ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ, खुदाय।।

वह कर्मकाण्ड और रूढ़ियों के कटटर विरोधी थे। उनके अनुसार मात्र दिखावा तीर्थ, व्रत, पूजा, ईश्वर प्राप्ति के साधन नही है। इसके लिये तो हमें अन्दर की कुप्रवृत्तियों का नाश करना होगा। अपने अन्दर व्याप्त अंहकार, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कपट आदि को दूर करना होगा। वह कहते है–

ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय।
और को शीतल करे, आपहु शीतल होय।।

वह तो यहां तक कहते है कि प्रभु को प्राप्त करना है तो अहंकार मिटाना होगा–

जब मै था तब हरि नहीं, अब हरि है मै नाहिं।
सबै अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहिं।।

आज जब नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। इन अहंकार आदि पर अंकुश लगााना आवश्यक है। संत कबीर के अनुसार जब व्यक्ति अपना अस्तित्व, अहंकार, निजत्व सबकों भूल जाता है और अपने प्रियतम पर न्यौछावर हो जाता तो ऐसे भक्त के लिये जीवन क्या और मृत्यु क्या है, अर्थात प्रियतम से मिलने के लिये मृत्यु से डरता नही अपितु आन्नदित होता है–

जिस मरने से जग डरे, सो मेरे आनन्द।
कब करिहुँ कब दुखहूँ, पूरम परमानन्द।।

कबीरदास जी के अनुसार यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, दुनिया की माया, मोह में आसक्ति नहीं रखेगा, तो उसके अन्दर ईर्ष्या, द्वेष, आदि भावनायें कभी उत्पन्न नही हो पायेगी और मृत्यु का भय भी उसे कभी परेशान नहीं कर पायेगा।

कबीरदास जी, जो कुछ है उसी में सन्तुष्ट रहने का संदेश देते है क्योकि संतोष ही सुख का मूलाधार है। उनके अनुसार–

रूखा सूखा खाये के, ठण्डा पानी पीव।
देख पराइ चूपड़ी, मत ललचावे जीव।।

आज आगे बढ़ने की जो होड मची हुई है उनके लिये यह शिक्षा नितान्त उपयोगी है।

जाति प्रथा

कबीर की दृष्टि में समस्त जीवो का रचयिता एक ही है। अतः मानव के बीच यह विरोध कैसा है न कोई बड़ा है और नही कोई छोटा, न कोई ऊँचा और न ही कोई नीचा, एक ही ईश्वर ने सबकों जन्म दिया है। सब समान है केवल धर्म से ही मनुष्य में अन्तर उत्पन्न होता है कबीर दास जी कहते है–

जाति न पूछो साध की, पूछो उसका ग्यान ।
मोल करो तलवार को, पही रहन दो म्यान।।

कबीरदास जी का कहना है कि जाति पांति सब मनुष्य की बनायी हुई है। वे कहते है–

जांति पांति पूछे नही कोई हरि को भजै सो हरि का होय।

आज सबको समानता के स्तर पर लाने के लिये हम जिस आरक्षण की बात करते है उसे कबीरदास जी ने युगो पहले कह दिया था।

मानवतावाद

मानव के विनाश, शोषण और दमन चक्र से उन्मुक्त करने, असमानता के अभिशाप से बचाने और उसे मानवोचित अधिकार देने के लिये कबीर ने मानव समाज को जीवन का सही व सच्चा मार्ग दिखाने को यत्न किया। निम्न साखी में जनता के हित की भावना कितनी धनीभूत हो उठी है–

कबीरा खड़ा बाजार में, चाहत सबकी खैर।
न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।।

कबीर दूसरे के दुखः को देखकर दुखी हो उठते है, संसार माया में अनुरक्त है त्रिविधता से पीड़ित है, काल में दुःख का चबेना बना है फिर भी मिथ्या सुख में भूला है, ऐसे व्यक्तियो की मंगल कामना करता हुआ कबीर रूदन कर उठता है–

सुखिया संब संसार है खाबे और सोवे।
दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे।।

वे मानव को पूर्ण विकसित अवस्था में देखता चाहते थे इसलिये तो वह कांटा बोने वालो को भी फूल बोने का संदेश देते है।

जो तोकू कांटा बुबै, ताहि बोय तू फूल।
तोको फूल के फूल हैं, बाकों है तिस्फूल।।

इस तरह की पक्तियाँ व्यक्ति के अन्दर बदला लेने की भावना को दूर करती है आज के युग में जबकि व्यक्ति प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है तथा लक्ष्य प्राप्त होने के मार्ग में जो बाधाये आती है उन्हे सही या गलत किसी भी तरीके से दूर करने का प्रयास करता है। उनके लिये यह पंक्तियां किसी दवा से कम नहीं। यह छोटा उपदेश विभिन्न मानसिक विकारों के निदान में सहायक हो सकता है। इसी प्रकार–

दुर्बल को न सताईये, ताकी मोटी हाये।
बिना जीव की सांस ले, लोह भस्म हो जाये।।

व्यक्ति को चेतावनी देता है कि यदि दुर्बल मनुष्य को परेशान किया जायेगा तो ईश्वर परेशान करने वाले को अवश्य दण्डित करेगा।

विश्वास एवं आत्म मूल्यांकन

संत कबीर का कहना है कि प्रभु के द्वारा ही आन्तरिक अवरोधों से छुटकारा मिल सकता है। बस प्रभु में विश्वास अडिग होना चाहिये–

जाके मन विश्वास है, सदा पिया के संग।
कोटि काल झकझोरहिं, तउ न चित्त हो भंग।।

अर्थात ईश्वर में विश्वास रखने वाला विभिन्न विषम परिस्थितियो से जूझ लेता है। आज जो अनिद्रा, चिन्ता आदि विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हों रही है। उनका एक मात्र कारण समर्पण व विश्वास में कमी है। सर्वहित की भावना का विकास ही मानवतावाद की चरम सीमा है इस भावना का विकास या जन्म तभी सम्भव हो सका है। जब समदृष्टि व्यापक रूप से हृदय में स्थान कर ले।

कबीरदास जी कहते है–

बुरा को ढूँढन में चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय।।

इस प्रकार की भावना से जीवन की दिशा ' स्व' से हटकर ' पर' में केन्द्रीभूत होती है।

यदि व्यक्ति स्वयं अपनी गलतियों और कमियों की विवेचना करता रहे तो विभिन्न प्रकार की समायोजनात्मक समस्याओ से मुक्त हो तनाव रहित जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार कबीर दास जी ने समाज में व्याप्त विभिन्न बुराईयों को समाप्त करने का प्रयास किया उनके विचार आज के सन्दर्भ में भी उतने ही प्रांसगिक है जितने उस काल में थे। किवदन्ती थी कि जो मगहर में मरेगा अगले जन्म में गधा बनेगा उसे दूर करने के लिये उन्होनें मगहर में ही अपना शरीर त्यागा। अतः संत कबीर ने किसी से कुछ नहीं लिया बल्कि दिया ही दिया है। उनका संदेश है कि दूसरों को, गरीबो को, लाचारों को दो, लेने की इच्छा मत करो, देने का सुख लेने के सुख से बहुत ऊँचा है और शाश्वत है। अपने चिन्तन दर्शन

में संत कबीर बेमिसाल है, और पूरे विश्व के लिये आज भी प्रांसगिक है क्योंकि उन्होंने आत्मशक्ति जाग्रत करने का आवाह्न किया है।

केशवदास मालवीय ने कबीर के विषय में लिखा है–

भारतीय साहित्य धर्म साधना के हजारों वर्षो के इतिहास में संत कबीर जैसा तेजस्वी व्यक्तित्व नहीं हुआ। समय जितना आगे बढ़ रहा है, कबीर को हम उतना ही निकट पा रहे है। वह झुकते नही है। गलत समझौता नही करते और संघर्ष की चेतना से बढ़ते है। उनका रास्ता प्रेम का रास्ता है उनका प्रेम पूरे मानव जाति के लिये है। मानवता की रक्षा ही कबीर दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, कबीर जैसे उदार सन्त संसार में प्राणीमात्र को सुखी देखने के आंकाक्षी थे। संसार भर के दुःख, कष्ट और द्रारिद्रता उन्होंने अपने सर पर लिया जिससे संसार का भार हल्का हो जाये। प्राणीमात्र के सुख की भावना से प्रेरित होकर कबीर ने संसार को भांति–भांति कल्याणकारी मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन समुननत हो सके।

सत्य के प्रति कबीर ने श्रद्धा प्रकट की है सत्य ही ज्ञान है, संसार की वास्तविक गति है।

सांच बराबर तप नही, झूठ बराबर पाप।
जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप।।

अहिंसा मानव की प्राणशक्ति है, कबीर कहते है–

घर घर माहि साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे।

इस प्रकार कबीर के शैक्षिक दर्शन की जितनी प्रांसगिकता उस समय थी, उससे कहीं अधिक आज अनुभव की जा रही है, क्योंकि उस समय की अपेक्षाकृत आज मनुष्य अधिक स्वार्थी, अधिक तनावग्रस्त एवं दूसरों की आलोचना करने वाला हो गया है। हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ना तो सिखाया, किन्तु निस्वार्थ भावना से सहयोग करने का जो सुख है, वह बच्चों को नही सिखा नहीं पाये। लेने से ज्यादा सुख देने में है इस तरह के संदेश हम बच्चों तक नही पहुँचा पाये। परिणामस्वरूप प्रगति की जिस दौड़ में हम अपने आप को आगे बढ़ने की बात कहते है उसमें भी स्थायत्तिव नही हैं और यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में कबीर के शैक्षिक दर्शन की उपादेयता और बढ़ जायेगी।

कबीर दास जी विद्रोह के अवतार थे, वेद वर्णाश्रम, धर्म और जाति–पाति का विरोध उन्होंने निर्भीकता से किया। कबीर को गुजरे यद्यपि पांच सौ वर्ष हो गये है लेकिन आज भी उनकी प्रांसगिकता बनी हुई है और आज भी हम यही सोचते है कि जब तक भारतीय समाज पूर्णरूपेण कबीर दर्शन को आधार नही बनाता तब तक विभिन्न समस्याओं के निदान का कोई समाधान नही मिलेगा।

निष्कर्ष

कबीर साहब ने अपनी अमृतवाणी से आमजन को सरसित एवं हर्षित किया है, आपकी नेह रस वर्षा मानस मन की मुकुलित प्रेरणा है। आपने अनुभवातीत अन्तरकोश ज्ञान को धरा पर बिखेरा है। आपके इस ज्ञान से समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। समाज के उत्थान में आपका दर्शन महत्वपूर्ण है। कबीर साहब कहते हैं'' पोथी पढ़–पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होय। अर्थात प्रेम, मानवता, आदर–सम्मान, समता–समानता, भाईचारा से जीवन जीने का सन्देश दे गये।

संदर्भ ग्रन्थ

- *भारतीय साहित्य के निर्माता कबीर–प्रभाकर माचवे, साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन 35 फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली 110001*
- *कबीर–डॉ0 वासुदेव सिंह, अभिव्यक्ति प्रकाशन, 1994 संस्करण।*
- *विश्व के विधि धर्म–दयालबाग एजूकेशन इन्स्टीटयूट डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग आगरा।*
- *मध्ययुगीन समाज और संत कबीर–प्रो0 प्रतिमा अस्थाना, साहित्स संगम, इलाहाबाद।*
- *कबीर साहित्य और सिद्धान्त–यज्ञदत्त, अक्षरम, 463 सेक्टर 14 पानीपत, हरियाणा।*
- *कबीर ग्रन्थावली–रामकिशोर, लोकभारती, प्रकाशन, इलाहाबाद।*
- *कबीर अमृतवाणी–एस0के0 पंजम, दिव्यांश पब्लिकेशन्स लखनऊ।*
- *कहै कबीर मैं पूरा पाया–ओशो, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, पुणे।*
- *कहै कबीर दीवाना–ओशो, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, पुणे।*

अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण में जातिगत सामाजिक संगठनों की भूमिका

(उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के विशेष संदर्भ में)

राजीव कुमार*, डॉ0 शशि सौरभ**

सारांश

प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक संरचना में जाति केन्द्रीय भूमिका में रही है। समाज में व्याप्त जातिगत भेद–भावों में जाति आलोचना का भी विषय रही है। इसके बावजूद समाज व्यवस्था के साथ–साथ राजनीतिक रूप में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। जातियों की संख्या हजारों में है। अनुसूचित जातियों का एक संविधान सम्मत समूह है। इस जाति समूह में अनेक उपजातियाँ है। इन जातियों एवं उपजातियों ने अपने सर्वांगिण विकास के लिए संगठनों का निर्माण किया है। इन संगठनों के उद्देश्य व्यापक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

इस शोध पत्र के माध्यम से जातिगत सामाजिक संगठनों की भूमिका की सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः इन जातिगत सामाजिक संगठनों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, परन्तु इन संगठनों की भूमिका को कई अर्थों में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते देखा गया है। इस अध्ययन में सीतापुर जनपद के अनुसूचित जाति के प्रमुख जातिगत सामाजिक संगठनों को शामिल किया गया है, जिसमें न केवल अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण में इनकी भूमिका का अध्ययन किया गया है, बल्कि इनके समक्ष आ रही समस्याओं एवं उनके संभावित समाधान को भी प्रस्तुत किया गया है।

मूल शब्द–अनुसूचित जाति, सशक्तिकरण, जातिगत सामाजिक संगठन, सीतापुर जनपद।

* *शोधार्थी, राजनीतिशात्र एवं लोक प्रशासन विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ।*

** *सहायक आचार्य, राजनीतिशात्र एवं लोक प्रशासन विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ।*

प्रस्तावना

भारतीय समाज प्राचीन काल से ही जातियों व उपजातियों में विभक्त रहा है। समाज में जातियों की उपस्थिति ने जिस सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया उसे जाति व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के रूप में 'समाज का खंडयुक्त विभाजन, अनुक्रम, भोजन एवं सामाजिक सहक्रिया पर प्रतिबंध, विभिन्न वर्गों की नागरिक एवं धार्मिक अयोग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित विकल्प का अभाव, विवाह पर प्रतिबंध को देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में जाति व्यवस्था से संबंधित भेद–भाव, अयोग्यताओं एवं विशेषाधिकारों, और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करने पर बल दिया गया, परन्तु समय के साथ–साथ जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होती चली गई।

वर्तमान भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जातिगत आधार पर राजनीतिक संघटन के विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाति देखा जा सकता है। यहाँ तक कि सरकारों के गठन के उपरान्त मंत्रिमण्डल के गठन एवं विभिन्न पदों के आवंटन में भी जाति को ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक दल अपना जनाधार तैयार करने के उद्देश्य से जाति का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार विभिन्न जातियाँ एवं उप–जातियाँ भी अपने महत्व को समझते हुए जातिगत समूहों, संगठनों और संघों के रूप में संगठित होकर अपनी राजनीतिक पहचान को स्थापित करने में नहीं पिछड़ते।

जातिगत समूहों, संगठनों और संघों का निर्माण सामान्य रूप से सभी जातियों एवं उपजातियों के द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य संगठित होकर राजनीति में अपनी पहचान स्थापित करना ही नहीं बल्कि अपने जाति के विकास एवं उसके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना भी होता है। चूंकि भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को 'संगम या संघ' बनाने की आजादी दी गयी है इसलिए सम्पूर्ण भारत में इस तरह के संगठनों का प्रचलन बढ़ा है। सीतापुर जनपद में भी इस तरह के संगठन अस्तित्व में आये हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता के द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में विभिन्न अनुसूचित जातियों के द्वारा अपनी जाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए बनाए गए, ऐसे ही जातिगत समूहों, संगठनों और संघों की भूमिका का

विश्लेषण किया गया है एवं इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इनके समक्ष आ रही चुनौतियों का भी अध्ययन किया गया है।

सीतापुर जनपद का जनसांख्यकीय विवरण एवं अनुसूचित जाति

प्राचीन पौराणिक स्थल के रूप में प्रसिद्व सीतापुर जनपद का 'कुल क्षेत्रफल 5743 वर्ग कि0मी0' है। यह जनपद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपनी सीमाएं साझा करता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 44,83,992 है, जिसमें पुरूष 23,75,265 हैं तथा महिलाओं की संख्या 21,08,728 हैं। जिले के कुल जनसंख्या का 11.8 प्रतिशत जनसंख्या शहरी एवं 88.2 प्रतिशत ग्रामीण इलाके में निवास करती है। शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर 72.1 है एवं ग्रामीण क्षेत्र की 59.6 है। कुल जनसंख्या में 'अनुसूचित जाति' की जनसंख्या 14,46,427 है, जो उत्तर प्रदेश मे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जनपद है। अनुसूचित जातियों में भी मुख्य रूप से पासी, चमार, धोबी एवं धानुक हैं। जनपद में कुल दो लोकसभा सीटें है, जिसमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं विधानसभा की कुल नौ सीटें हैं, जिसमें तीन सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति के सामाजिक संगठन

सीतापुर जनपद में अनुसूचित जातियों के अनेक जातिगत सामाजिक संगठन हैं जैसे–

1. **अखिल भारतीय पासी विकास मण्डल**–उत्तर प्रदेश के रायबरेली व प्रतापगढ़ जनपद के कुछ प्रबुद्व लोगों के द्वारा महाराष्ट्र प्रान्त के बम्बई शहर में इस संस्था की स्थापना की गई जो भारत के विभिन्न शहरों में कमोवेश आज भी सक्रिय है, किन्तु वह सक्रियता वर्तमान में नही रही है जो आज से दस वर्ष पहले थी। इस संस्था को सीतापुर जनपद में लाने का श्रेय स्वर्गीय राम समुझ जी को जाता है तथा सीतापुर जनपद में कार्य करने वाला पुराना संगठन माना जाता है जिसका कार्य अन्धविश्वासों, रूढ़ियों का विरोध, दहेज रहित शादी कराना व बंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्रय देना।
2. **पासी संघ**–सीतापुर जनपद के अनुसूचित जाति के चर्चित नेताओं में सुमार स्वर्गीय श्री रामलाल राही जी के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के राजनेता, मंत्री इस संस्था के सदस्य रहे। राही जी ने अनुसूचित जाति के उप जाति पासी को केन्द्र में रखकर इस संस्था का निर्माण किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य पासी उपजाति

को नशे की प्रवृत्ति से मुक्त कराना था। स्वजातीय समरसता व भाईचारे को बढ़ावा देना, अनुसूचित जातियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभा, सम्मेलन व संगोष्ठी आयोजित करना, दहेज, छुआ–छूत व अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागृत करना आदि।

3. **स्काई सेल**– अनुसूचित जाति के बच्चों मे कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है।

4. **अखिल भारतीय पासी समाज**–अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक उत्थान को केन्द्र में रखकर बनाया गया यह एक अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत संगठन है, क्योंकि इस संस्था के संस्थापक स्वर्गीय श्री आर्य प्रसाद (आई०ए०एस०) थे, इसलिए इसे सम्पूर्ण भारत में विस्तारित करना चाहते थे। सीतापुर जनपद में इस संस्था का नेतृत्व लालजी भार्गव के द्वारा किया गया। लालजी भार्गव के स्वास्थ्य कारणों से संस्था पूर्व की भांति कार्यरत नहीं है। संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में अनुसूचित जाति–जनजाति व वंचित तबके को उनके अधिकार दिलाना, अनुसूचित जाति की उपजाति पासी के शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य करना। समाज को नशाखोरी के दुष्परिणामों से परिचित कराना तथा नशा उन्मूलन की दिशा में कार्य करना। अनुसूचित जाति के पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास का प्रचार–प्रसार करना।

5. **प्रेमा सेवा संस्थान**–विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में प्रतिभाग करते हुए स्वयं को यह अनुभव हुआ कि अनुसूचित जाति व जनजाति की सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संगठन की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। समाज के सहयोग से संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाया गया तथा तत्पश्चात् शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा एक से पाँच तक प्राइमरी स्कूल चलाया गया। युवा वर्ग को स्वावलम्बी बनाने के लिए एल०आई०सी० प्रशिक्षण करवाया गया। अनुसूचित जाति–जनजाति के बालक बालिकाओं को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना, बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना, अनुसूचित जाति–जनजाति के लिए सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं को जन–जन तक पहुँचाना, समाज में व्याप्त अंधविश्वास व कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना।

6. **अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा**– अनुसूचित जाति के लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहा तथा प्रारंभ में चौकीदारों के हितों की पूर्ति के लिए

आन्दोलन चलाया तथा सफलता मिलने के बाद लोकप्रियता में वृद्धि हुयी। लोग अपनी समस्यायें ले लेकर आते रहे और मै उनकी मदद करता रहा। हमारे साथ कार्य करने वाले लोगों में अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा के नाम से सामाजिक संगठन बनाने का सुझाव दिया, किन्तु अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। धरातल पर अनुसूचित जाति के मामलों में मदद करता हूँ। संस्था पंजीकृत नहीं है। संस्था प्रमुख रूप से इन उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही है यथा–अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों के प्राप्ति के लिए संघर्ष करना व इन वर्गों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना तथा पुलिस सहायता उपलब्ध कराना।

7. **लॉर्ड बुद्धा वेलफेयर सोसाइटी**– विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में कार्य करने के दौरान अपनी जाति के प्रति कार्य करने का विचार मन मे आया। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया संस्था प्रमुख रूप से लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान कर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के साथ–साथ निम्न वर्गो को शिक्षा के प्रतिजागरूक करना वा सामाजिक जनजागरण के द्वारा उनके संविधान सम्मत अधिकारों के प्रतिजागरूक करना।

अनुसूचित जातियों के सामाजिक संगठनों के उद्देश्य एवं कार्य

उक्त संगठनों के उद्देश्यों की बात करें तो प्रायः यह देखने को मिलता है कि इस प्रकार के संगठनों के सामान्य उद्देश्य एक जैसे और व्यापक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इन संगठनों के व्यापक उद्देश्यों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है–

शिक्षा को बढ़ावा देना इन संगठनों का सामान्य उद्देश्य रहा है, जिसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा व तकनीकी शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्लेग्रुप, नर्सरी, प्राइमरी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज, आई0टी0आई0 जैसी संस्थाओं की स्थापना करना शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक हैं। पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना व पत्र–पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन एवं वितरण करवाना और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम संगोष्ठी, विचारगोष्ठी, सेमिनार, खेल–कूद प्रतियोगिताएँ, योग कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन करवाना आदि प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य हैं।

शैक्षिक उद्देश्यों के साथ–साथ संस्था के द्वारा समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। जैसे–जनहितार्थ, चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, योगशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना। महिलाओं, बालिकाओं व युवाओं को रोजगार परख प्रशिक्षण देना जैसे–सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, ललित कला, संगीत, गायन, वादन, सैलून, ब्यूटीशियन, मेंहदी कोर्स आदि का प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना, महिला कल्याण निगम, नेहरू युवा केन्द्र द्वारा संचालित सभी ग्रामीण व शहरी कार्यक्रमों का संचालन करना। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ों, ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करवाना, पौधशालाओं का विकास करवाना, नर्सरी तैयार करवाना, जड़ी–बूटी व औषधीय पौधों की खेती करवाना। ऊसर–बंजर, भूमि सुधार, मृदा परीक्षण, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, पशु–पक्षी व गौ संरक्षण का कार्य करना।

ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं जल भूमि प्रबंधन का कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना। स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देना, विधिक जागरूकता, टायफाइड, पोलियो, एच0आई0वी0 / एड्स, चिकेन पॉक्स, कैंसर जैसे भयंकर रोगों के निवारण हेतु कैम्पों का आयोजन करना इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देना आदि।

दहेज उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाना, सामूहिक विवाह, समारोहों को प्रोत्साहन देना, इसके अलावा दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि प्राकृतिक घटनाओं के समय पीड़ितों की हर संभव मदद करना।

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश व केन्द्रीय राज्य कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना। इसके अलावा भाषा विभाग, मानव संसाधन, विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा भाषाओं जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, बंगाली, भोजपुरी, साहित्यिक व सांस्कृतिक विकास करना एवं विलुप्त हो रही लोक–गीतों, लोक–नृत्यों का संरक्षण व संवर्धन करना। दिव्यांग जनों हेतु राज्य व केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना आदि।

संगठन के उपरोक्त उद्देश्यों से इनके कार्यक्षेत्र की व्यापकता का पता चलता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संगठन का कोई स्पष्ट व प्रत्यक्ष राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह संगठन राजनीति से अछूते हैं क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों में न केवल उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने में सहायक सिद्ध होते हैं, बल्कि परोक्ष रूप से उनमें राजनीतिक चेतना का प्रसार भी करते हैं।

इन संगठनों का उद्देश्य व्यापक होता है, परन्तु ये संगठन मूल रूप से स्थानीय समस्याओं के समाधान एवं स्थानीय लागों के सशक्तिकरण के लिए ही प्रयासरत होते हैं। सीतापुर जनपद में अनुसूचित जातियों में नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है, इसलिए 'महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान' के द्वारा समाज में नशा उन्मूलन के लिए ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जन संवाद कार्यक्रम चलाया जाता रहा है। रैलियों, पोस्टरों, प्रचार वाहनों के द्वारा नशा उन्मूलन के लिए सतत् प्रयास किया जाता रहा है। इस प्रयास की सफलता इस प्रकार देखने को मिलती है कि सैकड़ो की संख्या में अनुसूचित जातियों व अन्य लोगों ने किसी भी प्रकार का 'नशा न करने की शपथ ली' है।

इसके अतिरिक्त इन संगठनों के द्वारा गरीबों, बुजुर्गों, असहाय बालकों और विधवाओं को शीतकाल में'कम्बल' का वितरण किया जाता है। कुछ संगठनों के द्वारा सिलाई–कढ़ाई व ब्यूटीशियन तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा सके।

शिक्षा किसी भी समाज के सशक्तिकरण के लिए सर्वोत्तम साधन होती है। इस तथ्य को अपना आधार मानते हुए शिक्षा के महत्व से समाज के लोगों को अवगत कराने के दृष्टिकोण से समय–समय पर 'पासी स्वाभिमान रैली' जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गरीब बालक/बालिकाओं को प्रतिवर्ष पुस्तकें/कॉपी, पेन आदि का वितरण ब्लॉक स्तर पर किया जाता है।

संगठन में राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए युवा वर्ग को मंच प्रदान किया जाता है, जिसके कारण कई युवा अच्छे वक्ता के रूप में आज कार्य कर रहे हैं, तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों मे सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं।

संगठन की सदस्यता निरन्तर बढ़ रही है, जो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि लोगों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है। इससे न केवल संगठन का आकार बड़ा हुआ है, बल्कि समाज के ऐसे वर्गों में सामाजिक राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है, जो पहले केवल अपनी ही मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक परेशान रहा करते थे। वहीं यह वर्ग सामाजिक संगठनों का सहारा पाकर 'सामूहिक रूप से अपने हक व संवैधानिक मार्गों के लिए एकजुट हुए'।

अनुसूचित जातियों के सामाजिक संगठनों के समक्ष चुनौतियाँ/समस्याऐं

सीतापुर के अनुसूचित जातियों के जातिगत सामाजिक संगठनों के उद्‌देश्य एवं कार्यों के अध्ययन के उपरान्त यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इन सामाजिक संगठनों को किस प्रकार की चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ निम्नवत् हैं–

1. कुछ संगठन ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं। इस कारण लोगाों का ऐसे संगठनों के प्रति पूर्णरूप से विश्वास नहीं हो पाता है। लोग सभी संगठनों को शंका की दृष्टि से देखते हैं तथा संगठनों के द्वारा दिये जा रहे सुझाव के प्रति पूर्णरूप से समर्पित नहीं हो पाते है।
2. प्रायः सरकार के द्वारा संस्थाओं को अनुदान व सरकारी सुविधायें प्रदान की जाती है। इस हेतु कुछ विशेष मानक निर्धारित किये जाते हैं। अनुसूचित जाति के कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं, जो किन्हीं मानकों को पूरा न कर पाने के कारण इन अनुदानों से वंचित रह जाते हैं। अनुदान के अभाव में संगठन का संचालन और विस्तार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।
3. प्रायः यह देखने को मिलता है अनुसूचित जातियों के सामाजिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोग किसी व्यवसाय आदि से संबंधित होते हैं। वे इन संगठनों की सदस्यता अपने व्यवसायिक हितों की पूर्ति के उद्‌देश्य से लेते हैं और स्वार्थ पूरा होने के पश्चात् संगठन की सदस्यता त्याग देते हैं, जिससे संगठन कमजोर पड़ जाते हैं।
4. इस वर्ग की संगठन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं। संगठनों के पास व्यापक उद्‌देश्य व कार्यक्रम तो होते हैं किन्तु धनाभाव के कारण वह धरातल पर साकार रूप नहीं ले पाते। इसके अलावा संगठन के निर्धारित कार्यक्रमों में भी अनायास ही विलम्ब भी हो जाता है।

5. संगठन में पढ़े–लिखे, योग्य युवा वर्ग की कमी दिखायी पड़ती है, जिससे संगठन का नेतृत्व किसी एक पढ़े–लिखे व्यक्ति या सदस्य तक केन्द्रित हो जाता है। संगठन के अनेक सदस्य अपने आपको उपेक्षित समझने लगते हैं और वह संगठन के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार की उदासीनता संगठनों को कमजोर कर देती है।

6. संगठन को कभी–कभी राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता का भी सामना करना पड़ता है। जिससे संगठन के अन्दर भी राजनीतिक गुटबन्दी शुरू हो जाती है। संगठन के सदस्यों के बीच मनमुटाव पैदा होता है जिससे संगठन कमजोर पड़ जाता है।

7. कई ऐसे भी संगठन हैं, जिनके प्रमुख पदाधिकारी बुजुर्ग हो गये हैं, जिसके कारण संगठन नेतृत्वविहीन हो गई हैं। इसके कारण संगठन की सक्रियता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। संगठन के सभी सदस्य सक्रिय न होने के कारण संगठन धीरे–धीरे कमजोर पड़ जाती है।

8. सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की मुहिम अत्यंत कठिन होती है। आम लोगों में इस बदलाव के प्रति सहमति बना पाना कठिन कार्य है। लोग संगठन का सम्मान करने के बजाय उससे दूर जाने लगते हैं तथा उसकी बैठकों व कार्यक्रमों का बहिष्कार भी करने लगते हैं।

सम्भावित समाधान/सुझाव

1. संगठनों का विधिवत् पंजीकरण कराया जाना चाहिए, जिससे संगठन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े और वे संगठन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो कर कार्य कर सकें।

2. संगठन मे पढ़े–लिखे योग्य लोगों को जोड़ा जाये और उन्हें उचित दायित्व दिया जाये। समाज के सफल लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रेरणादायक वक्ता के रूप में बुलाया जाय व उनका सम्मान किया जाय।

3. संस्था को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण व रोजगार को बढ़ावा दिया जाये। सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए चल रही योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ इन वर्गो तक पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास किये जाय।

4. समाज के धनाढ्य वर्ग, समाज सेवी, नौकरी पेशा लोगों से स्वेच्छा से नियमित रूप से समाज सेवा हेतु चंदा एकत्रित किया जाये। जिसका

पारदर्शी आय–व्यय का लेखा तैयार किया जाये। एकत्रित धनराशि को समाजोपयोगी कार्यो पर खर्च किया जाय।

5. सक्रिय सदस्यों के पदोन्नति की जाये तथा निष्क्रिय सदस्यों को भी प्रोत्साहित किया जाय। सभी सदस्यों को समाजसेवा की भावना के प्रति तैयार किया जाय।
6. संस्था के उन्नयन के लिए समय–समय पर आम लोगों व प्रबुद्ध लोगों के सुझाव लिये जाये और उन पर अमल किया जाये।

निष्कर्ष

शोधकर्ता के द्वारा तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भले ही जातिगत सामाजिक संगठन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न बनाये गये हों किन्तु वह राजनीतिक सहभागिता को स्थापित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं। इसके अलावा इन सामाजिक संगठनों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है कि इनके द्वारा किये जा रहे सामाजिक, शैक्षिक व पर्यावरण समस्याओं के जागरूकता, नशा उन्मूलन जैसे कार्य भी अत्यन्त सराहनीय है। भले ही यह संगठन अनुसूचित जाति को केन्द्र में रखकर उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत हो किन्तु राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाये बिना एक विकसित भारत की कल्पना को साकार रूप नही दिया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *2011 की जनगणना के अनुसार सीतापुर जनपद की जनसंख्या का विवरण।*
- *अमर उजाला, लखनऊ, 4 फरवरी, 2015, माई सिटी सीतापुर, पृष्ठ 3*
- *बसु, दुर्गादास, 'भारत का संविधान' एक परिचय, लेक्सिस, नेक्सिस, इंडिया, प्राइवेट लिमिटेड गुड़गॉव, ग्यारवॉ संस्करण 2015, पृष्ठ 125*
- *हिन्दुस्तान, लखनऊ, 6 सितम्बर, 2016 सीतापुर पृष्ठ 2*
- *दैनिक जागरण, लखनऊ, 8 सितम्बर, 2016, सीतापुर सिटी, पृष्ठ 1–2*
- *पायनियर, लखनऊ, 24 सितम्बर, 2016 सीतापुर पृष्ठ 5*
- *https://www.censusindia.co.in/district/sitapur-district-uttar-pradesh-154 दिनांक– 21.7.2017*
- *घुर्ये, जी0एस0, 'भारत में जाति एवं प्रजाति', पॉपुलर प्रकाशन, मुम्बई एवं सेज/भाषा पब्लिकेशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2018, पृ0सं0 1–16*